खण्ड-321, अंक-10
बुधवार, 15 वैशाख, शक संवत् 1898
(5 मई, 1976 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 321 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
1976

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 25 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	777–779
प्रश्नोत्तर (जारी)	779–782
किसी तिथि के लिये निर्धारित प्रश्नों को स्थगित कराने के विषय में श्री काशीनाथ मिश्र द्वाराउठाया गया व्यवस्था का प्रश्न (जारी) ..	782–783
प्रश्नोत्तर (जारी)	783–785
किसी तिथि के लिये निर्धारित प्रश्नों को स्थगित कराने के विषय में श्री काशीनाथ मिश्र द्वारा उठाया गया व्यवस्था का प्रश्न ..	785
प्रश्नोत्तर	785 814
सदस्य विधान सभा, सर्वश्री रामपति व दशरथ सिंह की पैरोल पर रिहाई के सम्बन्ध में सूचना	814
सदस्य विधान सभा, श्री राम अधार का केन्द्रीय कारागार,वाराणसी में स्थानान्तरण सम्बन्धी सूचना	814
सदस्य विधान सभा, श्री मुहम्मद मसूद खां का केन्द्रीय कारागार, बरेली में स्थानान्तरण से सम्बन्धित सूचना	814
कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा समय निर्धारण का प्रस्ताव स्वीकृत) ..	815
राज्य निराश्रित सहायता समिति किंग एडवर्ड सप्तम सैनीटोरियम, भुवाली की परामर्शदात्री समिति माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश तथा सदन की समस्त निर्वाचित समितियों के सदस्यों के निर्वाचन सम्बन्धी कार्यक्रम का स्थगन	815
28 अप्रैल, 1976 को श्री गोविन्द सिंह नेगी द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या 39 के सम्बन्ध में उनके ही अनुपूरक प्रश्न के उत्तर में शोधन वक्तव्य ..	816
श्री लक्ष्मी नारायण पान्डेय, सदस्य विधान सभा को हथकड़ी लगाये जाने के सम्बन्ध में श्री भीखा लाल तथा श्री गोविन्द सिंह नेगी द्वारा अधिसूचित विशेषाधिकार की अवहेलना की सूचना पर श्री अध्यक्ष के निदेशानुसार वक्तव्य	816–817
1976-77 के आय–व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान–अनुदान संख्या 24—सार्वजनिक निर्माण-कार्य, अनुदान संख्या 34—आवास भवन, अनुदान संख्या 60—संचार साधन, अनुदान संख्या 61—कार्यात्मक भवन, अनुदान संख्या 62—सार्वजनिक निर्माण अधिष्ठान, अनुदान संख्या 67—सार्वजनिक निर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय, अनुदान संख्या 68—कार्यात्मक भवनों पर पूंजीगत परिव्यय, अनुदान संख्या 70—आवास भवनों पर पूंजीगत परिव्यय, अनुदान संख्या 83—संचार साधनों पर पूंजीगत परिव्यय, अनुदान संख्या 43—सामान्य आर्थिक सेवायें, अनुदान संख्या 48—खाद्य तथा पोषाहार तथा अनुदान संख्या 78—खाद्य तथा पोषाहार पर पूंजीगत परिव्यय (स्वीकृत) ..	717–768
नत्थियां	869–882

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बुधवार, 5 मई, 1976

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में दिन में 11 बजकर 5 मिनट पर अध्यक्ष, श्री वासुदेव सिंह की अध्यक्षता में आरम्भ हुई

उपस्थित सदस्य—222

अजीत प्रताप सिंह, श्री
अजीत सिंह सेठी, श्री
अनवार जमील उर्फ जिमी मियां, श्री (एडवोकेट)
अनिरुद्ध राय, श्री
अबुल फैज शाह, श्री
अब्दुल बाकी, श्री
अब्दुल रहमान खां 'नशतर', श्री
अम्बिका प्रसाद सिंह, श्री
अम्मार रिजवी, श्री
आगा जैदी, श्री
आबिद अली, श्री
ईश्वरी सिंह, श्री
ए० सी० ग्राइस, श्री
ओम प्रकाश, श्री
ओम प्रकाश गुप्त, श्री
ओम प्रकाश श्रीवास्तव, श्री
कन्हैया लाल सोनकर, श्री
कमला प्रसाद वर्मा, श्री
काजी जलील अब्बासी, श्री
काशी नाथ मिश्र, श्री
काशी प्रसाद, श्री
कुंवर बहादुर मिश्र, श्री
कुलतार सिंह, सरदार
कृष्णवीर सिंह, श्री
केदार नाथ अग्रवाल, श्री
केशरी लाल, श्री
कैलाश पति, श्रीमती
क्रान्ति कुमार, श्री
खचेड़ सिंह मोहरिया, श्री
खूब चन्द, श्री
ख्याली राम शास्त्री, श्री
गंगा देवी विशारद, श्रीमती
गंगा स्वरूप, श्री
गजेन्द्र सिंह, श्री
गया सिंह, श्री
गिरिजा किशोर मिश्र, श्री
गुलाब सिंह, श्री
गुलाब सेहरा, श्री
गोपाल दत्त ओझा, श्री
गोपी नाथ कामेश्वरपुरी, श्री
गोविन्द प्रसाद गैरोला, श्री
गोविन्द सिंह नेगी, श्री
गोविन्द सिंह मेहरा, श्री
गौरी शंकर, श्री (एडवोकेट)
चन्दन सिंह, कामरेड
चन्द्र नारायण सिंह, श्री
चन्द्र शेखर, श्री
चम्पावती, श्रीमती
छेदा लाल चौधरी, श्री
जंग बहादुर, श्री (अतरौलिया, जिला आजगमढ़)
जगदीश अवस्थी, श्री
जगदीश नरायन त्रिपाठी, श्री
जगदीश मिश्र, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जफर आजमी, श्री
जय नारायण सिंह, श्री
जयराज गौतम, श्री
जागेश्वर, श्री
जुगल किशोर यादव, श्री
झिलमिट, श्री
तेज नारायन त्रिवेदी, श्री
तेज बहादुर, श्री
त्रिवेनी, श्री
दीपनारायण पाण्डेय, श्री
दुर्योधन, श्री
देवकुमार यादव, श्री
देव बहादुर सिंह, श्री

देवी सिंह श्री
धर्म चन्द्र मिश्र, श्री
धर्मपाल सिंह, श्री
धर्मपाल सिंह, डाक्टर
धर्मवीर, श्री
ध्रुव नारायण सिंह, श्री
नन्हे लाल, श्री
नरेन्द्र सिंह भंडारी, श्री
नाथू राम, श्री
नारायण दत्त तिवारी, श्री
नारायण दास, श्री
नारायण हरी शर्मा, श्री
निर्भय नरायन सिंह, श्री (उर्फ लाल बाबू)
पूरन चन्द, श्री
प्यारे लाल, श्री (जिला अलीगढ़)
प्यारे लाल, श्री (जिला मेरठ)
प्रकाश नारायण गुप्ता, डाक्टर
प्रताप नारायण,श्री
प्रभाकर नाथ द्विवेदी, श्री
प्रभाकर सिंह, बाबू
प्रभु नारायण, श्री
प्रभु दयाल, श्री
प्रेम दत्त, श्री
प्रेम सुन्दर नारायण सिंह, श्री
फजलुर्रहमान अन्सारी, श्री
बंशीधर, श्री
बच्चा पाठक, श्री
बनवारी राम यादव, श्री
बलदेव सिंह आर्य, श्री
बाल कृष्ण सनवाल, श्री
बृजपाल सिंह यादव,श्री
बेचन राम, श्री
बेनी बाई, श्रीमती
भगवती चरण निर्मोही, श्री
भगवती प्रसाद, श्री
भगवती सिंह विशारद, श्री
भगौती प्रसाद, श्री
भगौती प्रसाद शुक्ल, श्री
भारत सिंह, श्री
भूपसिंह केन, श्री
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री
भोला दत्त सकलानी, श्री
मंजूर अहमद, श्री
मन्जूर अली खां, श्री (उर्फ शन्नू खां)
मन्नी लाल, श्री
मन्नू लाल द्विवेदी, श्री
मलखान सिंह, डाक्टर
मलखान सिंह सैनी, श्री
मलिक मोहम्मद जमीर अहमद खां, श्री
महाबीर प्रसाद, श्री
महाबीर सिंह, श्री
महेश सिंह, श्री
माखन लाल मिश्र, श्री
माता प्रसाद, श्री
मानपाल सिंह एडवोकेट, श्री
मानबहादुर सिंह, श्री
मुमताज मोहम्मद, खां
मुहम्मद सफीउर्रहमान अन्सारी, श्री
मोहन सिंह, श्री
मोहम्मद अयूब सिद्दीकी, श्री
मोहम्मद असलम, हाफिज
मोहम्मद महमूद अली खां, श्री
मोहम्मद शकील अहमद, श्री
मोहम्मद हयात, हाजी
मोहसिना किदवाई, श्रीमती
यशपाल सिंह, श्री
यादवेन्द्र सिंह, श्री (उर्फ लल्लन जी)
रघुनाथ, श्री
रघुनाथ सिंह, श्री
रघुबीर, श्री
रघुबीर सिंह,श्री
रघुराज सिंह,श्री (जिला गोंडा)
रघुराज सिंह, श्री (जिला देवरिया)
रणजीत सिंह "जूदेव", श्री
रणधीर सिंह, श्री
रफीउल्ला, श्री
रमा पन्त, कुमारी
रमाकान्त द्विवेदी, श्री
राज किशोर तिवारी, श्री
राजपती देवी, श्रीमती
राजबहादुर चन्द, श्री
राज मंगल पाण्डेय, श्री
राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी, डाक्टर
राजेन्द्र प्रसाद दौनेरिया, श्री
राजेन्द्र सिंह यादव, श्री
राम औतार सिंह भदौरिया, श्री
रामगरीब, कैप्टेन
रामचन्द्र बक्श सिंह, श्री
रामजी लाल केन, श्री
रामजी लाल सहायक, श्री
रामजी सिंह, श्री
राम दुलारे, श्री

राम देव, श्री
रामदेव यादव,श्री
राम नारायण पाठक, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
राम पाल सिंह, श्री
रामपाल सिंह यादव, चौधरी
राम पूजन पटेल, श्री
राम रतन सिंह, श्री
रामरती देवी, श्रीमती
राम लखन, श्री (जिला बस्ती)
राम लाल राही, श्री
रामशिरोमणि दुबे, श्री
राम सजीवन, श्री
राम समझावन, श्री
राम समुझ तिवारी, श्री
राम सुन्दर पांडेय, श्री
राम सेवक धोबी, श्री
राम स्वरूप भारतीय, श्री
राम हर्ष चौधरी, श्री
रुद्र प्रसाद, श्री
रूप राम, श्री
रेवती शरण मौर्य, श्री
लक्ष्मी नरायण पांडेय, श्री
लक्ष्मी शंकर यादव, श्री
लटूरी सिंह, श्री
लालन शर्मा, श्री
लालू राम, श्री
लोकपति, श्री
विद्याधर, श्री
विमल प्रसाद तिवारी, श्री
वीरेन्द्र कुमार, चौधरी
शकुन्तला देवी, श्रीमती
शान्ति प्रपन्न शर्मा, श्री
शिवकुमार पाण्डेय, श्री
शिवचरन लाल, श्री
शिवानन्द नौटियाल, श्री
श्याम किशोर, डाक्टर
श्याम मिश्रा, श्री
श्याम लाल रावत, श्री
श्यामा देवी, श्रीमती
श्रीपाल सिंह, कुंवर
श्रीशचन्द्र, श्री
सच्चिदानन्द बाजपेयी, श्री
सत्तार अहमद, श्री
सत्यपाल सिंह यादव, श्री
सत्यवीर सिंह, श्री
सन्त सिंह यूसुफ, श्री
सरस्वती टम्टा, श्रीमती
सरस्वती प्रताप सिंह, श्री
सलाहउद्दीन उस्मानी, श्री (उर्फ नब्बन)
सीताराम निषाद, श्री
सुक्खन सिंह, श्री
सुखदा मिश्रा, श्रीमती
सुनीता चौहान, श्रीमती
सुरेन्द्र प्रताप नारायन, श्री
सुरेन्द्र प्रसाद मिश्र, श्री
सुरेन्द्र सिंह चौहान, श्री
सैयद मुर्तजा अली खां, नबाव
सोहन लाल धुसिया, श्री
हरिराम, श्री
हुब राज, श्री
हेमराज, श्री
हेमवती नन्दन बहुगणा, श्री

प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष--आजकल कोरम का अभाव दैनिक हो रहा है।

अल्प सूचित तारांकित प्रश्न

गेहूं की वसूली के दर निर्धारण की प्रक्रिया तथा उत्पादकों को परिवहन व्यय न मिलना

*1--श्री राम सुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)--

क्या खाद्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्तमान एवं गत वर्ष की गेहूं की वसूली के दर निर्धारण प्रक्रिया को बदल दिया गया है और कार्टेज चार्ज नहीं दिया जा रहा है ? जो आदि का प्रतिशत 30 प्रतिशत से घटाकर 6 प्रतिशत कर दिया गया ? क्या यह भी सत्य है कि इस परिवर्तन से वसूली कार्य में कार्यरत कर्मचारियों को व्यावहारिक कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है ? यदि हां, तो शासन इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही कर रही है ?

खाद्य तथा रसद मंत्री (श्री बलदेव सिंह आर्य)—

जी नहीं। वर्तमान मारकेटिंग वर्ष 1976–77 में गेहूं की वसूली के दर निर्धारण की प्रक्रिया गत वर्ष की भांति ही हैं किन्तु यह सत्य है कि इस वर्ष उत्पादकों को क्रय केन्द्रों पर गेहूं लाने के लिये गत वर्ष की भांति कोई परिवहन व्यय नहीं दिया जा रहा है।

केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित गुण निर्दिष्टियों के अनुसार गत वर्ष चने के अतिरिक्त अन्य खाद्यान्न का अधिकाधिक मिश्रण 6 प्रतिशत तक था। 6 प्रतिशत तक अन्य खाद्यान्न के मिश्रण वाला गेहूं 3 रुपया प्रति कुन्तल की कटौती करके क्रय किया जाता था। यदि 6 प्रतिशत अन्य खाद्यान्न के मिश्रण की अधिकतम सीमा से अधिक जौ होता था तो प्रति एक प्रतिशत पर ग्रेड कट के अतिरिक्त 1 रुपया पीनल कट और किया जाता था, 30 प्रतिशत से अधिक जौ के मिश्रण वाले गेहूं को गेहूं नहीं माना जाता था। अतः 30 प्रतिशत से अधिक जौ के मिश्रण वाला गेहूं क्रय ही नहीं किया जाता था। निर्धारित गुण निर्दिष्टियों के अनुसार इस वर्ष गेहूं में अन्य खाद्यान्न का मिश्रण, जिसमें जौ व चना भी शामिल हैं, अधिकाधिक 6 प्रतिशत ही हो सकता है।

यह सही नहीं है कि गुण-निर्दिष्टियों में उक्त परिवर्तन से वसूली कार्य में कार्यरत कर्मचारियों को व्यावहारिक कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। अतः किसी कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता।

श्री राम सुन्दर पान्डेय—

क्या माननीय खाद्य मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि परिवहन व्यय खतम करने के क्या कारण हैं?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

मान्यवर, पिछले वर्ष गेहूं का मूल्य अधिक था, सरकार को बफर स्टाक बनाना था। उसके लिये जरूरी था कि हम गेहूं को लाने के लिये किसानों को आकर्षित करें। उसमें भी जो हमारा व्यय हुआ उसको भारत सरकार देने वाली नहीं है। इसलिये इस वर्ष यह निश्चय किया गया है। बाजार में गेहूं सस्ता है और हमारे भाव किसानों ने स्वीकार किये हैं और वह अपनी ही व्यवस्था से क्रय केन्द्र तक गेहूं ला रहे हैं।

श्री राम सुन्दर पान्डेय—

क्या खाद्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पिछले साल के मुकाबले में इस वर्ष गेहूं के उत्पादकों का खर्चा कम नहीं हुआ है। क्या उनको इस बात की जानकारी है, उसके खर्च में कोई कमी आई है?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

मान्यवर, मेरी सूचना ऐसी है, मैं निश्चित रूप से तो नहीं बता सकता लेकिन कमी आई है। इसलिये जो कीमत निर्धारित हुई है, उससे किसान को लाभ हुआ है।

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टिहरी गढ़वाल)—

मान्यवर, जैसा माननीय मंत्री जी ने अभी बताया कि बाजार में भाव कम है और जो कीमत आपने रखी है, वह ज्यादा है। तो क्या मंत्री जी को इस बात का ज्ञान ह कि आपके कर्मचारी जो क्रय केन्द्रों पर हैं, किसान का गेहूं रिजेक्ट कर देते हैं और वही गेहूं फिर आढ़ती लेकर बेचते हैं?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

माननीय सदस्य की यह शिकायत सही हो सकती है। मैं छानबीन करा रहा हूं।

श्री राजेन्द्र प्रसाद दोनेरिया (जिला आगरा)—

मैं मंत्री जी को एक सुझाव देना चाहता हूं कि जो चीनी देहातों में वितरित की जा रही है, जिस तरह से पिछले वर्ष गेहूं के एवज में दी जाती थी, वैसा इस वर्ष भी करें और पिछली बार तीन रुपया मन किसान को, और दिया जाता था, वही इस साल भी कर दिया जाय, जिससे

किसानों को कोई हानि नहीं होगी। क्योंकि पिछले साल के मुकाबले गेहूं की लागत इस साल ज्यादा बड़ी है।

श्री बलदेव सिंह आर्य—

मान्यवर, पहले चीनी शहरों में आवंटित की जाती थी। अब हमने देहातों में हर परिवार को कार्ड बनवा दिये हैं, उसमें हर परिवार को एक किलो चीनी दी जाती है। पहले यह व्यवस्था नहीं थी। इसीलिए पिछले साल जो चीनी, शहरों में वितरण के बाद बचती थी, उसे गेहूं के एवज में किसानों को देते थे। इस वर्ष उनका कार्ड बना दिये हैं और चीनी बराबर मिल रही है।

श्री प्यारे लाल (जिला मेरठ)—

यह चीनी तो पहले भी गांव में दी जाती थी और कार्ड्स नहीं बने थे। लेकिन इस बात के क्या तथ्य हैं कि किसान के उत्पादन की कीमत कम हुई है, इसलिये उनकी कार्टेज नहीं दिया जा सकता है या अन्य सुविधाएं नहीं दी जा सकती हैं? जबकि सिंचाई और बिजली के चार्जेज वही हैं और खाद की कीमत भी वही है?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

जैसा मैंने निवेदन किया, हर चीज की कीमत कम हुई है। 26 जून, 75 से हर चीजों की कीमत में कमी होने लगी है, चाहे खाद हों, चाहे तेल हो या अन्य चीजें हों। इसलिये गेहूं की निर्धारित कीमत ऐसी है, जो किसान को आकर्षित करती है और इसके प्रमाण में मैं यह बताना चाहता हूं कि 5-5-76 तक 2 लाख 30 हजार मैट्रिक टन से अधिक गेहूं इकट्ठा हो गया है, जबकि पिछले वर्ष 5-5-75 तक 5 हजार 491 मैट्रिक टन ही इकट्ठा हुआ था। इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि किसान इस कीमत को ठीक समझ रहा है।

श्री शिवचरन लाल (जिला आगरा)—

मैं बताना चाहता हूं कि आपने गांव में चीनी वितरण के लिए जो दी है वह ग्रामीणों को प्राप्त नहीं होती है, चीनी का कोटा ब्लैक होता रहता है, इसके लिये आपने क्या सोचा है?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

देहात में हर न्याय पंचायत के स्तर पर चयन समिति बनी है, जो चीनी के दुकानदारों का चयन करती है। जिसको वह चुनती है, प्रथम उसको दूकानदार बनाया जाता है और लाइसेंस दिया जाता है और यदि उसके खिलाफ कोई शिकायत होती है, तो उनकी सूची में जो दूसरे नम्बर पर नाम होता है, उसको दूकान दे दी जाती है। ताकि ठीक तरह से चीनी का वितरण किया जा सके।

श्री भगवती सिंह विशारद (जिला उन्नाव)—

क्या खाद्य मंत्री जी को ज्ञात है कि गेहूं का मूल्य निर्धारित करने के लिये केन्द्र सरकार ने समस्त मुख्य मंत्रियों और खाद्य मंत्रियों का जो सम्मेलन किया था, उसमें उत्तर प्रदेश की ओर से यह मांग की गई थी कि गेहूं के उत्पादन में लागत बढ़ जाने के कारण गेहूं का मूल्य पिछले वर्ष से अधिक इस बार रखा जाए? यदि यह बात सही है तो इस वर्ष गेहूं के मूल्य में कार्टेजे कम करने का कारण क्या है?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

माननीय सदस्य को यह सूचना है कि इस आधार पर उत्तर प्रदेश की ओर से केन्द्र सरकार के समक्ष अधिक कीमत का प्रस्ताव रखा गया था कि उत्पादन में अधिक व्यय था। किन्तु ऐसी बात नहीं है। इस बारे में प्रदेशीय कृषि विभाग और पन्तनगर विश्वविद्यालय से पूछा गया था और उन्होंने यह बताया था कि 120 रुपया प्रति क्विंटल के हिसाब से कीमत होनी चाहिये। लेकिन भारत सरकार तो पूरे देश की प्रस्तावित दरों का औसत निकालकर मूल्य तय करती है, एग्रीकल्चर प्राइज कमीशन की संस्तुतियों के आधार पर कीमत तय की जाती है।

श्री राम सुन्दर पान्डेय—

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि गत वर्ष मिश्रण 30 प्रतिशत पर भी गेहूं खरीदा जाता था, किन्तु इस वर्ष 30 स्थान पर 6 प्रतिशत कर दिया गया है, तो क्या उनको जानकारी है कि आजमगढ़ के जिला अधिकारी ने सरकार को लिखा है कि इससे आजमगढ़ में वसूली में दिक्कत हो रही है ? यदि हां, तो क्या इसे 6 से बढ़ाने की कृपा करेंगे ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

मान्यवर, पिछले वर्ष जो गेहूं खरीदा गया था, उसकी अपेक्षा इस वर्ष भारत सरकार ने गुण निर्दिष्टयों के आधार पर सख्ती से अच्छा गेहूं खरीदने का हमें आदेश दिया है। हम अपने प्रदेश में जो गेहूं क्रय कर रहे हैं वह भारत सरकार के खाद्य निगम को दे देते हैं। तो जिस तरह से गुण निर्दिष्टयां उन्होंने निर्धारित किये हैं, उसी के आधार पर हम गेहूं की खरीद करते हैं ।

श्री अध्यक्ष—

यह प्रश्न इतना महत्वपूर्ण है तो इस पर आप कोई दूसरा उपाय सोचें।

श्री राम चन्द्र बक्श सिंह (जिला बाराबंकी)—

मान्यवर, जिन काश्तकारों को लेवी की नोटिसेज मिली हैं, उन्हीं से गेहूं खरीदा जा रहा है, बकिया काश्तकारों से गेहूं नहीं खरीदा जा रहा है और न उन्हें नोटिसेज ही बांटी गई हैं । मान्यवर, जिन्हें नोटिसेज बांटी गई हैं, उनसे लिमिटेड 10–15 कुंटल गेहूं ही खरीदा जा रहा है और बकिया बाजार से खरीदा जा रहा है । मान्यवर, इस संबंध में क्या माननीय मंत्री जी स्पष्ट आदेश भेजने की कृपा करेंगे कि सारे काश्तकारों का जो गल्ला है वह परचेज सेंटर पर लाया जायगा और वहां से खरीदा जायगा ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

मान्यवर, यह आदेश दे दिये गये हैं कि जितना गेहूं क्रय केन्द्र पर आयेगा वह सभी खरीद लिया जायगा । खरीदने में अगर कोई अनियमितता हो रही है, तो उसके लिये शख्त कार्यवाही की जायेगी ।

श्री गोविन्द प्रसाद गैरोला (जिला टिहरी गढ़वाल)—

मान्यवर, हमारे जनपद में इस किस्म की कोई समिति नहीं बनी है । तो मैं आपके माध्यम से यह आश्वासन माननीय मंत्री जी से प्राप्त करूं कि टेहरी गढ़वाल में ऐसी समिति गठित करने का आदेश देंगे ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

मान्यवर, जिलाधिकारियों को लिख कर भेजा जायगा कि अब तक इन समितियों का गठन क्यों नहीं किया गया ।

अतारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 38 (2) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न ।]

*1—श्री ऊदल—

[माननीय सदस्य की प्रार्थना पर स्थगित ।]

किसी तिथि के लिये निर्धारित प्रश्नों को स्थगित कराने के विषय में श्री काशी नाथ मिश्र द्वारा उठाया गया व्यवस्था का प्रश्न

श्री काशी नाथ मिश्र (जिला बलिया)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रश्न संख्या 1 जो नत्थी (ख) है उसके बारे में कुछ कहना चाहता हूं । मान्यवर, इसके हाशिये पर लिखा है कि "माननीय सदस्य की प्रार्थना पर स्थगित" । मान्यवर, यह कहां की व्यवस्था है कि माननीय सदस्य जब चाहें, तो वह प्रश्न स्थगित हो जाय ?

श्री अध्यक्ष—

ऐसा नियम है ।

श्री काशीनाथ मिश्र—

मान्यवर, मैं यह भी कहना चाहता था कि कोई भी प्रश्न माननीय सदस्य देते हैं तो शासन को उसका उत्तर मंगाने में खर्च करना पड़ता है। तो क्या किसी माननीय सदस्य को यह अधिकार है कि जब वह चाहे तब प्रश्न वापस ले सकता है या स्थगित करा सकता है। माननीय सदस्य प्रश्न देते हैं और उनको कुछ नाजायज फायदा पहुंच जाता है, तो वह वापस करा लेते हैं। इस तरह से माननीय सदन का स्तर गिरता है।

श्री अध्यक्ष—

आप जैसे तेज तर्रार नियम नहीं जानते हैं।

श्री काशी नाथ मिश्र—

मान्यवर, इस सदन में जो इसकी प्रतिक्रिया है, इसको मैं माननीय सदन के ध्यान में लाना चाहता हूं।

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टिहरी गढ़वाल)—

मान्यवर, माननीय काशीनाथ मिश्र नियम पढ़ें या न पढ़ें, अवगत हों या नहीं, मान्यवर, माननीय ऊदल आज सदन के अन्दर नहीं हैं, आपने प्रश्न को स्थगित किया है, लेकिन ये जबरदस्ती खड़े होकर बोलेंगे।

श्री काशीनाथ मिश्र—

मान्यवर, अगर नियम में हो, तो मैं आपके द्वारा यह सदन से कहना चाहता हूं कि इस नियम में सुधार होना चाहिये।

श्री अध्यक्ष—

हल्ला मचाने से नियम में सुधार नहीं होता है।

प्रश्नोत्तर (क्रमागत)

गोंडा के सुभाष इन्टर कालेज के अनुदान का प्रधानाचार्य द्वारा कथित दुरुपयोग

*2—डाक्टर मलखान सिंह (जिला जालौन) (अनुपस्थित)—

क्या शिक्षा मंत्री को इस बात की जानकारी है कि सुभाष इन्टर कालेज, उमरी बेगमगंज, जिला गोंडा में सरकार द्वारा दिए जाने वाले अनुदानों का सही उपयोग नहीं किया जा रहा है? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच करा कर पूर्ण तथ्य को सदन के पटल पर रखेगी?

शिक्षा मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)—

सरकार द्वारा स्वीकृत अनुदान का सही उपभोग किया गया है। अतः जांच कराने का प्रश्न नहीं उठता।

*3—डाक्टर मलखान सिंह (अनुपस्थित)—

क्या शिक्षा मंत्री को इस बात की जानकारी है कि प्रधानाचार्य सुभाष इन्टर कालेज, उमरी बेगमगंज, गोंडा द्वारा सरकार से प्राप्त अनुदानों (कालेज) के लिये अपने गांव के सन्निकट एक अन्य स्कूल चला रहे हैं? क्या सरकार शीघ्र ही इस तथ्य की जांच करा कर दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध उचित कार्यवाही करेगी?

श्री अम्मार रिजवी—

जी नहीं। प्रश्न नहीं उठता।

महादेवी हरिजन बाल विद्यालय, आजमगढ़ को अनुदान की कथित स्वीकृति

*4—श्री दयाराम भास्कर (जिला आजमगढ़) (अनुपस्थित)—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि महादेवी हरिजन बाल विद्यालय, लगड़पुर, पोस्ट बनकट, ब्लाक विलरियागंज, आजमगढ़ के प्रबन्धक द्वारा शिक्षा सचिव, उत्तर प्रदेश शासन को भेजे कोई आवेदन-पत्र 1,500 रु0 आवर्ती अनुदान कुमारी सुषमा मांगलिक;

उप सचिव, शिक्षा (बेसिक) , उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ ने दिनांक 26–6–75 को स्वीकृत किया और प्रबन्धक को मौखिक रूप से उक्त उप सचिव द्वारा अवगत कराया गया ? इस ग्रान्ट के भुगतान के सम्बन्ध में उक्त प्रबन्धक जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, आजमगढ़ से कई बार स्मरण कराए और आवेदन–पत्र दिया, परन्तु अभी तक उक्त धनराशि का भुगतान उक्त संस्था को नहीं किया गया ? क्या सरकार उक्त मामले की जांच कराकर दोषी अधिकारी के विरूद्ध कार्यवाही करने की कृपा करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी—

प्रश्नगत संस्था के प्रबन्धक का पत्र प्राप्त हुआ था परन्तु शिक्षा विभाग द्वारा कोई भी अनुदान स्वीकृत नहीं हुआ । अतः अनुदान भुगतान करने का प्रश्न नहीं उठता । कुमारी सुषमा मांगलिक, उप सचिव, शिक्षा ने भी इस विषय पर कोई आश्वासन नहीं दिया।

अध्यापिका विहीन मुरादाबाद की कन्या प्राइमरी पाठशालायें

*5—हाजी मोहम्मद हयात (जिला मुरादाबाद) तथा श्री ख्याली राम शास्त्री (जिला मुरादाबाद)—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मुरादाबाद में ऐसी कितनी कन्या पठशालायें हैं जिनमें अध्यापिकायें नहीं हैं ? यदि हां, तो क्यों?

श्री अम्मार रिजवी—

बेसिक शिक्षा परिषद् के अन्तर्गत जनपद मुरादाबाद में ग्रामीण क्षेत्र की 18 कन्या प्राइमरी पाठशालायें ऐसी हैं जिनमें अध्यापिकायें नहीं हैं । इन पाठशालाओं के दूरस्थ स्थित होने के कारण अध्यापिकाएं जाने को तैयार नहीं हुईं । अतः उक्त पाठशालाओं के संचालन हेतु बयोबृद्ध पुरुष अध्यापकों को उनमें नियुक्त किया गया है ।

हाजी मोहम्मद हयात—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि अध्यापिकाओं के स्थान पर अध्यापकों को नियुक्त करने के सम्बन्ध में शिक्षा परिषद् से अनुमति ली गयी थी ?

श्री अम्मार रिजवी—

यह स्थानीय मामला है और प्रश्न इस बात का है कि जहां पर विद्यालय हैं वहां पर पढ़ाई हो । यह स्थान बहुत दूर है और वहां पर अध्यापिकाएं जाना नहीं चाहती हैं इसलिये जो एल्डरली अध्यापक हैं, उनको रख दिया गया है ।

हाजी मोहम्मद हयात—

ऐसी कितनी अध्यापिकाएं हैं, जो अपने स्कूलों में नहीं गयीं ।

श्री अम्मार रिजवी—

18 ।

हाजी मोहम्मद हयात—

18 तो कन्या पाठशालाएं हैं । मैं अध्यापिकाओं की संख्या जानना चाहता हूं ।

श्री अम्मार रिजवी—

इस क्षेत्र में 322 कन्या प्राइमरी पाठशालाएं हैं जिनमें 60 नगरीय क्षेत्र की हैं और शेष जो हैं, वह रूरल एरिया में हैं । 238 पाठशालाओं में अध्यापिकायें नियुक्त हैं और बाकी के बारे में मैंने स्थिति निवेदन कर दिया ।

हाजी मोहम्मद हयात—

कितनी अध्यापिकाएं हैं जिनके स्थान पर अध्यापकों की नियुक्ति की गयी ?

श्री अम्मार रिजवी—

टोटल जो है उनको मैंने अभी बता दिया । 238 स्थानों पर अध्यापिकायें नियुक्त हैं और बाकी में जो स्थिति है उसका निवेदन कर दिया किसी विशेष विद्यालय या विशेष चीज की ओर अगर कोई इशारा कर रहे हैं, तो मुझे बता दें ।

हाजी मोहम्मद हयात—

18 कन्या पाठशालाओं में कितनी अध्यापिकाएं थीं जो नहीं गयीं ?

श्री अम्मार रिजवी—

मैंने निवेदन किया कि 18 विद्यालय ऐसे हैं जिनमें अध्यापिकाएं नहीं हैं उनके स्थान पर पुरुषों को भेजा गया है ।

श्री गोविन्द प्रसाद गैरोला—

मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि यह जो प्रश्न किया गया है कि इसका प्रभाव हर जिले पर पड़ेगा । दूरस्थ विद्यालयों में अध्यापिकाएं नहीं जाती हैं लेकिन निकटवर्ती स्थानों पर तो रह सकती हैं । आप देखते हैं कि बी0 टी0 सी0 वाली लड़कियां नियुक्ति नहीं पाती हैं तो कृपा कर उनको लड़कों के अनुपात में नियुक्त करने की कृपा करेंगे ।

श्री अम्मार रिजवी—

मान्यवर, यह प्रश्न बहुत व्यापक है । इस बात का पूरा प्रयास किया जा रहा है कि जहां पर कन्या स्कूल हैं वहां पर अध्यापिकाएं जाएं जिससे पढ़ाई में बाधा न हो, लेकिन जब वह नहीं जाती हैं तो पढ़ाई को ध्यान में रखते हुए पुरुषों की नियुक्ति की गयी है।

हाजी मोहम्मद हयात—

कुछ पाठशालायें नगर के करीब हैं और जहां पर केवल 3 अध्यापिकाओं की जरूरत है वहां पर 10–10 अध्यापिकाएं हैं, तो इसका क्या कारण है ?

श्री अध्यक्ष—

आप किसी स्थान को बताइये तभी तो ये बता सकेंगे ?

हाजी मोहम्मद हयात—

जनपद मुरादाबाद में ?

श्री अध्यक्ष—

पूरे जनपद मुरादाबाद की थोड़े ही सूचना मंत्री जी के पास होगी । अगर कोई दृष्टान्त आपको मालूम हो तो बता दें या आप लिख कर दे दीजिए ।

किसी तिथि के लिये निर्धारित प्रश्नों को स्थगित कराने के विषय में श्री काशी नाथ मिश्र द्वारा उठाया गया व्यवस्था का प्रश्न (क्रमागत)

श्री अध्यक्ष—

माननीय काशी नाथ मिश्र जी द्वारा उठाये गये प्रश्न के सम्बन्ध में प्रक्रिया कार्य संचालन नियमावली के नियम 40 को पढ़कर सुनाता हूं जिसमें प्रश्नों की वापसी अथवा उनका स्थगन दिया गया है । "कोई भी सदस्य उस उपवेशन के पूर्व जिसके लिये उसका प्रश्न सूचीबद्ध किया गया हो, सूचना देकर अध्यक्ष की सहमति से किसी भी समय अपने प्रश्न को वापस ले सकेंगे अथवा सूचना में निर्दिष्ट किसी आगामी दिन के लिये उसको स्थगित करने की प्रार्थना कर सकेंगे और नियम 34 के उपबन्धों के अधीन ऐसे आगामी दिन के लिये रखा गया प्रश्न उस दिन के निर्दिष्ट प्रश्नों की सूची के अन्त में रखा जायेगा ।"

प्रश्नोत्तर (क्रमागत)

मथुरा नगर माइनर के टूटने के फलस्वरूप फसल को क्षति

*6—श्री बेनी प्रसाद वर्मा (जिला बाराबंकी) (अनुपस्थित)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि 21 जनवरी, 1976 को या इसके आसपास शारदा सहायक परियोजना की दरियाबाद शाखा की मथुरा नगर माइनर के पास नहर कट गयी जिससे हजारों एकड़ फसल नष्ट हो गयी ? यदि हां, तो नहर कटने के क्या कारण हैं तथा प्रभावित किसानों के सम्बन्ध में सरकार क्या सहायता देगी ?

सिंचाई मंत्री (श्री लोकपति)—

अधिक पानी जाने के कारण पुरानी मथुरा नगर माइनर की पटरी टूट गयी थी जिसके कारण लगभग 110 एकड़ भूमि में पानी जाने से आंशिक रूप से प्रभाव पड़ा। प्रभावित कृषकों को मुआवजा देने की व्यवस्था की गयी है।

बांदा और हमीरपुर के अन्तर्गत भरुआ सुमेरपुर-पैलानी सड़क का निर्माण

*7—श्री बेनी प्रसाद वर्मा (अनुपस्थित)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जिला हमीरपुर के स्थान भरुआ सुमेरपुर से स्थान पैलानी, जिला बांदा की 19 किलोमीटर लम्बी सड़क का निर्माण कार्य कब प्रारम्भ हुआ था और अब तक कितनी सड़क बन चुकी है व उसमें कितना रुपया व्यय हुआ है तथा पूरी सड़क बन कर कब तक तैयार हो जायेगी और अभी उनमें कितना रुपया और खर्च होने की सम्भावना है ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

इस सड़क पर कार्य वर्ष 1970 में प्रारम्भ हुआ था।

जिला हमीरपुर में 10.50 कि0 मी0 मार्ग प्रथम सतह लेपन तक पूर्ण हो गया है तथा जिला बांदा में पड़ने वाले भाग पर कार्य प्रगति में है।

इस सम्पूर्ण मार्ग पर अब तक 32.38 लाख रुपया व्यय हो चुका है।

पूरी सड़क की माह जून, 1978 तक पूर्ण बन जाने की सम्भावना है।

इस मार्ग पर अभी 14.28 लाख रुपया और व्यय होने की सम्भावना है।

आजमगढ़ के ग्राम बसावनपुर में राजकीय नलकूप के निर्माण की मांग

*8—श्री दयाराम भास्कर (अनुपस्थित)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद आजमगढ़ के ग्राम बसावनपुर, डा0 अमिला में सरकारी नलकूप लगाने के सम्बन्ध में मई, 75 से फरवरी, 76 तक सिंचाई मंत्री को कितने प्रार्थना-पत्र मिले हैं ? क्या यह भी सही है कि इस सम्बन्ध में नलकूप न लगने की दशा में कितने आमरण अनशन करने की सूचना सम्बन्धी प्रार्थना-पत्र सरकार को दिया था ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री लोकपति—

तीन प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुये थे जिसमें आमरण अनशन सूचना सम्बन्धी प्रार्थना-पत्र भी है।

जांच के बाद इस ग्राम में एक राजकीय नलकूप का निर्माण सम्भव पाया गया है। अब यह विषय जिला परामर्शदात्री तथा चयन समिति में प्रस्तुत किया जायगा।

बलिया जिले में मेड़ी ड्रेन की जलोत्सारण योजना

*9—श्री निर्भय नारायण सिंह (जिला बलिया)—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बलिया जिले में टिएस बांध पर बने पर्वत र रेगुलेटर जो मेड़ी ड्रेन पर स्थित है उसके तली पर 1—1—76 को कितना पानी जमा था ? इसके कारण कितनी जमीन रबी बोने से वंचित रही ?

सिंचाई राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ चौधरी)—

मेड़ी ड्रेन पर स्थित पर्वतपुर रेगुलेटर का गेज बाढ़काल 15 जून से 15 अक्टूबर, तक ही पढ़ा जाता है। इस कारण 1—1—76 को पर्वतपुर रेगुलेटर के तली पर कितना पानी लगा था, बताना सम्भव नहीं है।

2—3—76 को निरीक्षण के समय तली पर एक मीटर पानी था तथा दिनांक 28-3-76 को 78 से0 मी0 पानी था। इस पानी के कारण दहताल एवं पंर्वतपुर रेगुलेटर के बीच में ड्रेन के दोनों किनारे पर अनुमानत: 30 एकड़ भूमि रबी की बोआई से वंचित रही।

श्री निर्भय नारायण सिंह—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जितनी ड्रेन्स बनती हैं, उनका आशय यह होता है कि रबी की फसल के पूर्व ही पानी निकाल लिया जाय ताकि रबी की फसल की बुआई हो सके। इसके लिये 15 अक्तूबर की तारीख निर्धारित है। लेकिन मार्च तक उसमें 1 मीटर पानी लगा हुआ था। तो पहले से पानी की निकासी न होने के क्या कारण हैं ?

श्री जगन्नाथ चौधरी—

उत्तर में बताया गया है कि 30 एक: भूमि बुआई के बिना रह गई। तो ड्रेन से सारा पानी तो निकाल ही लिया गया था।

श्री निर्भय नारायण सिंह—

ड्रेन टैक्नीकल चीज है। अत: मैं चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी सोच समझ कर उत्तर दें। ये इन्जीनियरिंग प्वाइंट से बनती हैं। उसी के मुताबिक यह होता है कि जितना कैचमेंट एरिया हो, उसी हिसाब से लम्बाई, चौड़ाई और गहराई होती है और वे इस डिजाइन से बनती हैं कि रबी की बुआई के पहले अपने कैचमेंट एरिया का सारा पानी निकाल सकें। इसके लिये 15 अक्तूबर की तारीख रखी गई है। पर मार्च तक एक मीटर पानी लगा हुआ था तो मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि किस कारण से पानी की निकासी नहीं हुई ?

श्री जगन्नाथ चौधरी—

उनकी जो मंशा है सरकार ने पूरा कर दिया, मेड़ी ड्रेन की सफाई का काम शुरू हो गया है।

श्री अध्यक्ष—

दोनों तरफ सोच-विचार का आग्रह है।

श्री निर्भय नारायण सिंह—

मैं आपके माध्यम से आश्वासन चाहूंगा कि अगले सीजन में इस तरह की गड़बड़ी नहीं होगी और 15 अक्तूबर तक इसका पानी निकल जायगा।

श्री अध्यक्ष—

दोनों एक ही जिले के हैं, बलिया जिले के और आपके बीच संचार और सम्पर्क के रास्ते में कोई बाधा नहीं है।

बस्ती जिले के नगवा-चेतिया बांध का कथित टूटना

*10—श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती) (अनुपस्थित)—

क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जिला बस्ती तहसील बांसी में बूढ़ी राप्ती नदी के दाहिने किनारे पर नगवा चेतिया नाम का बांध था जो गत बाढ़ में टूट गया और कई सौ गांवों की फसल नष्ट हो गयी ? यदि हां, तो कितनी हानि हुयी ? और क्या यह सच है कि वह बांध इस लिए टूट गया कि उस बांध की मरम्मत होने का आदेश होते हुए भी समय पर ठीक प्रकार से मरम्मत नहीं हुयी केवल कुछ खानापूरी हो गयी ? यदि हां, तो जिम्मेदार अफसरों के खिलाफ सरकार ने क्या किया है ?

श्री लोकपति—

जी नहीं। गत बाढ़ में नगवा-चेतिया बांध नहीं टूटा था। अत: किसी अफसर के विरुद्ध कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता।

बस्ती जिले में बूढ़ी राप्ती की बाढ़ से कतिपय ग्रामों को क्षति

*11—श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (अनुपस्थित)—

क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बस्ती जिले की बांसी तहसील में स्थित ग्राम सूया, भगवतपुरा, छेरिया में बूढ़ी राप्ती नदी के गत बाढ़ से पानी के बहाव के कारण काफी घर गिर गए और सदैव के लिए इस प्रकार घर गिरने का खतरा हो गया ? यदि हां, तो सरकार ने उक्त गांव के बचाव के लिये क्या सोचा है ?

श्री लोकपति—

जी हां, गत बाढ़ में ग्राम सूया, भगौतापुर व छेरिया को बूढ़ी राप्ती के बहाव के कारण काफी क्षति हुई तथा ग्रामों को भविष्य में भी खतरा रहने की सम्भावना है।

ग्राम भगौतापुर नम्बर 1, 2 जो नदी के किनारे हैं, की सुरक्षा हेतु योजना सिंचाई विभाग के विचाराधीन है ।

ग्राम सूया, छेरिया की सुरक्षा से सम्बन्धित, एक बांध ग्रामीण अभियंत्रण विभाग के निर्माणाधीन है ।

गोरखपुर विश्वविद्यालय के शिक्षा विभाग की कथित जांच तथा विधि की परीक्षाओं के परीक्षाफल की घोषणा

*12—श्री राम अधार (जिला आजमगढ़) (अनुपस्थित)—

क्या सरकार कृपया बताएगी कि सन् 1970 व दिसम्बर, 75 के बीच कितनी बार गोरखपुर विश्वविद्यालय के परीक्षा विभाग के अनियमितता व ठीक ढंग से कार्य न करने के सम्बन्ध में शासन की ओर से जांच करायी गयी ? जांच के फलस्वरूप दोषी अधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही न करने का क्या कारण है ?

श्री अम्मार रिजवी—

शासन की ओर से कोई जांच नहीं करायी गयी ।

*13—श्री राम अधार—

क्या सरकार कृपया बताएगी कि गोरखपुर विश्वविद्यालय व उससे सम्बन्धित कालेजों में विधि की परीक्षा के प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा, मई सन् 75 में समाप्त हुई थी और क्या सरकार को यह भी पता है कि द्वितीय सेमेस्टर की परीक्षा की तिथि 15 फरवरी, 76 घोषित की गयी है ? यदि हां, तो क्या कारण है कि प्रथम सेमेस्टर का परीक्षाफल 6 फरवरी, 76 तक नहीं निकल पाया ?

श्री अम्मार रिजवी—

जी हां । द्वितीय सेमेस्टर 1975 की परीक्षा तिथि 16-2-76 घोषित नहीं हुई, द्वितीय सेमेस्टर 1975 की परीक्षा 17 अक्तूबर से 31 अक्तूबर, 1975 को सम्पन्न हुई। विधि विषय के प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा के परिणाम तथा द्वितीय सेमेस्टर की परीक्षा के परिणाम टयुटोरियल के अंकों के साथ घोषित किये जाते हैं । इन दोनों परीक्षाओं के परिणाम जनवरी/फरवरी 1976 में घोषित किये गये ।

देवरिया के उदित नारायण इन्टर कालेज के दो समानान्तर प्रधानाचार्यों द्वारा अग्रसारित आवेदन-पत्र

*14—श्री पुरुषोत्तम कौशिक (जिला देवरिया) (अनुपस्थित)—

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि देवरिया जनपद के पडरोना नगर में उदित नारायण इन्टर कालेज में प्रबन्ध समितियों के विवाद के कारण दो समानान्तर प्रधानाचार्य हैं तथा चार सौ विद्यार्थियों के हाई स्कूल तथा इन्टर के वर्ष 75-76 के आवेदन पत्र माध्यमिक शिक्षा परिषद्, इलाहाबाद ने अभी तक स्वीकृत नहीं किए हैं जिससे स्थिति विस्फोटक हो गयी है ? यदि हां, तो इस दिशा में शासन कदम उठाएगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी—

दोनों प्रधानाचार्यों द्वारा हाई स्कूल तथा इन्टर के आवेदन पत्र माध्यमिक शिक्षा परिषद्, इलाहाबाद को अग्रसारित किये गये थे तथा परिषद् द्वारा सभी परीक्षार्थियों को परीक्षा में बैठने की अनुमति दे दी गई । अतः शेष भाग का प्रश्न नहीं उठता ।

संस्कृत पाठशालओं तथा अरबी मदरसों (मकतबों) को जिला परिषदों तथा नगरपालिकाओं का अनुदान

*15—श्री पुरुषोत्तम कौशिक (अनुपस्थित)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला परिषद् तथा नगरपालिकाओं से संस्कृत पाठशालाओं को दिया जाने वाला अनुदान वर्ष 73–74 से रोक दिया गया है और क्या इसके साथ अरबी मदरसों (मकतबों) का अनुदान भी रोक दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी—

वांछित सूचना एकत्रित की जा रही है ।

रामगंगा पर निर्माणाधीन रानी बांध के विरुद्ध सतर्कता अधिष्ठान सिंचाई कोष्ठ द्वारा जांच

*16—श्री बाबू लाल वर्मा (जिला बहराइच) (अनुपस्थित)—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सतर्कता विभाग के सिंचाई कोष्ठ ने अफजलगढ़ सिंचाई खंड, धामपुर, बिजनौर परियोजना में करीब 3 लाख रुपये का घपला पकड़ा है तथा 1973 में राम गंगा नदी पर रैनी के पास बना अस्थायी बांध टूटा था। जिसको दोबारा बनाने में करीब 9 लाख रुपये का खर्चा दिखलाया गया था ? यदि हां, तो गबन के इस मामले में कौन-कौन लोग पकड़े गये और अब तक सरकार ने इस मामले में क्या कार्यवाही की ?

श्री लोकपति—

अफजलगढ़ फीडर चैनेल निर्माण मण्डल सिंचाई विभाग, मुरादाबाद के तत्कालीन अधीक्षण अभियन्ता सर्व श्री शिवराज सिंह एवं पी0 एल0 विजय तथा अफजलगढ़ सिंचाई खंड के अधिशासी अभियन्ता सर्वश्री वाई0 एन0 गुप्ता एवं प्रभात कुमार गुप्ता, श्री के0 एम0 पान्डे, सहायक अभियन्ता तथा सुरेश मोहन शर्मा, अवर अभियन्ता के विरुद्ध उत्तर प्रदेश सतर्कता अधिष्ठान के सिंचाई कोष्ठ द्वारा जांच की जा रही है। अब तक की जांच से वर्ष 1973 में रामगंगा नदी पर रैनी डाइवर्जन बांध के निर्माण के सम्बन्ध में रुपया 6,57,400 की धनराशि के व्यय में की गई अनियमितायें प्रकाश में आई हैं। इन अनियमितताओं के सम्बन्ध में सतर्कता अधिष्ठान के सिंचाई कोष्ठ द्वारा जांच अभी जारी है ।

इलाहाबाद में गुनौरा का नलकूप तथा कृषकों पर लगाया गया सिंचाई शुल्क

*17—श्री अठई राम (जिला इलाहाबाद) (अनुपस्थित)—

क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इलाहाबाद जनपद में तहसील हंडिया में नलकूप नं0 276 एच0 गुनौरा में बहुत दिनों से मोटर न होने के कारण नजदीक एवं दूर के कृषकों की सिंचाई दर एक ही लिखी गयी है और जो कृषक कम पानी खेत में लगाते हैं और जो अधिक पानी लगाते हैं उनकी सिंचाई भी बराबर लिखी जाती है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री लोक पति—

प्रश्नगत नलकूप का मीटर 3–12–74 से खराब है । नजदीक एवं दूर के कृषकों के लिये सिंचाई की दर एक ही होती है। परन्तु सिंचाई शुल्क प्रत्येक कृषक से पानी की मात्रा के अनुसार लिया जाता है जो चलित घंटो के आधार पर निकाला जाता है।

[5 मई, 1976 के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न]

फर्रुखाबाद के बेसिक विद्यालयों की क्रीड़ा प्रतियोगिता में व्यय की गयी धनराशि में बरती गई अनियमितताएं

*1—श्री विमल प्रसाद तिवारी (जिला फर्रुखाबाद)—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि फर्रुखाबाद जनपद के बेसिक विद्यालयों की 1973 में हुई जनपदीय क्रीड़ा प्रतियोगिता में कुल कितना व्यय हुआ ? क्या इस क्रीड़ा प्रतियोगिता के अवसर पर विभिन्न ठेके ऊंची दरों पर अनियमित रूप से दिए गए ? यदि हां, तो यह बताने की कृपा करें कि कौन-कौन अधिकारी दोषी थे और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

श्री अम्मार रिजवी—

जनपद फर्रुखाबाद के बेसिक विद्यालयों की 1973 में हुई जनपदीय क्रीड़ा प्रतियोगिता में रु0 17,173 व्यय हुआ। जहां तक ठेके दिये जाने का प्रश्न हैं केवल लाउडस्पीकर का ठेका ऊंची दर पर दिया गया था। इसके संबंध में तत्कालीन प्रति उप विद्यालय निरीक्षक, जो कि प्रतियोगिता के प्रभारी थे, से स्पष्टीकरण मांगा गया है और उनका स्पष्टीकरण प्राप्त होने पर उचित कार्यवाही की जायेगी ।

श्री विमल प्रसाद तिवारी—

तत्कालीन उप-विद्यालय निरीक्षक कौन थे और किस तिथि को और किस तिथि तक उनसे स्पष्टीकरण देने के लिये कहा गया था ?

श्री अम्मार रिजवी—

श्री काशीनाथ गुप्ता उनका नाम था और उस समय ये वहां पर उप-विद्यालय निरीक्षक थे और इसके बाद जिस समय कम्प्लेन्ट आयी है और जो रेट्स दिये गये हैं, उनसे स्पष्टीकरण मांगा गया है ।

श्री विमल प्रसाद तिवारी—

मैंने एक निश्चित तिथि पूछी थी कि जिस तिथि को स्पष्टीकरण मांगा गया और जिस तिथि तक उत्तर देने के लिये कहा गया, क्योंकि यह कम्प्लेंट सन् 74 से चल रही है ।

श्री अम्मार रिजवी—

इसकी निश्चित तिथि तो नहीं है, नोटिस की जरूरत है ।

श्री विमल प्रसाद तिवारी—

क्या मंत्री जी को जानकारी है कि जो मसानी में महिला विद्यालय है वहां इन्होंने एम्बैजिलमेंट किये थे और ये अस्थायी थे तो इनको हटाये जाने की कार्यवाही होनी थी, क्योंकि टेम्पोरेरी हैं, और भी कई आरोप रहे, तो क्या कोई बड़े अधिकारी इनको शील्ड कर रहे हैं कि बार-बार स्पष्ट आरोप सिद्ध होने पर भी कोई कार्यवाही नहीं होती है ? इनका स्थानान्तरण फर्रुखाबाद से हमीरपुर हुआ था और एक दिन वहां नहीं गये और उस अधिकारी की वजह से कानपुर ट्रांस्फर करने में सफल हो गये ?

श्री अम्मार रिजवी—

जहां तक कि उस शिकायत का प्रश्न है, उसमें जांच हुई होगी, चूंकि उसका हवाला इस प्रश्न में नहीं दिया, इस समय सूचना देना इस संदर्भ में संभव नहीं है, लेकिन जहां तक दूसरे प्रश्न का संबंध है, कोई उच्च अधिकारी किसी प्रकार का बचाने का प्रयत्न करे, इन्होंने जो काम किया है, जैसा कि आंकड़े हैं कि इन्होंने गलती की है तो इनको उसकी सजा जरूर मिलेगी ।

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)—

कल मैंने शिक्षा के बजट पर भी बोलते हुये कहा था कि प्रत्येक जिला विद्यालय निरीक्षक भ्रष्टाचार में लिप्त है। तो मैं यह जानना चाहूंगा कि आपके कोई फाइनैन्शल रूल्स होंगे। तो बगैर कोटेशन्स मंगाये इतना खर्चा कर दिया, क्या यही एक आरोप काफी नहीं है, उनको सजा देने के लिये ?

श्री अम्मार रिजवी—

कोटेशन्स मंगाये गये। चार फर्म्स ने कोटेशन्स दिये, वर्मा इलेक्ट्रिकल ऐण्ड साउन्ड सर्विस, ए–वन साउन्ड सर्विस, फतेहगढ़, मनोज विद्युत् केन्द्र, रेलवे रोड, फतेहगढ़ और सुन्दर रेडियोज। ए–वन साउन्ड सर्विस, फतेहगढ़ को इसका ठेका दिया गया। और जो कारण इन्होंने दूसरे कोटेशन्स को रिजेक्ट करने का बताया है, उसमें कहा है कि यह अपूर्ण है इस कारण उन्होंने इसको रिजेक्ट किया।

श्री काशीनाथ मिश्र—

अभी माननीय मंत्री जी ने कहा कि लाउड स्पीकर के मामले में गड़बड़ी है तो किस आधार पर आप कहते हैं कि गड़बड़ी रही और अधिक खर्च किया ?

श्री अम्मार रिजवी—

जो दाम उन्होंने लिखे थे, जैसे वर्मा ने 15, ए–वन ने 30, मनोज ने 40 और सुन्दर रेडियोज ने 80। 15 रु0 लोएस्ट था और 30 वाले को दिया गया। उनका कहना था कि उसमें पूरा विवरण नहीं था, इस वजह से रिजेक्ट कर दिया।

श्री काशीनाथ मिश्र—

जब लोएस्ट कोटेशन आया तो रूल्स के मुताबिक उसी को देना चाहिये था, 30 वाले को ही दिया ? जब आप कोटेशन के लिये निकालते हैं तो आप अपनी रेक्वीजिट्स भी निकालते हैं.....

श्री अध्यक्ष—

वह तो खुद मान चुके हैं कि देखने से गलत मालूम होता है।

श्री काशी नाथ मिश्र—

जब फाइनेन्शल रूल्स के खिलाफ काम किया तो उनको निलम्बित करने में शासन को क्या कठिनाई है ?

(उत्तर के लिये मंत्री को पुकारा नहीं गया।)

श्री गोविन्द प्रसाद गैरोला—

जब इमरजेन्सी लागू हो गयी है और भ्रष्टाचार का उनके विरुद्ध आरोप है तो क्या माननीय मंत्री जी इमरजेन्सी के रूल्स का प्रयोग करते हुये सदन को यह आश्वासन देंगे कि इनको तुरन्त निलम्बित किया जायगा ?

श्री अध्यक्ष—

एक बारगी कैसे निलम्बित करें ? वह कह रहे हैं कि गलती मालूम पड़ती है। उसकी छानबीन करेंगे।

श्री अम्मार रिजवी—

सरकार का किसी प्रकार यह मंशा नहीं है कि किसी भी भ्रष्ट अधिकारी को बचाया जाय। जो कोटेशन की बात आयी, तो यह जरूर है कि सब कोटेशन्स देखने में लगा कि गलत किया, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि बिल्कुल लोएस्ट वाले को दे दिया जाय। कोई फर्म जो मौजूद नहीं है, कोई फर्म जिसका काम अच्छा पहले अच्छा नहीं रहा है तो वह जरूरी नहीं है कि उसका कोटेशन मान लिया जाय। तो यह देख कर कि उसका कोटेशन सब से कम था और नहीं माना गया, उसके ऊपर ऐक्शन लेना उचित नहीं होगा जब तक पूरे तथ्य सामने न आ जायं। पूरे तथ्य जब सामने आ जायेंगे, तो जो भी कार्यवाही हो सकती है, होगी, उसमें किसी प्रकार की कोई रियायत नहीं की जायगी।

श्री विमल प्रसाद तिवारी—

जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, कितना समय उस स्पष्टीकरण के आने में लगेगा ? 1974 से निरन्तर शिकायत चल रही है और 76 हो गया। और भी जैसा मैंने बताया मैंने क्वेश्चन किया, मंत्री जी ने आश्वासन दिया कि कार्यवाही होगी लेकिन फिर भी कोई कार्यवाही नहीं हुई। तो कितना समय लगेगा, कोई निश्चित अवधि बताने की कृपा करें ?

श्री अम्मार रिजवी—

इसमें विलम्ब हुआ है इससे इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन अब सारी कार्यवाही एक महीने के अन्दर ही करके माननीय सदस्य को उसकी सूचना दे दी जायेगी।

फर्रुखाबाद के बेसिक शिक्षा कार्यालय के अधिकारियों द्वारा मोम व एयर गन की खरीद

*2—श्री विमल प्रसाद तिवारी—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1973–74 में जिला फर्रुखाबाद बेसिक शिक्षा कार्यालय के अधिकारियों ने मोम व एयर गनें खरीदीं ? यदि हां, तो इस खरीद पर कितनी धनराशि व्यय की गई तथा क्या यह खरीद नियमानुसार हुई थी ?

श्री अम्मार रिजवी—

जी हां।

इस खरीद पर कुल 6,559 रु0 02 पैसे व्यय किया गया तथा यह खरीद नियमानुसार हुई थी।

श्री विमल प्रसाद तिवारी–

इस खरीद के लिये जिस अधिकारी की नियुक्ति की गयी थी, वह कौन था तथा कितनी संख्या में खरीद की गयी ?

श्री अम्मार रिजवी—

नाम है श्री सत्यव्रत राय। 9-10-73 को एयर गनों की खरीदारी की गयी थी, 5398.20 रुपये की यह खरीदारी की गयी। मोम की खरीदारी 621 रुपये की की गयी।

श्री काशीनाथ मिश्र—

यह एयर गन मान्यवर, 4 आने 8 आने की लकड़ी की होती है, हम जानना यह चाहते हैं कि कितनी एयर गन खरीदी गयीं। मोम की भी संख्या बतायें कि कितनी केन्डिल्स खरीदी गयीं ?

श्री अम्मार रिजवी—

मान्यवर, यह एयर गन वैसे नहीं हैं, लकड़ी की जैसी कि माननीय सदस्य समझ रहे हैं। इसमें एक स्प्रिंग लगा रहता है। इसके लिये कोटेशन्स आदि मांगे गये थे और उसके आधार पर लोएस्ट टेन्डर के आधार पर यह खरीदी गयी थीं। मोम भी मोमबत्ती बनाने के लिये खरीदा गया। उसके भी टेन्डर्स मांगे गये थे। 149 रुपये का एयर गन का लोएस्ट टेन्डर था और 20.75 रुपये का मोम बत्ती का टेन्डर था।

श्री काशीनाथ मिश्र—

श्रीमन्, यह एयर गन 36, 38 या 40 रुपये में बाजार में मिलती हैं, जिनका परेड में इस्तेमाल होता है.....

श्री अध्यक्ष—

आप 4 आने, 8 आने से 40 रुपये पर आ गये (हंसी)।

श्री काशीनाथ मिश्र—

श्रीमन्, वे संख्या बतायें कि कितनी खरीदी गयीं ?

श्री अम्मार रिजवी—

श्रीमन्, मैं सम्मानित सदस्य को वह बन्दूक यहां दिखाऊं, यह तो धृष्टता मैं नहीं कर सकता, लेकिन जिस एयर गन का माननीय सदस्य जिक्र कर रहे हैं, यह उससे दूसरी है। वह टुआय गन दूसरी होती है, यह दूसरी है।

यह 149 रुपये का एयर गन सस्ता मालूम पड़ता है जो बाजार में 450–500 रुपये से कम का नहीं है और स्प्रिंग वाला गन 700–800 रुपये का मिलता है।

श्री काशीनाथ मिश्र—

जो गन खरीदा गया है, क्या उसका एक नमूना माननीय मंत्री जी इस आदरणीय सदन के सामने लाकर पेश करेंगे ?

श्री अध्यक्ष—

यहां नहीं। अगर माननीय मंत्री जी चाहें तो माननीय काशी नाथ जी के कमरे में जाकर ऐसा कोई प्रदर्शन का काम करें ताकि वे आश्वस्त हो जायं। (हंसी)

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टिहरी-गढ़वाल)—

माननीय मंत्री जी ने बतलाया है कि करीब 6 हजार रुपये का मोम खरीदा गया, जिससे मोमबत्तियां बनायी गयीं, तो क्या माननीय मंत्री जी को इस बात का ज्ञान है कि जो मोम खरीदा गया, उससे जो मोमबत्तियां बनी हैं वे आपके यहां रजिस्टर स्टाक में भी दर्ज हैं ? यदि नहीं मालूम है, तो क्या वे उसे जानने की कृपा करेंगे ?

श्री अम्मार रिजवी—

जैसा कि मैंने शुरू में ही निवेदन किया कि कितनी मोमबत्तियां बनी हैं और किस तरह से उनकी स्टाक एन्ट्री हुई है इसकी पूरी जानकारी सम्मानित सदस्य जानना चाहते हैं, तो मालूम करके भेज दी जायेगी। दूसरी बात के लिये जो आपने आदेश दिया है कि सम्मानित सदस्य के कक्ष में जाकर एयर गन दिखला दें, तो बाद में मेरी सुरक्षा की जिम्मेदारी सदन के ऊपर आती है क्योंकि बाद में यहां यह प्रदर्शन न होने लगे कि मैं उनके यहां बन्दूक लेकर चला गया था।

श्री अध्यक्ष—

बन्दूक तो दूर की बात है, आप उनको आंख भी नहीं दिखा सकते हैं।

(हंसी)

आजमगढ़ जिले में घाघरा नदी के कटाव को रोकने की कार्यवाही

*3—श्री राम सुन्दर पांडेय—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जिले में कौन–कौन स्थान ऐसे हैं जहां पर घाघरा नदी के कटान के कारण हजारों एकड़ खेती की भूमि और आबादी पर प्रभाव पड़ा है ? नदी के कटान को रोकने के लिये क्या सरकार की ओर से कोई प्रभावकारी कार्यवाही की गयी या भविष्य में कोई योजना है ? यदि हां, तो क्या ?

श्री जगन्नाथ चौधरी—

आजमगढ़ जिले में घाघरा नदी के कटान से प्रभावित स्थानों की सूची संलग्न है।

पिछले वर्षों में कई स्थानों पर कटान रोकने के लिये कार्य किये गये पर कटान नहीं रोका जा सका।

कटान रोकने की इस समय कोई योजना विचाराधीन नहीं है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 869 पर)

श्री रामसुन्दर पांडेय--

क्या सिचाई मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि पिछले वर्ष किन-किन स्थानों पर कटान रोकने की व्यवस्था की गयी और कितना रुपया उस पर खर्च हुआ था ?

श्री जगन्नाथ चौधरी--

कटान से प्रभावी ग्रामों की सूची तो आपके पास मौजूद है। यदि आप आज्ञा दें तो मैं उसको पढ़ कर सुना दूं।

श्री राम सुन्दर पांडेय--

मैंने तो पूछा है कि कौन-कौन कार्य किये गये और उन पर कितना रुपया खर्च हुआ था ?

श्री जगन्नाथ चौधरी--

इसके लिये सूचना की अवश्यकता पड़ेगी।

श्री राम सुन्दर पांडेय--

क्या माननीय सिचाई मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि कटान रोकने के लिये, जो इस समय कोई योजना सरकार के विचाराधीन नहीं है, इसका कारण यह है कि सरकार कटान को रोकना पसन्द नहीं करती है ? क्योंकि पिछले साल सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट से इस काम के लिये 16 लाख रुपया आया था, जो खर्च नहीं किया गया और वह लैप्स हो गया था। तो क्या सरकार इस पर गम्भीरतापूर्वक विचार करेगी कि लाखों और करोड़ों रुपये की सम्पत्ति जो हर साल कटाव से बर्बाद हो रही है, उसे रोकने के लिये कोई योजना सरकार के विचाराधीन क्यों नहीं है ?

श्री जगन्नाथ चौधरी--

40 लाख रुपया प्रति मील कटान रोकने के लिये खर्च करना पड़ता है। इसके बावजूद यह भी सही है कि जहां कटान रुकता है, उससे आगे हट कर दूसरी जगह कटान होने लगता है। तो इस तरीके से यदि पूरे घाघरा नदी के कटान को रोकने की व्यवस्था की जाय तो करोड़ों और अरबों रुपये का हिसाब बैठता है। इस तरह से फिलहाल सरकार के लिये यह सम्भव नहीं दिखलायी पड़ता है।

श्री राम सुन्दर पांडेय--

मान्यवर, मैंने पूछा था कि क्या भारत सरकार के पास कोई योजना बनाकर उत्तर प्रदेश सरकार ने भेजा है, बड़े पैमाने पर जो कटान होता है, उसको रोकने के लिये ?

श्री जगन्नाथ चौधरी--

इस वक्त कोई योजना नहीं है।

श्री राम सुन्दर पांडेय--

मान्यवर, कारण क्या है कि योजना नहीं है। कटान की योजना आप क्यों नहीं बनाते ? करोड़ों रुपये की सम्पत्ति का नुकसान कटान से होता है ?

श्री जगन्नाथ चौधरी--

मैंने पहले ही बता दिया है कि एक मील कटान रोकने की व्यवस्था करने के लिये 40 लाख रुपये लगते हैं। तो इस तरीके से यह संभव नहीं है कि अगर एक जगह कटान रोक दिया जाय तो दूसरी जगह बन्द हो जाय। तो कटान को रोकने के लिये बहुत धन की आवश्यकता होगी ? अगर इतना धन उपलब्ध हो जाय तो कटान के रोकने पर विचार किया जा सकता है।

श्री राम सुन्दर पांडेय--

आपने कोई योजना बनाकर भारत सरकार के पास भेजा क्यों नहीं ? इसका जवाब दें ?

श्री लोकपति--

अध्यक्ष जी, बाढ़ और कटान संबंधी योजनायें भेजी जा चुकी हैं। उनकी लागत बहुत है। भारत सरकार से योजना बद्ध रूप से बाढ़ और कटान को रोकने के लिये धन प्राप्त होता है। इस वर्ष 76-77 में 7 करोड़ रुपये कुल प्राप्त हुये हैं। हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि यह धनराशि बढ़ा दी जाय। घाघरा, गंगा जमुना जो बड़ी नदियां हैं, जिनमें कटान हो रहा है, उनके ऊपर विशेष प्रयास हो रहे हैं। आपके माध्यम से मैं माननीय सदस्य को आश्वासन देना चाहता हूं कि अगर केन्द्र सरकार ने धन की मात्रा बढ़ायी तो अवश्य इन कार्यों को पूर्ण किया जायगा।

*4--श्री बाबू लाल वर्मा--

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त।]

*5--श्री बाबू लाल वर्मा--

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त।]

दोहरी घाट सहायक परियोजना के निर्माणाधीन साइफन के विरुद्ध शिकायती-पत्रों की जांच

*6--श्री राम सुन्दर पांडेय--

क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या दोहरीघाट सहायक परियोजना (बलिया) के साइफन के निर्माण का प्राक्कलन 5 लाख रुपया है और उसके निर्माण के लिये लाइम स्टोन पत्थर तथा मलदहिया, मऊनाथ भंजन (आजमगढ़) का बालू प्रयोग किया जा रहा है एवं उक्त परियोजना की अनेकानेक अनियमितताओं के सम्बन्ध में गत मास 1975 में पत्र सिंचाई मंत्री, मुख्य अभियन्ता तथा अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता को प्राप्त हुए हैं? यदि हां, तो उक्त शिकायतों की जांच किस अधिकारी द्वारा करायी गई और अब तक का परिणाम क्या है?

श्री जगन्नाथ चौधरी--

जी हां, दोहरी घाट सहायक परियोजना के साइफन के निर्माण का प्राक्कलन 5 लाख रुपया है। उसके निर्माण में डाला क्योरी का पत्थर जिसमें कुछ भाग लाइम स्टोन का है, प्रयोग किया जा रहा है। मलदहिया, मऊनाथ भंजन (आजमगढ़) की बालू नहीं प्रयोग की जा रही है।

उक्त परियोजना में अनियमितताओं के सम्बन्ध में मार्च व अप्रैल, 1975 में 5 व्यक्तियों के शिकायती-पत्र प्राप्त हुए। उनमें की गयी शिकायतों की जांच अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता (बाढ़) सिंचाई विभाग द्वारा कराई गयी थी। परन्तु चूंकि सतर्कता अधिष्ठान स्वयं इस मामले में खुली जांच कर रहा है, अतः विभागीय जांच पर कार्यवाही न करके सतर्कता अधिष्ठान की जांच के परिणाम की प्रतीक्षा की जा रही है।

श्री राम सुन्दर पांडेय--

मान्यवर, क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि एग्रीमेन्ट डाला कि क्वीरी के पत्थर का किया गया, लेकिन लाइम स्टोन का इस्तेमाल किया जा रहा है?

श्री जगन्नाथ चौधरी--

इसको तो मैं इसी में बता चुका हूं। इसी उत्तर में जवाब दे चुका हूं।

श्री राम सुन्दर पांडेय--

इसमें कहा गया है कि निर्माण में डाला क्वीरी का पत्थर जिसमें कुछ भाग लाइम स्टोन का है, प्रयोग किया जा रहा है। तो मैं जानना चाहता हूं कि ठेकेदार के साथ जो एग्रीमेन्ट हुआ था, वह डाला की मिट्टी के लिये हुआ था या लाइम स्टोन के लिये?

श्री जगन्नाथ चौधरी--

जहां का एग्रीमेन्ट हुआ था, वहीं का है।

श्री राम सुन्दर पांडेय—

मैं पूछना चाहता हूं कि एग्रीमेन्ट डाला की गिट्टी के लिये हुआ था और लाइम स्टोन की गिट्टी का इस्तेमाल हो रहा है। यह ऐसी गिट्टी है, जो गल जाया करती है। इससे जो निर्माण हो रहा है, 5 लाख रुपये का वह खराब हो जायगा। तो मैं फिर दोहराना चाहता हूं कि जो एग्रीमेंन्ट बनाने के लिए हुआ था, वह किस पत्थर की गिट्टी के लिये हुआ था ?

श्री जगन्नाथ चौधरी—

मान्यवर, जहां जिस चीज का एग्रीमेंट हुआ था, वह इस्तेमाल हुआ है। कहीं किसी प्रकार का संदेह है, तो माननीय सदस्य लिखकर दें, तो मैं उसकी पूरी जानकारी कर लूंगा ।

श्री गोविन्द सिंह नेगी—

मान्यवर, मैं प्रश्न के दूसरे भाग से संबंधित उत्तर के सम्बन्ध में जानना चाहता हूं। क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जो अनियमितताओं की शिकायतें थीं, वह क्या थीं, किन अधिकारियों के विरुद्ध थी ? और जो अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता ने जांच की तो उसमें किसी अधिकारी को दोषी पाया गया या नहीं ?

श्री जगन्नाथ चौधरी—

मैंने निवेदन किया कि सर्तकता विभाग खुली जांच कर रहा है। तो जब तक उसकी जांच रिपोर्ट न आये, तब तक कोई बात बताना मेरे लिये उचित नहीं है।

श्री गोविन्द सिंह नेगी—

वह शिकायतें क्या थीं, तो मालूम हो जायगा कि सतर्कता विभाग क्या जांच कर रहा है। जो शिकायतें हैं, वह क्या हैं ?

श्री जगन्नाथ चौधरी—

श्री मधई सिंह, सहायक अभियन्ता के खिलाफ शिकायत है। उन्होंने श्री मंजु राम, सूरजबली, बैजनाथ आदि से बिना अधिशासी अभियंता के बताये कार्य लिया। दूसरी शिकायत श्री बैजनाथ ठेकेदार को बिना जमानत लिये कार्य दिया और तीसरी शिकायत है कि कार्य-स्थल के निकट घाघरा नदी में बालू उपलब्ध होने के बावजूद अपने विवेक से काम न लेकर 35 किलोमीटर दूर से बालू मंगाया। इस तरह की कई शिकायतें हैं।

श्री रामसुन्दर पांडेय—

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि अतिरिक्त मुख्य अभियंता (बाढ़) ने जांच की और उसके फलस्वरूप अधिकांश शिकायतें सही पायी गयीं, तो उन कर्मचारियों के खिलाफ विभागीय कार्यवाही करने में क्या दिक्कत है ?

श्री जगन्नाथ चौधरी—

मान्यवर, जहां तक जानकारी है जिनके खिलाफ शिकायत मिली, तत्काल उनको उस स्थान से अन्यत्र ट्रान्सफर कर दिया। लेकिन जब तक सतर्कता विभाग के द्वारा सही रिपोर्ट न मिल जाय, तब तक किसी को सजा देना मुनासिब नहीं है।

*7—श्री ऊदल—

[6वें गुरुवार में तारांकित प्रश्न संख्या 3 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

*8—श्री ऊदल—

[माननीय सदस्य की प्रार्थना पर स्थगित ।]

आजमगढ़ के ग्राम लसड़ा खुर्द के आस-पास क्षेत्रों के लिए सिंचाई व्यवस्था की मांग

*9—चौधरी रामपाल सिंह यादव (जिला कानपुर)—

क्या सिंचाई मंत्री की जानकारी है कि आजमगढ़ जनपद तहसील फूलपुर के विकास क्षेत्र मारटीनगंज में स्थित ग्राम लसड़ा खुर्द एवं उसके आसपास के गांवों में सिंचाई का कोई

साधन न होने से गत कई वर्षों से खेती का बहुत ही नुकसान हो रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार वहां के निवासियों की कठिनाई को देखते हुए ट्यूबवेल लगवा कर अविलम्ब सिंचाई की व्यवस्था करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री जगन्नाथ चौधरी—

प्रश्नगत क्षेत्र में शारदा सहायक परियोजना का विस्तार हो रहा है। अतः उक्त क्षेत्र में नलकूप निर्माण प्रस्तावित नहीं है।

चौधरी रामपाल सिंह यादव—

मान्यवर, क्या मंत्री जी बतायेंगे कि शारदा सहायक परियोजना का विस्तार हो रहा है तो उसमें सिंचाई के लिये पानी कब तक उपलब्ध हो जायेगा ?

श्री जगन्नाथ चौधरी—

प्रयास किया जा रहा है कि जल्द से जल्द पानी पहुंच जाय।

श्री लोकपति —

मान्यवर, इसका लक्ष्य 1980 था लेकिन प्रयास कर रहे हैं कि 30 जून, 1978 तक शारदा का जल हर क्षेत्र में पहुंचा दिया जाय।

कानपुर जिले में खोली गई प्राथमिक पाठशालायें तथा अध्यापकों की नियुक्ति

*10—चौधरी रामपाल सिंह यादव—

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि कानपुर जिले में लड़कों और लड़कियों के कुछ प्राइमरी स्कूल मार्च, अप्रैल, 1975 में खोले गए हैं ? यदि हां, तो इन नए स्कूलों की ब्लाक-वार अलग-अलग संख्या क्या है ? क्या यह भी सही है कि इन नए खोले गए प्राथमिक पाठशालाओं में अभी अध्यापकों की नियुक्ति नहीं की गयी ? यदि हां, तो अध्यापकों की नियुक्ति न किए जाने के क्या कारण है और इस लापरवाही के लिये जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री अम्मार रिजवी—

जी हां।

वांछित विवरण संलग्न है।

चूंकि स्कूलों में अध्यापकों व अध्यापिकाओं की नियुक्ति की जा चुकी है। अतः कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ 870 पर।)

चौधरी रामपाल सिंह यादव—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि 28 स्कूल अप्रैल, 1975 में खोले गये थे तो उनमें अध्यापकों की नियुक्ति अलग-अलग किस सन् में की गयी ?

श्री अध्यक्ष—

यह तो व्योरे का सवाल है।

चौधरी रामपाल सिंह यादव—

लिस्ट दिया है। अध्यापक कब भेजे। यह पूछ रहा हूं।

श्री अम्मार रिजवी—

श्रीमन्, अकबरपुर में मिलकनपुर में स्कूल 25-2-75 को खुला है और 25-2-75 को ही अध्यापक वहां गये। नौगवां में 24-2-75 को खुला और उसी तारीख को अध्यापक गये। बिल्लौर में 1-3-75 को स्कूल खुला और उसी तिथि को अध्यापक गये। इस तरह 20 हैं।

श्री अध्यक्ष—

यह तो लम्बा है। आपका मतलब क्या है ?

चौधरी रामपाल सिंह यादव—

स्कूल खोल दिए गए, लेकिन 6-6 महीने तक अध्यापक नहीं गए।

श्री अध्यक्ष—

स्थान बताएं। बीसों को पढ़ने में देर लगेगी।

चौधरी रामपाल सिंह यादव—

मान्यवर, बेरापुर का बता दें।

श्री अम्मार रिजवी—

मान्यवर, कुछ ऐसे विद्यालय हैं, जिनमें अध्यापक देर से अवश्य पहुंचे लेकिन इस समय सब जगह अध्यापक पहुंच गए हैं। इसलिए कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता।

चौधरी रामपाल सिंह यादव—

मन्त्री जी ने यह स्वीकार किया है कि कुछ विद्यालयों में अध्यापक देर से गए, तो क्या यह ऐसे अध्यापकों के विरुद्ध कार्यवाही करेंगे जिन्होंने लापरवाही बरती और देर से पहुंचे।

श्री अम्मार रिजवी—

इसमें तो पहले यह मालूम करना होगा कि देरी किस वजह से हुई। आया नियुक्ति देर में हुई या समायोजन जो किया गया, उसके कारण देरी हुई या अध्यापक ने जाने में देरी की। इसके बाद ही कोई कार्यवाही करने का प्रश्न उठेगा।

बस्ती के उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों की प्रबन्ध समितियों को बन्द किया जाना

*11—श्री अठई राम (अनुपस्थित)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि वर्तमान जिला विद्यालय निरीक्षक के कार्य-काल में जनपद बस्ती के कितने विद्यालयों की प्रबन्ध समितियों को भंग किया गया तथा अक्तूबर, 1975 में कितनी प्रबन्ध समितियों को भंग किरने का मामला विचाराधीन था, क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी—

जिला विद्यालय निरीक्षक, बस्ती (श्री भूधर द्विवेदी) के कार्यकाल में बस्ती जनपद के पांच उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों की प्रबन्ध समितियों को भंग किया गया, जिनमें से एक विद्यालय की समिति को भंग करके प्राधिकृत नियन्त्रक की नियुक्ति के आदेश को शासन द्वारा और दूसरे में उच्च न्यायालय द्वारा स्थगित कर दिया गया है।

इसके अतिरिक्त अक्तूबर, 1975 में तीन विद्यालयों की प्रबन्ध समितियों को भंग करने का प्रकरण विचाराधीन था क्योंकि सम्बन्धित संस्थाओं में प्रबन्धकीय विवाद व अन्य अनियमितायें दृष्टिगोचर हुई थीं ?

बांदा के ग्राम चन्दौर की सस्ते गल्ले की दुकान का लाइसेन्स

*12—श्री अठई राम—

क्या खाद्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बांदा की तहसील नरैनी के ग्राम-चन्दौर का सरकारी सस्ते गल्ले की दूकान का लाइसेन्स कोटेदार द्वारा किए गए चोर बाजारी एवं भ्रष्टाचार के कारण रद्द कर दिया गया है ? क्या यह सही है कि उक्त कोटेदार के पिता के नाम पुन : कोटे का लाइसेन्स वर्ष 1975 में दे दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों और कैसे ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

जी हां, कोटेदार श्री श्याम लाल की सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान अनियमितता के कारण निरस्त करदी गई थी और, बाद में, परगना अधिकारी व न्याय पंचायत पौहार के ग्राम प्रधानों की संस्तुति और नोटरी से प्रमाणित श्री राम सेवक के शपथ-पत्र कि

श्री श्याम लाल तथा उनका इस्टेब्लिशमेन्ट अलग-अलग है, के आधार पर उसी दुकान को उनके पिता श्री राम सेवक के नाम आबंटित कर दिया गया।

बाद में, जांच के समय पाई गई अनियमितता के कारण श्री राम सेवक की दुकान भी निरस्त कर दी गई।

*13—श्री मधुकर दिघे, श्री फिरंगी प्रसाद विशारद तथा श्री शारदा प्रसाद रावत—

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त।]

माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों को सेवा कालीन प्रशिक्षण की योजन

*14—श्री मधुकर दिघे (जिला गोरखपुर) (अनुपस्थित), श्री फिरंगी प्रसाद विशारद (जिला गोरखपुर) (अनुपस्थित) तथा श्री शारदा प्रसाद रावत (जिला गोरखपुर) (अनुपस्थित)—

क्या सरकार कृपया बताएगी कि प्रदेश के मान्यता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों को जो सेवाकालीन प्रशिक्षण (इन सर्विस ट्रेनिंग) की सुविधा प्राप्त थी, वह समाप्त कर दी गई है? यदि हां, तो क्यों? क्या इसे पुन: लागू कर दिया जाएगा जिससे अध्यापकों को लाभ हो सके?

श्री अम्मार रिजवी—

जी हां।

अशासकीय संस्थाओं द्वारा अप्रशिक्षित अध्यापकों की नियुक्ति पर रोक लगाने की दृष्टि से यह प्रशिक्षण समाप्त कर दिया गया था, किन्तु इसे पुन: शैक्षिक सत्र 1976-77 से अंशत: संशोधित रूप में प्रारम्भ किया जा रहा है।

आगरा क्षेत्र से खाद्यान्न तेल व तिलहन की अन्य प्रदेश में बिक्री

*15—श्री कमला प्रसाद वर्मा (जिला बहराइच) (अनुपस्थित)—

क्या सरकार को जानकारी है कि आगरा खाद्य क्षेत्र में एक लाख पांच सौ पैंतीस कुन्टल खाद्यान्न 590 कुन्टल तिलहन तथा 440 कुन्टल गुड़ खाद्य नियन्त्रण आदेशों के विरुद्ध अन्य प्रदेशों को वर्ष 1975-1976 में भेजा गया जिसकी रिपोर्ट जनवरी, 1976 में आगरा की पुलिस को हुई है? यदि हां, तो उसका पूर्ण विवरण क्या है और अब तक इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

वर्ष 1975-76 में आगरा क्षेत्र से 49,574 कुन्टल खाद्यान्न, 2985 कुन्टल तेल एवं तिलहन तथा 444 कुन्टल गुड़ प्रदेश के बाहर भेजा गया। इन खाद्य प्रदार्थों को राज्य से बाहर भेजे जाने हेतु उनके संचरण पर तो कोई प्रतिबन्ध नहीं था, किन्तु जिन व्यापारियों/फर्मों द्वारा ये खाद्य पदार्थ राज्य से बाहर भेजे गये उन्होंने इनकी खरीद में लाइसेन्स की शर्तों का उल्लघंन किया था या बिना लाइसेन्स खरीदा था। ऊपर लिखित खाद्य सामग्री 78 व्यापारियों/फर्मों द्वारा राज्य के बाहर भेजी गई थी जिनमें से 6 व्यापारियों के विरुद्ध पुलिस में रिपोर्ट जनवरी, 1976 में दर्ज करायी गई थी तथा 35 व्यापारियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ की जा चुकी है और शेष के बारे में छानबीन हो रही है।

बहराइच बेसिक शिक्षा परिषदीय अध्यापकों को सामान्य भविष्य निर्वाह निधि की लेखा पर्चियां न मिलना

*16—श्री कमला प्रसाद वर्मा (अनुपस्थित)—

क्या शिक्षा मन्त्री को जानकारी है कि बहराइच जनपद में बेसिक शिक्षा परिषद् के जूनियर एवं प्राइमरी स्तर के अध्यापकों के सामान्य भविष्य निधि के कटौती का कोई लेखा जोखा विगत 1972 से अब तक अध्यापकों को नहीं बताया गया है? यदि हां, तो क्यों और कब तक प्रत्येक अध्यापकों को उनके सामान्य भविष्य निधि कटौती का लेखा जोखा बता दिया जाएगा?

श्री अम्मार रिजवी—

बेसिक शिक्षा परिषद् के गठन के बाद सितम्बर, 1972 से मार्च, 1976 तक की अवधि की बहराइच जनपद में सामान्य भविष्य निर्वाह निधि की लेखा पर्चियां अध्यापकों तथा अध्यापिकाओं को दे दी गई हैं। बेसिक शिक्षा परिषद् के गठन से पूर्व की अवधि का लेखा जोखा जिला परिषद् एवं स्थानीय निकायों द्वारा अपूर्ण रूप से रक्खा गया था जिसको शीघ्रातिशीघ्र पूर्ण कराने की कार्यवाही की जा रही है। कार्यवाही पूर्ण होने पर उस अवधि की भी लेखा पर्चियां उनको दे दी जाएंगी।

*17—श्री पुरुषोत्तम कौशिक—

[16 अप्रैल, 1975 को तारांकित प्रश्न संख्या 11 पर उत्तरित।]

श्री रामदीन सहायक अभियन्ता चीफ शाखा निर्माण खन्ड, देवरिया का स्थानान्तरण

*18—श्री पुरुषोत्तम कौशिक (अनुपस्थित)—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि मुख्य अभियन्ता बाढ़ उत्तर प्रदेश लखनऊ को 6 जनवरी, 1975 के गन्डक नहर निर्माण खंड तृतीय के सहायक अभियन्ता के स्थानान्तरण के सम्बन्ध में माननीय परिवहन मन्त्री का कोई पत्र मिला है? यदि हां, तो पत्र का विवरण क्या है?

श्री लोकपति—

जी हां। इस पत्र में तत्कालीन परिवहन मन्त्री जी ने श्री राम दीन, सहायक अभियन्ता, चीफ शाखा निर्माण खन्ड, देवरिया जहां उन्होंने हाल ही में चार्ज लिया था, को वहां ही रहने देने तथा पुन: स्थानान्तरित न करने का अनुरोध किया था।

केन्द्रीय प्लानिंग कमीशन के ऐडवाइजर का सिंचाई दर में वृद्धि सम्बन्धी कथित पत्र

*19—श्री मुहम्मद असरार अहमद (जिला बदायूं) (अनुपस्थित)—

क्या यह सही है कि केन्द्रीय प्लानिंग कमीशन, के ऐडवाइजर (श्री कपूर) ने प्रदेशीय सरकार को इस वर्ष इस आशय का कोई पत्र भेजा है कि इस वर्ष किसानों की सिंचाई के लिए जो पानी दिया जा रहा है उसकी दर बढ़ाई जाय? यदि हां, तो शासन ने इस सम्बन्ध में क्या निर्णय लिया और पत्र की मुख्य-मुख्य बातें क्या थीं?

श्री लोकपति—

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

मुजफ्फरनगर में पूर्वी यमुना नहर की बचत भूमि के पट्टे अनुसूचित एवं जनजाति के स्थान पर सवर्णों के नाम किए जाने की शिकायत

*20—श्री हुकम सिंह (जिला मुजफ्फरनगर) (अनुपस्थित)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद मुजफ्फरनगर में पूर्वीय यमुना नहर के लोअर डिवीजन की नहर की बचत भूमि वर्ष 1975-76 के पट्टे पर दी गयी है? यदि हां, तो किन-किन लोगों को कितनी-कितनी भूमि पट्टे पर दी गयी और क्या यह पट्टेदार अनुसूचित व जनजाति से सम्बन्धित भूमिहीन कृषक हैं?

श्री लोकपति—

जी हां। 298.29 एकड़ भूमि पट्टे पर दी गयी है जिसमें से 59.33 एकड़ भूमि 60 हरिजनों और 82.40 एकड़ 45 पिछड़ी जाति के भूमिहीनों को व शेष 156.56 एकड़ अन्य जातियों के पुराने पट्टेदारों को जिनके पास अपनी निजी भूमि भी है, पट्टे पर दी गयी हैं। कुल 130 पट्टेदारों में से 60 अनुसूचित जाति/जनजाति के भूमिहीन कृषक हैं।

*21—श्री हुकम सिंह (अनुपस्थित)—

क्या सरकार को जानकारी है कि मुजफ्फरनगर जनपद में पूर्वीय यमुना नहर के लोअर डिवीजन की भूमि जन जाति (उप जाति लोग) के कुछ गरीब कृषक गत सैकड़ों वर्षों से जोत कर अपनी उदर पूर्ति कर रहे थे और विभागीय अधिकारियों ने सवर्ण जाति के बड़े काश्तकारों का अब कब्जा करा दिया है? यदि हां, तो क्या सरकार जांच कराकर दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करेंगी?

श्री लोकपति—

ऐसा कोई मामला नहीं है जिसमें पुराने गरीब पट्टेदार से नहरी भूमि छुड़ाकर सवर्ण जाति के बड़े काश्तकारों को दी गई है, और जमीन पर उनका कब्जा करा दिया गया है। अतएव किसी के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता।

आजमगढ़ के हीरा लाल स्मारक इन्टर कालेज के परीक्षार्थियों का रद्द किया गया परीक्षाफल

*22—श्री दयाराम भास्कर (अनुपस्थित)—

क्या शिक्षा मन्त्री को इस बात की जानकारी है कि हीरा लाल स्मारक इन्टर कालेज भरौली, आजमगढ़ के 11 परीक्षार्थियों का 1975 का हाई स्कूल का परीक्षाफल जो विदहेल्ड किए गए थे उन पर क्या-क्या आरोप लगाए ग. थे और उनमें से किन-किन रोल नम्बर के छात्रों को दन्ड मुक्त कर परीक्षाफल घोषित किया गया तथा कौन से रोल नम्बर छात्रों का परीक्षाफल रद्द कर दिया गया?

श्री अम्मार रिजवी—

हीरा लाल स्मारक इन्टर कालेज, भरौली, आजमगढ़ केन्द्र के 20 परीक्षार्थियों के हाई स्कूल परीक्षा, 1975 का परीक्षाफल अनुचित साधन प्रयोग के आरोप पर रोका गया था।

जांच के बाद एक परीक्षार्थी अनुक्रमांक 381404 के विरुद्ध आरोप प्रमाणित न होने पर उसे दन्ड मुक्त कर उसका परीक्षाफल घोषित कर दिया गया।

शेष 19 परीक्षार्थियों के विरुद्ध आरोप प्रमाणित होने पर उनके परीक्षाफल रद्द कर दिए गए। इनके अनुक्रमांक निम्नलिखित हैं:—

3,81,395	3,81,396	3,81,397	3,81,398
3,81,401	3,81,402	3,81,403	3,81,405
3,81,407	3,81,408	3,81,409	3,81,410
7,82,563	7,82,564	7,82,565	7,82,566
7,82,570	7,82,588	7,82,589	

आगरा के बालिका विद्यालय निरीक्षिका के कार्यालय में प्राध्यापिकाओं के लम्बित अवकाश के प्रार्थना-पत्र

*23—श्री मानपाल सिंह (जिला एटा)—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा मन्डल, आगरा की बालिका विद्यालय निरीक्षिका के कार्यालय में कितनी प्राध्यापिकाओं के व्यक्तिगत मातृत्व तथा रुग्ण अवकाश के प्रार्थना-पत्र पिछले 3 वर्षों से स्वीकृति हेतु लम्बित हैं? अब तक निस्तारण न होने के क्या कारण है और कब तक यह मामला तय कर दिए जायेंगे?

श्री अम्मार रिजवी—

इस प्रकार के कोई प्रार्थना-पत्र स्वीकृति हेतु लम्बित नहीं हैं।

श्री मानपाल सिंह—

क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि आखिरी प्रार्थना-पत्र कौन सी तारीख को स्वीकृत हुआ ?

श्री अम्मार रिजवी—

जो प्रश्न किया गया था वह यह था कि कितने प्रार्थना-पत्र पेन्डिग हैं ? मैंने उत्तर दिया कि जितने प्रार्थना-पत्र आए थे वह सब स्वीकृत हो चुके हैं। कोई पेन्डिग नहीं है। अगर यह एक अलग से प्रश्न होता कि सारे प्रार्थना-पत्रों की सूची दी जाय कि कब और किस तारीख को आये तो उसका उत्तर दिया जाता। जब यह प्रश्न किया गया था तब कोई भी प्रार्थना-पत्र पेन्डिग नहीं था।

नलकूप खन्ड, एटा के कर्मचारियों के पेंशन के मामलों का निस्तारण

*24—श्री मानपाल सिंह—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि नलकूप खंड एटा में दिनांक 1 अप्रैल, 1972 से 31 मार्च, 1975 तक कितने कर्मचारियों को सेवा निवृत्त के कारण एवं मृत्यु के कारण बनने वाल पेन्शन के मामले अभी तक निस्तारण हेतु पड़े हैं ? और इनका निस्तारण न होने के क्या कारण हैं और कब तक यह मामले तय कर दिए जाएंगे ?

श्री लोकपति—

नलकूप खन्ड, एटा में दिनांक 1 अप्रैल, 1972 से दिनांक 31 मार्च, 1975 तक की अवधि में सेवा निवृत्त अथवा मृत्यु के कारण 6 कर्मचारियों के पेन्शन के मामलों का निस्तारण होना था। पांच मामलों में महालेखाकार, उत्तर प्रदेश द्वारा पेन्शन के आदेश जारी किए जा चुके हैं। स्वर्गीय श्री हरनाथ सिंह, कूप चालक के विषय में पारिवारिक पेन्शन के प्रपत्र उनके वारिसान से अभी पूर्ण नहीं हो सके हैं। एक अधिकारी को मृतक के घर भेजकर यह प्रपत्र पूर्ण कराए जा रहे हैं। इन प्रपत्रों के प्राप्त होते ही प्रकरण महालेखाकार, उत्तर प्रदेश को भेज दिए जाएंगे।

अमीनुद्दौला पब्लिक लाइब्रेरी, लखनऊ के कर्मचारियों का वेतन क्रम

*25—श्री नारायण दास (जिला लखनऊ)—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि अमीनुद्दौला पब्लिक लाइब्रेरी, कैसर बाग, लखनऊ में कितना और कौन-कौन सा स्टाफ है तथा उनके वार्तमान वेतन-मान क्या हैं ? क्या सरकार राज्य कर्मचारियों के समान लाइब्रेरी के कर्मचारियों के वेतन-मानों को पुनरीक्षित किए जाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी—

पुस्तकालय के स्टाफ तथा उनके वर्तमान वेतन-मानों का विवरण संलग्न तालिका में दिया हुआ है। चूंकि पुस्तकालय के कर्मचारी राज्य कर्मचारी नहीं हैं। अत: राज्य कर्मचारियों की तरह वेतन-मान पुनरीक्षण नहीं किया गया।

(देखिए नत्थी 'ग' का आगे पृष्ठ 871 पर।)

बाराबंकी जिले के प्राइमरी अध्यापकों के वेतन का भुगतान

*26—श्री मुहम्मद असरार अहमद—

क्या यह सही है कि बाराबंकी जिले के पांच हजार प्राइमरी अध्यापकों को फरवरी, 1976 मास के वेतन का भुगतान अब तक नहीं किया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी—

जी नहीं, यह भुगतान हो चुका है।

प्रश्न नहीं उठता।

नोट—तारांकित प्रश्न संख्या 23 के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

बांदा के पंचमपुर बांध में पानी डालने की बरौधा नाला डाइवर्जन योजना का निर्माण

*27--श्री देव कुमार यादव (जिला बांदा)--

क्या सिंचाई मन्त्री को यह पता है कि बांदा जिले के नरैनी विकास खंड के अन्तर्गत पंचमपुर बांध को पर्याप्त पानी उपलब्ध कराने के लिए स्वीकृत बरौधा नाला डाइवर्जन स्कीम को पूरा करने के लिए चल रहे काम को स्थगित कर दिया है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या सरकार इस योजना को जनहित को ध्यान में रखते हुए शीघ्र पूरा कराने की कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति--

पंचमपुर बांध में पानी डालने की बरौधा डाइवर्जन योजना का प्रारम्भिक कार्य डाउट प्रोन एरिया कार्यक्रम के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 1975-76 में किया गया था। धनाभाव के कारण वर्ष 1976-77 में इस प्रायोजना पर कोई कार्य करना प्रस्तावित नहीं है। प्रायोजना के लिए धनराशि की व्यवस्था शासन के विचाराधीन है।

बस्ती के ग्राम सभा डिहौहा के चीनी के कोटेदार के विरुद्ध कथित शिकायत

*28--श्री दयाराम भास्कर--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनवरी, 1975 से 1 फरवरी, 1976 के मध्य ग्राम सभा डिहौहा, सदर ब्लाक जिला बस्ती के चीनी के सरकारी कोटेदार के विरुद्ध अनैतिक रूप से चीनी बेचने तथा ग्रामवासियों के साथ दुर्व्यवहार करने की शिकायतें प्राप्त हुयीं ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक सरकार द्वारा क्या उचित कार्यवाही की गयी है ?

श्री बलदेव सिंह आर्य--

जी नहीं। प्रश्न का दूसरा भाग नहीं उठता।

*29--श्री प्रियदर्शी जेटली--

[अश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त।]

गेहूं खरीद की योजना तथा मूल्य

*30--श्री त्रिवेणी सहाय (जिला गोंडा)--

क्या खाद्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार ने इस वर्ष गेहूं खरीद की कोई योजना बनायी है ? यदि हां, तो खरीद का क्या लक्ष्य है और गेहूं किस भाव पर खरीदने का निर्णय लिया गया है ?

श्री बलदेव सिंह आर्य--

जी हां।

गेहूं खरीद का अनुमानित लक्ष्य 12.02 लाख टन है। श्रेणी एक के गेहूं का खरीद मूल्य रु0 105.00 प्रति कुन्टल निर्धारित किया गया है।

*31--श्री श्रीनारायण--

[पुनर्विचार पर निरस्त।]

टाउन नेशनल इन्टर कालेज, गाजीपुर के कथित कताई-बुनाई अध्यापक का वेतन-क्रम

*32--डाक्टर मलखान सिंह--

क्या शिक्षा मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि जिला गाजीपुर में टाउन नेशनल इन्टर कालेज (सहायता प्राप्त), सैदपुर में कताई-बुनाई क्राफ्ट के कितने ऐसे अध्यापक हैं जो शासनादेश संख्या 5583/पन्द्रह-8-3100-1973, दिनांक 3 अक्तूबर, 1974 के

अनुसार वेतन-मान 300–550 रुपए प्रतिमाह के पाने के हकदार हैं किन्तु उन्हें वह नहीं दिया जा रहा है ? यदि हां, तो क्यों और उनका उपरोक्त राजाज्ञा के अनुसार वेतन निर्धारण कब तक कर दिया जाएगा।

श्री अम्मार रिजवी—

कोई नहीं। प्रश्न के अन्तिम भाग के उत्तर का प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ-हरदोई मार्ग के निर्माण में अधिग्रहीत भूमि के मुआवजे का कथित भुगतान न होना

*33—श्री भीखा लाल—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि दिनांक 31 मार्च, 1960 को भूमि अधिग्रहण अधिकारी, लखनऊ के नाम से 28346 रुपया 76 पैसा लखनऊ-हरदोई मार्ग को बढ़ाने व चौड़ा करने के सम्बन्ध में अधिग्रहण की गयी भूमि का मुआविजा देने की मद में पर्सनल लेजर में जमा है और सम्बन्धित व्यक्तियों को अब तक अदा नहीं किया गया है ? यदि हां, तो मुआविजा की धनराशि किसको देय है और अब तक न दिए जाने का कारण क्या है ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

जी नहीं ?

सहायता प्राप्त व्यक्तिगत जूनियर हाई स्कूलों के शिक्षकों एवं कर्मचारियों का वेतन-क्रम

*34—श्री गोविन्द प्रसाद गैरोला—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सहायता प्राप्त व्यक्तिगत जूनियर हाई स्कूलों के शिक्षकों एवं कर्मचारियों को पूरे प्रदेश में समान वेतन क्रम लागू करने विषयक कोई राजाज्ञा प्रसारित दिनांक 1 अगस्त, 1972 के बाद की गयी है ? यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा कोई वेतन-क्रम निर्धारित किया गया है ? यदि हां, तो वह कौन सा वेतन-क्रम है ? क्या इसका सम्बन्ध परिषदीय माडल स्कूल कैडर से है या किसी अन्य से ?

श्री अम्मार रिजवी—

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

डी० आई० आर० तथा मीसा के अन्तर्गत निरुद्ध अध्यापकों तथा प्रधानाध्यापकों के वेतन-सम्बन्धी कथित आदेश

*35—श्री आशा राम यादव (जिला मिर्जापुर)—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि विश्वविद्यालयों से सम्बद्ध डिग्री कालेजों के गैर सरकारी मान्यता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों, राजकीय विद्यालयों तथा राजकीय डिग्री कालेजों के प्रधानाध्यापक तथा अध्यापक जो राजनैतिक आरोपों में डी0 आई0 आर0 तथा मीसा के अन्तर्गत आपातकालीन स्थिति लागू होने के बाद गिरफ्तार किए गए हैं उनको नौकरी तथा वेतन देने के सम्बन्ध में सरकार द्वारा सम्बन्धित विद्यालयों को कोई निर्देश जारी किए गए हैं ? यदि हां, तो क्या ?

श्री अम्मार रिजवी—

कोई निर्देश जारी नहीं किए गए। मामला विचाराधीन है।

वाराणसी के सिंचाई विभाग के नलकूप डिवीजन के अधिशासी अभियन्ता का कार्यकाल

*36—श्री गिरिजा शंकर पाठक (जिला वाराणसी) तथा श्री राम रति बिन्द (जिला वाराणसी)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद वाराणसी के सिंचाई विभाग में नलकूप डिवीजन सी0 सी0 डिवीजन में कितने अधिशासी अभियन्ता हैं जिन्हें पांच वर्ष से अधिक एक ही जनपद में हो गया ? उनका स्थानान्तरण अनेक बार होने के बावजूद भी प्रशासन ने उन्हे पुनः रोक दिया ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री लोकपति—

केवल एक अधिशासी अभिन्ता 5 वर्ष से अधिक समय से कार्यरत हैं। जनहित में इनका स्थानांतरण रोका गया।

*37—श्री अब्दुल बाकी—

[6ठे बुधवार में तारांकित प्रश्न संख्या 51 पर स्थानान्तरित।]

*38—श्री अब्दुल बाकी—

[6ठे बुधवार के तारांकित प्रश्न संख्या 52 पर स्थानान्तरित।]

बस्ती के श्री झिनकू लाल इन्टर कालेज तथा किसान इन्टर कालेज के अधीक्षकों के विरुद्ध परीक्षार्थियों को नकल करवाने की शिकायत

*39—श्री सीताराम निषाद (जिला फैजाबाद)—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सदर तहसील बस्ती, जनपद बस्ती के अन्तर्गत बनाए गए हाई स्कूल तथा इन्टर परीक्षा केन्द्रों के लिए नियुक्त परीक्षा अधीक्षकों के विरुद्ध अनियमितता बरतने तथा परीक्षार्थियों को नकल कराने से सम्बन्धित शिकायत जनता तथा कुछ अन्य लोगों द्वारा मार्च, 1976 में डी0 आई0 ओ0 एस0, बस्ती, सचिव शिक्षा परिषद्, इलाहाबाद तथा निदेशक शिक्षा, उत्तर प्रदेश को दी गई है? यदि हां, तो शिकायतों की मुख्य बातें क्या हैं तथा सरकार ने सम्बन्धित परीक्षा अधीक्षकों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री अम्मार रिजवी—

श्री झिनकू लाल इन्टर कालेज, कलवारी, बस्ती तथा किसान इन्टर कालेज, भरहा, बस्ती केन्द्रों के केन्द्र व्यवस्थापकों के विरुद्ध परीक्षार्थियों से रुपये लेकर परीक्षा केन्द्र पर नकल करवाने की शिकायतें जिला विद्यालय निरीक्षक बस्ती के पास प्राप्त हुई थीं। इन दोनों शिकायतों पर जिला विद्यालय निरीक्षक, बस्ती द्वारा जांच की गई। परन्तु शिकायतें निराधार पायी गई। अतः इनके विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता।

*40—श्री गिरिजा शंकर पाठक तथा श्री रामरति बिन्द—

[6ठे मंगलवार में तारांकित प्रश्न संख्या 19 पर स्थानान्तरित।]

अवर अभियन्ता श्री बी० एम० पी० चतुर्वेदी सार्वजनिक निर्माण विभाग (फैजाबाद) के विरुद्ध कथित प्रतिकूल प्रविष्टि

*41—श्री हुबराज (जिला फैजाबाद)—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि अवर अभियन्ता श्री बी0 एम0 पी0 चतुर्वेदी, सार्वजनिक निर्माण विभाग, फैजाबाद के भ्रष्टाचार के कारण वर्ष 1975 में अधीक्षण अभियन्ता 40वीं सर्किल, गोरखपुर के श्री सी0 पी0 अग्रवाल ने इनके वार्षिक गोपनीय आख्या में प्रतिकूल प्रविष्टि दी थी परन्तु बाद में बगैर कार्य की जांच किए उक्त प्रविष्टि को निरस्त कर दिया? यदि हां, तो ऐसा क्यों और यदि नहीं, तो अब तक उस पर कौन सी कार्यवाही की जा रही है?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

वर्ष 1975 में श्री बी0 एम0 पी0 चतुर्वेदी, अवर अभियन्ता को भ्रष्टाचार के कारण कोई प्रतिकूल प्रवृष्टि नहीं दी गई, अत: उसके निरस्त किए जाने का प्रश्न ही नहीं उठता।

सादाबाद, मथुरा में गुड़ की कथित तस्करी सम्बन्धी शिकायती-पत्र

*42—श्री राम प्रकाश यादव (जिला मथुरा)—

क्या सरकार कृपया बताएगी कि उप क्षेत्रीय खाद्य नियन्त्रक, आगरा को दिनांक 8 मार्च, 1976 को एक शिकायती पत्र इस आशय का मिला था कि कुछ व्यक्ति सादाबाद,

जिला मथुरा, से गुड़ की तस्करी कर रहे हैं? यदि हां, तो यह व्यक्ति कौन है और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई तथा क्या यह सही है कि इन्हीं में से एक व्यक्ति गेहूं खरीद योजना 1976-77 के लिए हैन्डलिंग एजेन्ट नियुक्त किया गया? यदि हां, तो क्यों?

श्री बलदेव सिंह आर्य--

जी नहीं। फर्म शिवचरन लाल रामकुमार सादाबाद, जिला मथुरा के प्रोप्राइटर श्री राम कुमार जिन्दल का पत्र दिनांक 3 मार्च, 1976 क्षेत्रीय खाद्य नियन्त्रक, आगरा को दिनांक 5 मार्च, 1976 को प्राप्त हुआ था जिसमें यह शिकायत की गयी थी कि सर्व श्री सुखदेव बिरला, गिरराज किशोर, गोपाल प्रसाद, रमेश चन्द्र तथा मिट्ठन लाल इत्यादि बिना लाइसेन्स के गुड़ का व्यापार कर रहे हैं। जांच करने पर उपरोक्त शिकायत निराधार पायी गयी। गुड़ के संचरण और मूल्य पर कोई नियन्त्रण नहीं है जिसके कारण उसकी तस्करी का प्रश्न नहीं उठता। सादाबाद क्रय केन्द्र पर गेहूं खरीद योजना 1976-77 के लिए हैन्डलिंग का ठेका श्री राम स्वरूप को दिया गया है क्योंकि इनका टेन्डर न्यूनतम धनराशि का था।

हरदोई के प्राइमरी स्कूलों के अप्रशिक्षित अध्यापकों की सेवा समाप्ति तथा पुर्नियुक्ति और प्रशिक्षित अभ्यर्थियों की नियुक्ति

*43--डाक्टर धर्मपाल सिंह (जिला फर्रुखाबाद)--

क्या शिक्षा मन्त्री को पता है कि वर्ष 1969-70 में जिला हरदोई के प्राइमरी विद्यालयों में काम करने वाले अप्रशिक्षित अध्यापकों की सेवायें समाप्त कर दी गई थीं? उन्हीं उम्मीदवार तथा नए अप्रशिक्षित अध्यापकों को मार्च, 1972 में पुनः उम्मीदवार अध्यापक-पदों पर नियुक्त कर दिया गया था? यदि हां, तो क्यों?

श्री अम्मार रिजवी--

वर्ष 1969-70 में नहीं वरन् वर्ष 1970-71 में जिला परिषद्, हरदोई के प्राइमरी विद्यालयों के 250 अप्रशिक्षित अध्यापकों की सेवायें दिनांक 31 दिसम्बर, 1970 से समाप्त कर दी गई थीं क्योंकि उनके चयन पर प्रशिक्षित अध्यापक नियुक्ति हेतु उपलब्ध थे।

उक्त निष्कासित अप्रशिक्षित अध्यापकों में से 20 अध्यापक जो इन्टर द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण थे, वरीयता क्रम में आने के कारण, 118 नवीन अप्रशिक्षित अध्यापक के साथ मार्च, 1972 में रिक्त स्थानों पर तत्कालीन प्रशासक जिला परिषद्, हरदोई द्वारा नियुक्त किए गए थे। प्रशिक्षित अध्यापकों के अभाव में उक्त नियुक्तियां शिक्षा के हित में प्रशासक द्वारा की गईं।

*44--डाक्टर धर्म लाल सिंह--

क्या शिक्षा मन्त्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि 1969-70 में निकाले गये अप्रशिक्षित अध्यापक तथा बी0टी0सी0 ट्रेन्ड कुछ अध्यापक ऐसे भी हैं जिन्होंने प्रशिक्षण प्राप्ति के बाद नियुक्ति विभाग को वर्ष 1971 मई, 1972, मार्च, 1974, अक्तूबर, 1975, जुलाई, 1976, फरवरी में प्रार्थना-पत्र दिए? यदि हां, तो इन अध्यापकों की नियुक्ति के लिए सरकार क्या कार्यवाही करेगी?

श्री अम्मार रिजवी--

जी हां, प्रार्थना-पत्र दिए गए। हरदोई जनपद के वर्ष 1972 के प्रशिक्षित बी0 टी0 सी0 समस्त अभ्यर्थियों की नियुक्तियां की जा चुकी हैं? वर्ष 1974 में केवल बी0 टी0 सी0 पास अध्यापक अभ्यर्थियों को पदस्थपित किया गया। मितव्ययिता के दृष्टिकोण से प्रदेश के किसी भी जनपद के बेसिक स्कूलों में फिलहाल रिक्त पदों पर नियुक्तियां नहीं की जा रही हैं।

अलीनगर पम्प नहर, बाराबंकी द्वारा सिंचित क्षेत्र

*45—श्री बेनी प्रसाद वर्मा—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि लिफ्ट सिंचाई योजना के अन्तर्गत निर्मित अलीनगर पम्प नहर जिला बाराबंकी क रबी 1974-75 वर्ष में कितने क्षेत्रफल की सिंचाई की गई? क्या यह सच है कि उक्त नहर द्वारा इस वर्ष पिछले वर्षों के अपेक्षा सिंचाई बहुत कम हुई है? यदि हां, तो क्यों और सिंचाई के क्षेत्रफल के बढ़ाने के सम्बन्ध में क्या उपाय किए जा रहे हैं?

श्री लोकपति—

प्रथम भाग—16 एकड़।

द्वितीय भाग—जी हां।

तृतीय भाग—नदी की धारा अधिक दूर हट जाने के कारण सिंचाई कम हुई।

चतुर्थ भाग—इस सम्बन्ध में अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

*46—श्री राम आधार—

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त।]

*47-48—श्री मनीराम—

[6ठे बुधवार के लिए स्थगित।]

*49-50—श्री अब्दुल रऊफ लारी—

[6ठे गुरुवार में तारांकित प्रश्न संख्या 10-11 पर स्थानान्तरित।]

*51—श्री अनवार जमील—

[6ठे बुधवार के लिए स्थगित।]

*52—श्री देव कुमार यादव—

[6ठे बुधवार के लिए स्थगित।]

सचिव, मन्डी समिति, सादाबाद, मथुरा का अनाज की तस्करी सम्बन्धी कथित शिकायती-पत्र

*53—श्री राम प्रकाश यादव—

क्या सरकार कृपया बताएगी कि सचिव, मन्डी समिति, सादाबाद, जिला मथुरा ने दिनांक 11 दिसम्बर, 1975 को एक शिकायती पत्र एस0 डी0 ओ0, सादाबाद को इस आशय का दिया था कि विशावर में एक गिरोह अनाज की तस्करी का कार्य करने में संलग्न है और उस गिरोह का मुखिया एक प्रमुख आदमी है? यदि हां, तो इस शिकायत पत्र के आधार पर क्या कार्यवाही की गई?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

सचिव, मन्डी समिति, सादाबाद द्वारा अनाज की तस्करी के सम्बन्ध में दिनांक 11 दिसम्बर, 1975 को कोई शिकायती-पत्र एस0 डी0 ओ0, सादाबाद को नहीं दिया गया। अत: मामले में कोई कार्यवाही किए जाने का प्रश्न नहीं उठता।

अतारांकित प्रश्न

गोरखपुर के जनता उच्चतर माध्यमिक विद्यालय का अनुदान व भवन

1—श्री लक्ष्मी नरायण पाण्डेय (जिला गोरखपुर)—

क्या शिक्षा मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जनता उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, धानी बाजार, जिला गोरखपुर को पिछले 1973-74, 1974-1975 में भिन्न मदों में कितना अनुदान दिया गया?

श्री अम्मार रिजवी—

वर्ष 1973-74 में 23,208 रुपए तथा वर्ष 1974-75 में 41,475 रुपए।

2—श्री लक्ष्मी नरायण पाण्डेय—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उपर्युक्त विद्यालय के पास निजी भवन है ? यदि नहीं, तो शिक्षण कार्य कहां होता है ?

श्री अम्मार रिजवी—

विद्यालय के पास निजी भवन है। अतः प्रश्न का उत्तरार्ध नहीं उठता।

गोरखपुर के लुम्बिनी--फरेन्दा मार्ग की मरम्मत

3—श्री लक्ष्मी नरायण पांडेय—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर जिले में फरेन्दा-लुम्बिनी रोड जो गत वर्ष की बाढ़ में बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गयी है, की मरम्मत कराने तथा पूरी सड़क को पिच रोड कराने की योजना इस वर्ष पूरी हो जाएगी।

श्री बलदेव सिंह आर्य—

गोरखपुर जिले में प्रश्नगत मार्ग का जो भाग गत वर्ष 1975 की बाढ़ से क्षतिग्रस्त हो गया था, की मरम्मत करा दी गई है। पूरी सड़क को पिच रोड बनाने की अभी कोई योजना स्वीकृत नहीं है।

सरस्वती शिशु मन्दिरों के शुल्क का राजकोष में जमा न होना तथा अध्यापकों को कथित कम वेतन का भुगतान

4—श्री श्रीनारायण—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सरस्वती शिशु मन्दिरों में बालकों से जो शुल्क लिया जाता है, उसका कितना अंश किन-किन मदों में सरकारी कोष में जमा किया जाता है और कितना-कितना हिसाब से अध्यापकों में वितरित किया जाता है ?

श्री अम्मार रिजवी—

सरस्वती शिशु मन्दिरों में बालकों से जो शुल्क लिया जाता है, उसका कोई भी अंश सरकारी कोष में जमा नहीं किया जाता। इसी शुल्काय से कार्यरत अध्यापकों को वेतन जितना वे अधिग्रहण के पूर्व प्राप्त कर रहे थे, दिया जाता है।

5—श्री श्रीनारायण—

क्या शिक्षा मन्त्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि सरस्वती शिशु मन्दिरों में काम करने वाले अध्यापकों को बालकों से प्राप्त शुल्क का कुछ अंश काट कर जो बचता है इसे उसमें यह शर्त लिखवा कर वितरित किया जाता है कि वे भविष्य में बकाया वेतन की मांग नहीं कर सकेंगे ? यदि हां, तो ऐसा शर्तनामा किन कारणों से लिखाया जाता है ?

श्री अम्मार रिजवी—

शासन स्तर के सरस्वती शिशु मन्दिरों में कार्यरत अध्यापकों से किसी प्रकार का शर्तनामा लिखाने या उन्हें कम वेतन वितरित करने के कोई निर्देश नहीं दिए गए हैं।

वाराणसी के चतुर्थ नलकूप खन्ड के कतिपय नलकपों द्वारा सिंचित क्षेत्रों की परताल

6—श्री गिरिजा शंकर पाठक—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद वाराणसी के नलकूप विभाग के चतुर्थ खंड के तितराही सखतखानी (सरबतखानी) गिर्द बड़ा गांव द्वितीय, लल्लापुर द्वितीय से 1 अप्रैल, 1975 से लगायत 30 सितम्बर, 1975 तक सभी नलकूप कुल कितने घंटे अलग-अलग चलाए गए तथा कुल कितने एकड़ भूमि की सिंचाई की गयी ? उपरोक्त नलकूपों की कितना हजार गैलन प्रति घंटा पानी निकालने की क्षमता है ? क्या सभी नलकूपों को नियमित चला कर सही परताल किया गया है ?

श्री लोकपति—

1 अप्रैल, 1975 से 30 सितम्बर, 1975 तक प्रश्नगत नलकूपों के चलने के घंटे, सिंचित क्षेत्रफल तथा उनके निकास का विवरण तालिका में अंकित है :—

नाम नलकूप	चलित घंटे	सिंचाई क्षेत्र एकड़ में		निकास गैलन फी घंटा
		असली	वाटरिंग	
1	2	3	4	5
तितराही ..	1,140	42	58	24,609
सखतखानी ..	539	18	33	44,900
गिर्दवड़ा गांव–2 ..	625	68	87	41,540
लल्लापुर–2 ..	738	37	52	51,000

उपरोक्त सिंचित क्षेत्र की सही परताल की जा चुकी है।

7—श्री गिरिजा शंकर पाठक—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उपरोक्त नलकूप तितराही, सरबतखानी, गिर्द बड़गांव द्वितीय, लल्लापुर द्वितीय 1 अक्तूबर, 1975 लगायत 30 अक्तूबर, 1975, तक कुल कितने घंटे नलकूप चलाए गए तथा कितने एकड़ भूमि की सिंचाई की गयी ? क्या सरकार पूर्ण विवरण सदन के पटल पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री लोकपति—

1 अक्तूबर, 1975 से 30 अक्तूबर तक प्रश्नगत नलकूपों के कुल चलित घंटे व सिंचित क्षेत्रफल निम्न है :—

नाम नलकूप	चलित घंटे	सिंचित क्षेत्रफल एकड़ में	
		असली	वाटरिंग
तितराही ..	386	21	21
सखतखानी ..	498	80	80
गिर्दवड़ागांव–2 ..	560	50	50
लल्लापुर–2 ..	114	9	9

फरेन्दा तहसील गोरखपुर में बाढ़ नियन्त्रण तथा सिंचाई की विचारधीन योजनाएं

8—श्री लक्ष्मी नरायण पान्डेय—

क्या सिंचाई मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर जिले में फरेन्दा तहसील को राप्ती की बाढ़ से बचाने तथा असिंचित क्षेत्र में सिंचाई साधनों को उपलब्ध कराने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है। यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति—

जी हां, बाढ़ से बचाव हेतु बांध बनाने के लिए सर्वेक्षण कराने के बाद योजना

का प्राक्कलन तैयार किया जा रहा है।

असिंचित क्षेत्र में सिंचाई हेतु नैपाल पश्चिमी गन्डक नहर परियोजना पर सर्वेक्षण कार्य चल रहा है।

बस्ती के निलम्बित अध्यापकों के निलम्बन भत्ते का भुगतान

9—श्री अठई राम—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि वर्ष 1975 के 1 जनवरी से 1 नवम्बर, 1975 तक अध्यापकों के सस्पेन्ड होने के कितने मामले डी0 आई0 ओ0 एस0, बस्ती के अन्तर्गत आए? क्या यह भी सही है कि उनमें से किसी भी मामले का निर्णय अभी तक नहीं लिया गया ? यदि हां, तो उनमें से कितने को और कब-कब से सस्पेंशन एलाउन्स दिया जारहा है और क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी—

जी हां, ऐसे 6 मामले थे जिनमें 4 मामलों में निर्णय हो चुका है तथा 2 में अभी निर्णय लिया जाना है। इन 2 में से एक अध्यापक को उसके निलम्बन की तिथि (30-4-75) से निलम्बन भत्ता दिया जा रहा है क्योंकि अभी उसके मामले में अन्तिम निर्णय नहीं हुआ है तथा दूसरे अध्यापक जिसकी निलम्बन तिथि 22 सितम्बर, 1974 है, का निलम्बन भत्ता देना प्रबन्धक ने जनवरी, 1976 से बन्द कर दिया है।

10—श्री अठई राम—

[पुनर्विचार पर निरस्त।]

बस्ती में बी० टी० सी० के लिए चुने गए अभ्यर्थियों की फर्जी मार्कशीट

11—श्री अठई राम—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि वर्ष 1975 में बेसिक शिक्षा अधिकारी, बस्ती द्वारा बी0 टी0 सी0 प्रशिक्षण के लिए सेलेक्टेड कितने अभ्यर्थियों की सूची बी0 टी0 सी0, डुमरियागंज तथा बांसी बस्ती को भेजी गयी? क्या यह सही है कि उनमें से अधिकांश अभ्यर्थियों की मार्कशीट जाली पायी गयी ? यदि हां, तो यह मार्कशीट किस-किस विद्यालय द्वारा जारी की गयी तथा जारी करने वाले अधिकारी के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री अम्मार रिजवी—

राजकीय दीक्षा विद्यालय, डुमरियागंज	..	141
राजकीय दीक्षा विद्यालय, बांसी	..	141

केवल ग्यारह अभ्यर्थियों की अंक चिटें फर्जी पायी गयीं जिन पर निम्नलिखित संस्थाओं के नाम अंकित हैं :—

(1) सन्त कबीर आदर्श राम विलास इन्टर कालेज, कलवारी, बस्ती।
(2) हीरा लाल राम निवास इन्टर कालेज, खलीलाबाद, बस्ती।
(3) डी0 ए0 बी0 इन्टर कालेज, मेंहदावल, बस्ती।
(4) झिनकू लाल इन्टर कालेज, कलवारी, बस्ती।
(5) गौतम इन्टर कालेज, पिपरा गौतम, बस्ती।
(6) सक्सेरिया इन्टर कालेज, बस्ती।
(7) दयानन्द इन्टर कालेज, गोरखपुर।
(8) महात्मा गांधी इन्टर कालेज, बृजमनगंज, गोरखपुर।

मामला अनुसन्धान हेतु पुलिस विभाग को सौंपा गया है जिनकी रिपोर्ट अभी प्रतीक्षित है।

12—श्री दीनानाथ सेवक—

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त।]

बाराबंकी में बदोसराय-टिकैत-नगर सुजागंज सड़क का निर्माण कार्य

13—श्री बेनी प्रसाद वर्मा (जिला बाराबंकी)—

क्या सरकार कृपया बताएगी कि सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा बनाई जा रही सड़क बदोसराय से टिकैतनगर व टिकैतनगर से सुजागंज, जिला बाराबंकी का निर्माण कार्य अब तक पूरा न होने के कारण क्या हैं? इन मार्गों को शीघ्र निर्मित कराए जाने के सम्बन्ध में सरकार क्या कार्यवाही कर रही है?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

बदोसराय-टिकैतनगर सड़क का निर्माण कार्य धनाभाव के कारण पूरा नहीं हो सका है। इस मार्ग का निर्माण कार्य पूर्ण होना धन की उपलब्धता पर निर्भर करता है।

टिकैतनगर सुजागंज सड़क के प्रथम 5 किलो मीटर में सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा बेरोजगार योजना के अन्तर्गत प्रथम कोट लेपन तक कार्य कराया गया है। 23.5 किलो मीटर शेष भाग पर वर्ष 1972-73 में सूखाग्रस्त योजना के अन्तर्गत मिट्टी का कार्य कराया गया। इस 23.5 किलो मीटर भाग को पक्का कराने का कार्य धनाभाव के कारण स्वीकृत करना सम्भव नहीं है।

कानपुर की भोजपुर-सनियापुर लिफ्ट कैनाल योजना का सर्वेक्षण

14—चौधरी रामपाल सिंह यादव—

क्या सिंचाई मन्त्री कृपया बतायेंगे कि कानपुर जिले की डेरापुर तहसील में भोजपुर लिफ्ट कैनाल की स्कीम है और इसका सर्वेक्षण भी किया जा चुका है? यदि हां, तो यह सम्पूर्ण स्कीम क्या है और इस पर कब से कार्य प्रारम्भ किया जाएगा और कब तक पूर्ण हो जाएगा, इसमें विलम्ब का क्या कारण है?

श्री लोकपति—

कानपुर जिले की डेरापुर तहसील में भोजपुर-सनियापुर लिफ्ट कैनाल के बारे में बिस्तृत सर्वेक्षण किया जा रहा है। सर्वेक्षण के पश्चात् यह ज्ञात हो सकेगा कि यह योजना निर्माण के उपयुक्त है या नहीं। शेष प्रश्न नहीं उठता।

प्राथमिक शिक्षक संघ, लखनऊ शाखा की मांगें

15—श्री बाबू लाल वर्मा—

क्या सरकार कृपया बताएगी कि दिनांक 16 मई, 1975 या उसके आस-पास किसी दिन उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ की लखनऊ नगर शाखा के अध्यक्ष, श्री राम नारायण पांडे मन्त्री, श्री राम नरेश मिश्र के नेतृत्व में कोई प्रतिनिधि मन्डल बेसिक शिक्षा सचिव से उनके कक्ष में मिला और उन्हें 16-सूत्री मांग-पत्र प्रस्तुत किया? यदि हां, तो उनकी मांगें क्या हैं और सरकार ने कौन-कौन सी मांगें स्वीकार की?

श्री अम्मार रिजवी—

यह प्रतिनिधि मन्डल उक्त तिथि को विशेष शिक्षा सचिव से मिला था। उसकी 16-सूत्री मांगों की सूची संलग्न है और उनमें से मांग सं0 2, 3, 6, 11, 12 तथा 14 पूर्ण अथवा आंशिक रूप से स्वीकार कर ली गई हैं।

(देखिए नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ 872–873 पर।)

राय बरेली में शारदा सहायक परियोजना में कार्यरत मजदूरों की मजदूरी

16—श्री दीनानाथ सेवक (जिला रायबरेली)—

क्या सरकार बताएगी कि शारदा परियोजना के अन्तर्गत चल रहे काम के लिए राय बरेली में अन्य प्रदेशों से लाए गए मजदूरों को क्या दैनिक मजदूरी दी जाती है और ठेकेदारों का उसके साथ कैसा व्यवहार है ?

श्री लोकपति—

शारदा सहायक परियोजना के अन्तर्गत राय बरेली में चल रहे काम के लिए अन्य प्रदेशों से मजदूर सिंचाई विभाग द्वारा नहीं लाए जाते हैं। ठेकेदार स्वयं उन्हें लाते हैं और उनके द्वारा किए गए कार्य की नाप के अनुसार मजदूरी देते हैं। विभागीय सूचना के अनुसार अपने परिश्रम के आधार पर मजदूर सामान्यत: 5.50 रु0 से लेकर 10.00 रु0 तक एक दिन में कमा लेते हैं। मजदूरों के प्रति ठेकेदारों के अनुचित व्यवहार की कोई शिकायत विशेष रूप से नहीं प्राप्त हुई है।

देवरिया के हरिजनों को सस्ते गल्ले की दुकानों का आबंटन

17—श्री हरिकेवल —

क्या खाद्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जिला देवरिया के सप्लाई विभाग में तथा तहसीलों में 1 अक्तूबर, 1974 से 30 जून, 1975 तक सस्ते गल्ले की दूकान हेतु कितनी दरख्वास्त पड़ीं तथा उनमें से कितने पर एलाटमेन्ट किया गया जिसमें कितनी दूकानें हरिजनों को मिलीं ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

कुल 329 प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए थे जिनमें से 96 आवेदन-पत्र पर सरकारी सस्ते गल्ले की दूकानें आबंटित की गईं। इन आबंटित 96 दुकानों में से कुल पच्चीस दुकानें हरिजनों को मिलीं।

देवरिया में शादियों के लिए आबंटित चीनी

18—श्री हरिकेवल —

क्या खाद्य मन्त्री बतायेंगे कि देवरिया जिले में अप्रैल, 1975 से 20 जुलाई, 1975 तक शादियों के लिए चीनी एलाट की गयी जिसमें तहसील वाइज कितना दिया गया और नगरपालिका, देवरिया में कितनी चीनी दी गयी तथा कितनी दरख्वास्तें नगरपालिका, देवरिया में पड़ी हैं ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

अप्रैल, 1975 से 20 जुलाई, 1975 तक देवरिया जनपद में शादियों के लिए 3351 कुन्टल चीनी निम्नवत आबंटित की गई :—

(1) तहसील सदर	..	638 कुन्टल
(2) नगरपालिका देवरिया क्षेत्र	..	376 कुन्टल
(3) तहसील हाटा	..	603 कुन्टल
(4) तहसील पडरौना	..	748 कुन्टल
(5) तहसील सलेमपुर	..	986 कुन्टल

प्रश्नगत अवधि में नगरपालिका, देवरिया में शादियों में चीनी के परमिट हेतु 2090 प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए थे जिनमें से 1710 प्रार्थना-पत्रों पर जाचोंपरान्त 376 कुन्टल चीनी के परमिट जारी किए गए और शेष 380 प्रार्थना-पत्र जांच में गलत पाए जाने के कारण अस्वीकार कर दिए गए।

फर्रुखाबाद व फतेहगढ की सस्ते गल्ले की दुकानें

19—श्री विमल प्रसाद तिवारी—

क्या खाद्य मन्त्री बताने का कष्ट करेंगे कि फर्रुखाबाद एवं फतेहगढ़ के नगरों में 31 मई, 1975 तक राशन कार्ड पर चढ़े यूनिट संख्या के आधार पर कितनी सरकारी सस्ते गल्ले की दूकानें होनी चाहिए और कितनी है ? यदि जितनी दूकानें होनी चाहिए उतनी नहीं है, तो उसका क्या कारण है ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

फर्रुखाबाद एवं फतेहगढ़ में 31 मई, 1975 तक 1,47,053 यूनिट्स थीं और शासन के आदेश कि एक दुकान पर 3000 से 3500 यूनिट्स सम्बद्ध हों, के अनुसार उस समय सरकारी सस्ते गल्ले की 42 के आस-पास दुकानें होनी चाहियें थीं जिनमें से केवल 37 दूकानें ही कार्यरत थीं। इसका कारण यह था कि 2 दुकानें निलम्बित थीं और अन्य 3 दुकानें खोलने हेतु कार्यवाही जारी थी।

क्षेत्रीय खाद्य नियन्त्रक कार्यालय, फैजाबाद में नियुक्त किए गए अनुसूचित जाति के कर्मचारी

20—श्री रामपति (जिला गोंडा)—

क्या खाद्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्षेत्रीय खाद्य नियन्त्रक कार्यालय, फैजाबाद गठित होने के बाद से 31 मार्च, 1975 तक इस कार्यालय में कितने कर्मचारियों की नियुक्ति की गयी ? इन नियुक्त कर्मचारियों में ऐसे कौन-कौन हैं जिनका नाम रोजगार दफ्तर से नहीं प्राप्त हुआ था तथा इनमें ऐसे कौन-कौन हैं जो अनुसूचित जाति वर्ग के नहीं हैं ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

क्षेत्रीय खाद्य नियन्त्रक, फैजाबाद कार्यालय गठित होने के बाद से 31 मार्च, 1975 तक संलग्न तालिका में उल्लिखित कुल 19 कर्मचारियों की नियुक्तियां की गयीं। उक्त तालिका के क्रम संख्या 1 से 15 तक के कर्मचारियों का नाम सेवायोजन कार्यालय से मंगाने का प्रश्न न था क्योंकि ये विभाग के छंटनीशुदा कर्मचारी थे और छंटनीशुदा कर्मचारी होने के कारण इन्हें नियुक्ति में प्राथमिकता दी गयी थी। शेष उक्त तालिका के क्रम-संख्या 16 से 19 तक के कर्मचारियों का नाम सेवायोजन कार्यालय से प्राप्त हुआ था। उपरोक्त 19 कर्मचारियों में सर्वश्री बंशी लाल तथा आलादीन अनुसूचित जाति के थे तथा शेष 17 कर्मचारी अन्य जातियों के थे।

(देखिए नत्थी "ङ" आगे पृष्ठ 874 पर।)

बहराइच के विकास खंड सिरसिया के अन्तर्गत नलकूप निर्माण

21—श्री कमला प्रसाद वर्मा—

क्या सरकार उत्तर प्रदेश विधान सभा के प्रथम सत्र 1975 के विधान सभा कार्य-सूची दिनांक 12 मार्च, 1975 के नत्थी (ग) के अतारांकित प्रश्न संख्या 6 के उत्तर के सन्दर्भ में यह बताने की कृपा करेगी कि बहराइच जिले के सिरसिया विकास खंड में नलकूप लगाने के सम्बन्ध में केन्द्रीय भू-गर्भ जल संस्थान को कब लिखा गया और उसकी रिपोर्ट क्या प्राप्त हुयी और किस स्थान को बोरिंग के लिए चुना है ?

श्री लोकपति—

दिनांक 10 जनवरी, 1975 को केन्द्रीय भू-गर्भ जल संस्थान से अन्वेषणात्मक बोरिंग करने का अनुरोध किया गया था।

सिरसिया ब्लाक में एक्सप्लोरेटरीं बोरिंग हेतु तीन स्थलों का चयन किया गया जिनकी वर्तमान स्थिति निम्न प्रकार है :—

(1) चन्द्र गड़ही—

बोरिंग हो चुकी है परन्तु असफल होने के कारण परित्याग कर दिया गया है।

(2) लक्ष्मनपुर बाजार—

बोरिंग हो चुकी है। विकास कार्य प्रगति में है।

(3) परसा देवताहा—

छिद्रण कार्य शुरू हो गया है विकास खंड हरिहरपुर रानी के ग्राम मनोहरपुर में भी एक स्थल चुना गया था परन्तु तकनीकी दृष्टिकोण से नलकूप लगाना उपयुक्त नहीं पाया गया।

सदस्य विधान सभा सर्वश्री रामपति व दशरथ सिंह की पैरोल पर रिहाई के सम्बन्ध में सूचना

श्री अध्यक्ष—

मुझे सदन को यह सूचना देनी है कि अधीक्षक, जिला कारागार, गोंडा के वायरलेस सन्देश दिनांक 30 अप्रैल, 1976, जो इस सचिवालय में दिनांक 1 मई, 1976 को प्राप्त हुआ, के अनुसार सर्वश्री रामपति तथा दशरथ सिंह, सदस्य, विधान सभा (गोंडा) दिनांक 30 अप्रैल, 1976 को चार दिन के पैरोल पर रिहा किए गए हैं। माननीय सदस्यों की गिरफ्तारी इत्यादि की सूचना क्रमशः बुलेटिन–14 तथा बुलेटिन–16 द्वारा प्रसारित की गयी थी।

सदस्य विधान सभा श्री राम अधार का केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में स्थानान्तरण करने सम्बन्धी सूचना

श्री अध्यक्ष—

जिलाधिकारी, आजमगढ़ के पत्र दिनांक 30 अप्रैल, 1976, जो इस सचिवालय में दिनांक 1 मई, 1976 को प्राप्त हुआ, के अनुसार श्री राम अधार, सदस्य, विधान सभा (आजमगढ़), जो दिनांक 24 जुलाई, 1975 को डी0 आई0 आर0 के नियम 36/43 के अन्तर्गत गिरफ्तार किए गए और तभी से आजमगढ़ जेल में बन्द थे तथा जिनकी जमानत दिनांक 19 सितम्बर, 1975 को स्वीकृत हो गयी थी, को दिनांक 22 सितम्बर, 1975 को मीसा की धारा 3 (1) (ए) (11) के अन्तर्गत जिला कारागार, आजमगढ़ में निरुद्ध किया गया। माननीय सदस्य को बाद में कारागार महानिरीक्षक के आदेश दिनांक 18 अक्तूबर, 1975 के अन्तर्गत दिनांक 23 अक्तूबर, 1975 को केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में स्थानान्तरित किया गया। उनकी गिरफ्तारी इत्यादि की सूचना बुलेटिन–9 तथा 14 द्वारा प्रसारित की गयी थी।

सदस्य, विधान सभा श्री मुहम्मद मसूद खां का केन्द्रीय कारागार, बरेली में स्थानान्तरण से सम्बन्धित सूचना

श्री अध्यक्ष—

जिलाधिकारी, आजमगढ़ के पत्र दिनांक 30 अप्रैल, 1976 जो इस सचिवालय में दिनांक 1 मई, 1976 को प्राप्त हुआ, के अनुसार श्री मुहम्मद मसूद खां, सदस्य, विधान सभा (आजमगढ़) जो दिनांक 15 सितम्बर, 1975 को 107/116 जाब्ता फौजदारी एवं 36/43 डी0 आई0 आर0 के अन्तर्गत गिरफ्तार किये गये थे और तभी से आजमगढ़ जेल में थे तथा जिनकी जमानत 25 नवम्बर, 1975 को मंजूर हो गयी थी, को दिनांक 25 नवम्बर, 1975 को मीसा की धारा 3(1)(ए) (11) के अन्तर्गत जिला कारागार, आजमगढ़ में निरुद्ध किया गया। माननीय सदस्य को बाद में शासनादेश दिनांक 14 जनवरी, 1976 के अन्तर्गत दिनांक 27 फरवरी, 1976 को केन्द्रीय कारागार, बरेली में स्थानान्तरित किया गया। उनकी गिरफ्तारी इत्यादि की सूचना बुलेटिन–13 द्वारा प्रसारित की गयी थी।

कार्य-मन्त्रणा समिति द्वारा समय निर्धारण का प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष—

आज कार्य-मन्त्रणा समिति की बैठक हुई। सदन के कार्य-मन्त्रणा समिति ने अपने आज दिनांक 5 मई, 1976 की बैठक में संस्तुति की है कि शनिवार 8 मई, 1976 को सदन की बैठक हो तथा समिति ने सदन के कार्य -क्रम में संशोधन की यह भी संस्तुति की है कि हरिजन एवं समाज कल्याण मन्त्री तथा गन्ना विकास मन्त्री से सम्बन्धित अनुदान जो 11 मई, 1976 को लिए जाने वाले थे उन्हें 8 मई, 1976 को रखा जाय तथा कृषि शिक्षा मन्त्री से सम्बन्धित अनुदान जो 12 मई, 1976 को लिए जाने वाले थे उन्हें 11 मई, 1976 को तथा मुख्य मन्त्री और लघु उद्योग मन्त्री से सम्बन्धित अनुदान जो 14 मई, 1976 को लिए जाने थे 12 मई, 1976 को रखे जायं। उत्तर प्रदेश भांडार अधिग्रहण (संशोधन) विधेयक, 1976 तथा उत्तर प्रदेश शहरी भवन (किराए पर देने, किराए तथा बेदखली का विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 1976 पर विचार एवं उनके पारण की मदें 6 मई, 1976 को श्रम, विद्युत्, स्वायत्त शासन एवं आवास मन्त्री से सम्बन्धित अनुदानों की मांगों के मतदान के पश्चात् रखी जायं।

श्री अम्मार रिजवी—

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य मन्त्रणा समिति द्वारा की गयी सिफारिश से, जिसकी सूचना श्री अध्यक्ष द्वारा आज सदन को दी गयी है, सहमत है ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि यह सदन कार्य मन्त्रणा समिति द्वारा की गयी सिफारिश से सहमत है ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

राज्य निराश्रित सहायता समिति किंग एडवर्ड सप्तम सैनीटोरियम, भुवाली की परामर्शदात्री समिति माध्यमिक शिक्षा परिषद् उत्तर प्रदेश तथा सदन की समस्त निर्वाचित समितियों के सदस्यों के निर्वाचन सम्बन्धी कार्य-क्रम का स्थगन

शिक्षा मन्त्री (श्री अम्मार रिजवी)—

मान्यवर, राज्य निराश्रित सहायता समिति, किंग एडवर्ड सप्तम सेनीटोरियम, भुवाली की परामर्श-दात्री समिति तथा माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश के निर्वाचन के लिए जो कार्यक्रम श्री अध्यक्ष द्वारा निर्धारित किया गया है और जिसकी घोषणा सदन में 3 मई, 1976 को की गयी थी, उसके सम्बन्ध में सदन के अधिकांश सदस्यों की राय को दृष्टि में रखते हुए, उक्त कार्यक्रम को कृपया स्थगित किया जाय तथा उक्त निकायों एवं सदन की समस्त निर्वाचित समितियां अर्थात् लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम समिति तथा अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों एवं विमुक्त जातियों सम्बन्धी संयुक्त समिति के सदस्यों के निर्वाचन के लिए नया कार्यक्रम नियत किया जाय।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि इसको स्थगित किया जाय ?

(सदन की सहमति से निर्वाचन कार्यक्रम स्थगित हुआ)

श्री अध्यक्ष—

कार्य-क्रम हम बाद में बनाकर देंगे ? कार्य-क्रम तो बना है लेकिन उसको हम देखेंगे और कल इसकी सूचना देंगे। अभी तो हम यह चाहते हैं कि उठने के पहले इसको पूरा कर लें। 12 तारीख तक हम इसको पूरा करना चाहते हैं। कार्य-क्रम हम आपको बाद में सूचित करेंगे।

28 अप्रैल, 1976 को श्री गोविन्द सिंह नेगी द्वारा पूछे गए तारांकित प्रश्न संख्या 39 के सम्बन्ध में उनके ही अनुपूरक प्रश्न के उत्तर में शोधन वक्तव्य

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टिहरी-गढ़वाल)—

मान्यवर, अगर इसका सही उत्तर उसी समय आ जाता .....

श्री अध्यक्ष—

इस समय तो जो सार्वजनिक निर्माण मन्त्री का शोधन वक्तव्य है, वह आएगा। आप इसको लिखकर दे दें और उस पर जो होगा हम विचार करेंगे।

सार्वजनिक निर्माण मन्त्री (श्री बलदेव सिंह आर्य)—

मान्यवर, दिनांक 28 अप्रैल, 1976 को श्री गोविन्द सिंह नेगी, विधायक द्वारा पूछे गए तारांकित प्रश्न संख्या 39 के सम्बन्ध में श्री गोविन्द सिंह नेगी ने अनुपूरक प्रश्न पूछा था कि "मान्यवर, यह बड़ी गम्भीर घटना हुई है। इस ठेकेदार ने पी0 डब्ल्यू0 डी0 के इन्जीनियर तथा जिलाधीश को आत्मदाह करने के पूर्व आत्मदाह करने का एक नोटिस दे दिया था लेकिन किसी ने भी इसके प्राणों को बचाने की कोई चेष्टा नहीं की। बीच सड़क पर उसने आत्मदाह किया। क्या यह सही है कि इस आत्मदाह की सूचना जिलाधीश को दी गयी थी।"

उस समय सदन में उत्तर दिया गया था कि "मान्यवर, इसकी कोई सूचना नहीं है कि आत्मदाह करने वाले इस ठेकेदार ने डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट या इन्जीनियर को इसकी कोई पूर्व सूचना दी थी।"

उक्त उत्तर ठीक नहीं था जिसका बाद में पता चला। सही उत्तर इस प्रकार है कि "इसकी कोई सूचना नहीं है कि आत्मदाह करने वाले इस ठेकेदार ने डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट या इन्जीनियर को इसकी कोई निश्चित सूचना दी थी। ठेकेदार ने अपने 8 अप्रैल, 1975 के पत्र में यह उल्लेख किया था कि उन्हें भगवान का आदेश हुआ है कि उनके साथ अन्याय होने पर वे आत्मदाह कर लें, परन्तु इस पत्र में ऐसा करने के सम्बन्ध में कोई निश्चित सूचना नहीं दी थी।

(मूल प्रश्न तथा उत्तर के लिए देखिए नत्थी 'च' आगे पृष्ठ 875 पर)

श्री अध्यक्ष—

अगर श्री नेगी जी को कुछ और कहना है तो वे कृपया लिखकर दें उस पर विचार कर लेंगे।

श्री लक्ष्मी नारायण पान्डे, सदस्य, विधान सभा को हथकड़ी लगाए जाने के सम्बन्ध में श्री भीखा लाल तथा श्री गोविन्द सिंह नेगी द्वारा अधिसूचित विशेषाधिकार की अवहेलना की सूचना पर श्री अध्यक्ष के निदेशानुसार वक्तव्य

श्री अध्यक्ष—

श्री लक्ष्मी नारायण पान्डेय, सदस्य विधान सभा को हवालात से अदालत ले जाते समय हथकड़ी पहनाए जाने के सम्बन्ध में श्री भीखा लाल तथा श्री गोविन्द सिंह नेगी की विशेषाधिकार की अवहेलना की सूचना पर जो विशेषाधिकार के प्रश्न के रूप में अग्राह्य की गयी थी, उस पर राज्य कारागार मन्त्री का वक्तव्य।

कारागार राज्य मन्त्री (श्री श्रीकृष्ण गोयल)—

अध्यक्ष महोदय, दिनांक 7 जून, 1974 को सर्वश्री भीखा लाल व गोविन्द सिंह नेगी द्वारा उठाए गए विशेषाधिकार के प्रश्न की सूचना के सम्बन्ध में विधान सभा सचिवालय के पत्र संख्या 41/153(सं)-74, दिनांक 6 जनवरी, 1976 के सन्दर्भ में निम्नलिखित टिप्पणी आपके अवलोकनार्थ प्रेषित की जाती है।

शासन द्वारा माननीय श्री लक्ष्मी नारायण पान्डेय, विधायक को तारीख 8 मई, 1974 व 22 मई, 1974 को हथकड़ी लगाए जाने के विषय में जिला मैजिस्ट्रेट, पुलिस अधीक्षक, गोरखपुर से जांच करायी गयी थी । शासन की जानकारी में यह बात लायी गयी है कि तत्कालीन रेल हड़ताल के दौरान माननीय श्री पान्डे को धारा 147/148/504/506 भारतीय दन्ड विधान तथा धारा 119 भारत सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत तारीख 8 मई, 1974 को गिरफ्तार किया गया था। जब उपर्युक्त दोनों तिथियों को माननीय पान्डे को न्यायालय में प्रस्तुत किया गया तब उनके साथ पुलिस गार्ड द्वारा किसी भी प्रकार का अभद्र व्यवहार नहीं किया गया। ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक ने यह बताया है कि जब श्री पान्डे को 8 अन्य सह-अपराधियों के साथ न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था, उस समय माननीय श्री पान्डे को हथकड़ी लगायी गयी थी। माननीय संसद सदस्यों को हथकड़ी इत्यादि लगाने के विषय में भारत सरकार ने वर्ष 1968 में निर्देश जारी किए थे, उन्हीं आदेशों के सन्दर्भ में विधायकों के सम्बन्ध में प्रदेशीय सरकार ने आवश्यक आदेश प्रसारित कर दिए हैं। बन्दियों को हथकड़ी लगाए जाने के नियम "उत्तर प्रदेश पुलिस रूल्स फार गार्ड्स ऐन्ड एस्कार्ट्स" में दिए हुए हैं। चूंकि माननीय श्री पान्डे के साथ न्यायालय में अन्य 8 अपराधियों को भी प्रस्तुत किया गया था। अतएव सभी बन्दियों के बारे में सम्बन्धित पुलिस अधिकारी ने स्वविवेक का प्रयोग कर हथकड़ी लगाए जाने के आदेश दिए थे। किन्तु उनके साथ किसी भी प्रकार का अभद्र व्यवहार नहीं किया गया था। शासन द्वारा 4 अक्तूबर, 1975 को यह आदेश प्रसारित कर दिए गए हैं कि भारत सरकार द्वारा भेजे गए निर्देश राज्य विधान मन्डल के सदस्यों पर भी लागू होंगे। गृह विभाग द्वारा प्रसारित आदेश की एक प्रति माननीय अध्यक्ष महोदय की सूचनार्थ संलग्न की जाती है।

(आदेश की प्रति के लिए देखिए नत्थी 'छ' आगे पृष्ठ 876–882 पर ।)

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टिहरी गढ़वाल)—

क्या माननीय मन्त्री बतलायेंगे कि भारत सरकार के जो निर्देश हैं उनके अनुसार किसी भी विधायक को हथकड़ी नहीं लगानी चाहिए थी ?

श्री श्रीकृष्ण गोयल—

भारत सरकार ने संसद के सदस्यों के सम्बन्ध में ये आदेश दिए थे। उसके बाद प्रदेशीय सरकार ने दिनांक 4 अक्तूबर, 1975 को इस तरह के आदेश भेज दिए हैं कि किसी भी माननीय विधायक को हथकड़ी न लगाई जाय। यह घटना उसके पूर्व की है।

श्री अध्यक्ष—

आज कोई कार्य-स्थगन प्रस्ताव नहीं है।

1976–77 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान-अनुदान संख्या 24—सार्वजनिक निर्माण कार्य, अनुदान संख्या 34—आवास भवन, अनुदान संख्या 60—संचार साधन, अनुदान संख्या 61—कार्यात्मक भवन, अनुदान संख्या 62—सार्वजनिक निर्माण अधिष्ठान, अनुदान संख्या 67—सार्वजनिक निर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय, अनुदान संख्या 68—कार्यात्मक भवनों पर पूंजीगत परिव्यय, अनुदान संख्या 76—आवास भवनों पर पूंजीगत परिव्यय, अनुदान संख्या 83—संचार साधनों पर पूंजीगत परिव्यय, अनुदान संख्या 43—सामान्य आर्थिक सेवायें, अनुदान संख्या 48—खाद्य तथा पोषाहार तथा अनुदान संख्या 78—खाद्य तथा पोषाहार पर पूंजीगत परिव्यय

सार्वजनिक निर्माण मन्त्री (श्री बलदेव सिंह आर्य)—

मैं गवर्नर महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1977 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 24—सार्वजनिक निर्माण कार्य के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 79,31,000 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

[श्री बलदेव सिंह आर्य]

मैं गवर्नर महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1977 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 34—आवास भवन के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 83,22,100 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

मान्यवर, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1977 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 60—संचार साधन के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 20,72,48,400 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

मान्यवर, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1977 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 61—कार्यात्मक भवन के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 31,38,800 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

मान्यवर, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1977 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 62—सार्वजनिक निर्माण अधिष्ठान के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 11,93,63,000 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

मान्यवर, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1977 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 67—सार्वजनिक निर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 6,52,35,600 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

मान्यवर, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1977 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 68—कार्यात्मक भवनों पर पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1,77,97,700 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

मान्यवर, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1977 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 70—आवास भवनों पर पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 2,02,98,900 रुपए के अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

मान्यवर, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1977 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 83—संचार साधनों पर पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 23,34,73,500 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

मान्यवर, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1977 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 43—सामान्य आर्थिक सेवायें के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1,26,41,700 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

मान्यवर, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1977 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 48--खाद्य तथा पोषाहार के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 3,42,17,000 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

मान्यवर, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि 31मार्च, 1977 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 78--खाद्य तथा पोषाहार पर पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1,01,51,67,000 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

मान्यवर, सार्वजनिक निर्माण विभाग तथा खादय एवं रसद विभाग के अनुदानों को मैंने माननीय सदस्यों के विचार के लिये प्रस्तुत किया है। जहां तक सार्वजनिक निर्माण विभाग का संबंध है राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन सड़कों और पुलों का निर्माण, पुनर्निर्माण, अनुरक्षण, मरम्मत तथा राज्य सरकार के अन्य विभागों के भवनों का निर्माण उनका अनुरक्षण और उनकी मरम्मत की जिम्मेदारी इस विभाग के ऊपर है।

प्रदेश के अधिक्षेत्र से गुजरने वाले राष्ट्रीय मार्गों, उन पर पड़ने वाले पुलों का निर्माण एवं अनुरक्षण भी यही विभाग करता है। इसके लिये धन की व्यवस्था बजट में रहती है जिसके लिये अनुदान भारत सरकार देती है। यह विभाग आयोजना के सड़क सेक्टर और केन्द्र द्वारा प्रोनिर्धारित कार्यक्रम के अन्तर्गत आने वाली सड़कों, पुलों तथा इसी प्रकार के अन्य विभागों के निर्माण कार्य विशेष रूप से चीनी मिलों के चारों ओर की सड़कों का निर्माण, पुनर्निर्माण एवं अनुरक्षण भी करता है।

सड़कों, पुल और भवनों के आधीनित आयोजनागत कार्यों तथा रख-रखाव संबंधी नीति निर्धारण एवं परिव्यय के विषय पर सार्वजनिक निर्माण विभाग में एक कार्यकारी दल का गठन किया गया था। इस दल की रिपोर्ट के अनुसार सड़कों तथा पुलों के मैदानी क्षेत्र ने आयोजनागत अधूरे कार्यों को पूरा करने के लिये वर्ष 1976-77 तथा इसके बाद कुल लगभग 4468.81 लाख रुपये की आवश्यकता आंकी गई। इस आधार पर कार्यकारी दल ने अधूरे कार्य के लिये 76-77 के लिए कम से कम 21 करोड़ रुपये के परिव्यय की मांग की परन्तु इसके विपरीत मैदानी क्षेत्र के लिये 13 करोड़ रुपया दिया गया।

धनाभाव के कारण 75-76 में ऐसे कार्य जिन पर 10 प्रतिशत तक व्यय हुआ था उनको स्थगित करना पड़ा। और कोई नया काम स्वीकृत नहीं किया जा सका। 1976-77 में 13 करोड़ रु0 के उपलब्ध परिव्यय से भी स्थगित कार्यों के लिये धन उपलब्ध करना संभव नहीं होगा। इस वर्ष अधिकतम व्यय अधूरे कार्यों पर ही किया जायेगा। इस व्यय से इस वर्ष 312 किलो मीटर नई सड़कों का निर्माण तथा 150 किलोमीटर वर्तमान सड़कों का पुनर्निर्माण व सुधार तथा 25 नये पुलों का निर्माण कार्य पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।

1976-77 में प्रत्येक लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में सड़कों के निर्माण का एक विशेष कार्यक्रम हाथ में लेने का प्रस्ताव है। इस योजना के अनुसार 85 निर्वाचन क्षेत्रों में 21.12 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर 1530 किलोमीटर सड़कों का निर्माण स्वीकृत किये जान

[श्री बलदेव सिंह आर्य]

का विचार है। 1976–77 के आय-व्ययक में कुल 5 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। ऐश प्रोग्राम के अंतर्गत निर्मित की गई उन महत्वपूर्ण सड़कों को और उपयोगी सड़क को पूरा करने के लिये इस योजना के अन्तर्गत लेने का विचार है। टेस्ट वर्क और योजना की महत्वपूर्ण कच्ची सड़कों को पूरा कर लिया जाए, यह भी इस योजना में शामिल है। आयोजनागत व्यय में 7 पुराने पुलों का पुनर्निर्माण तथा 79.39 किलो मीटर लम्बाई में 5 वर्तमान सड़कों का पुनः निर्माण करने का सझाव है, जिसका प्राविधान किया गया है। उत्तर प्रदेश सड़क निधि, प्रदेश सेतु निधि, केन्द्रीय सड़क निधि केन्द्र द्वारा प्रोनिर्धारित योजनाएं, रेलवे सुरक्षा कार्य आदि कार्यों पर 1976–77 में 601 लाख रुपया व्यय किये जाने का विचार है। इन योजनाओं के अन्तर्गत 245 किलोमीटर नई सड़कों का निर्माण, 35 किलोमीटर वर्तमान सड़कों का सुधार व 6 नये पुलों को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। मान्यवर, इस प्रदेश में राष्ट्रीय मार्ग की कुल लम्बाई, नगरपालिकाओं के क्षेत्रों में से होकर जाने वाली सड़कों की लम्बाई छोड़कर, 2244 किलोमीटर है। इसके लिये भारत सरकार से अनुदान मिलता है। 1976–77 के वर्ष में इन मार्गों के लिये 8:0 लाख रुपये का अनुदान मिलने की सम्भावना है। 76–77 में कानपुर में गंगा नदी के पुल का निर्माण निर्धारित तिथि से पहले होगा। इलाहाबाद में गंगा नदी की दो लेन का पुल और बेलन नदी के पुल का निर्माण करने का प्रस्ताव है। मान्यवर, 76–77 में अनेक नये भवनों के निर्माण का कार्य प्रस्तावित है। उनमें से प्रमुख कार्य दीवानी न्यायालयों के कक्षों तथा हवालातों का निर्माण, न्यायाधीशों तथा न्यायाधिकारियों के आवासों का निर्माण तथा लखनऊ में अधिकारियों के लिये एक हास्टल टाइप भवन का निर्माण शामिल है। हृदय रोग केन्द्रों में इंटेंसिव कारोनरी यूनिटों का निर्माण, झांसी मेडिकल कालेज में छात्रावास का निर्माण भी इसी में है। विभाग का यह प्रयास है कि चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के कार्यों को 1976–77 में ही पूरा किया जाय तथा अधूरे कार्य को शीघ्र पूरा किया जाय।

मान्यवर, सार्वजनिक निर्माण विभाग ने पिछले वर्ष एक कार्यकारी दल का गठन किया था, जिसने भवनों की मरम्मत के लिये किस आधार पर धन दिया जाय, इस पर विचार कर संस्तुति दी थी। उक्त कार्यकारी दल ने संस्तुति कर रिपोर्ट दी थी कि भवनों को प्लिन्थ क्षेत्रफल के आधार पर धन दिया जाय। यह 0.50 प्रति वर्गफुट के प्लिन्थ क्षेत्रफल के आधार पर हो। साथ ही उसने यह संस्तुति की थी कि वास्तविक आवश्यकतानुसार गृहकर, जल कर, बिजली पर व्यय तथा टेलीफोन आदि पर जो व्यय होता है, उसका भी प्राविधान किया जाए। वित्त विभाग ने कार्यकारी दल की इस सिफारिश को स्वीकार कर लिया है। वह इस बात पर भी सहमत हो गया है कि धनराशि का 40 प्रतिशत प्राविधान भवनों की विशेष मरम्मत के लिये किया जाय। 1976–77 में अनुरक्षण एवम् विशेष मरम्मत के लिए 153.85 लाख रुपये का प्राविधान किया गया है। मान्यवर, 1968 में पक्की सड़कों के लिये 2,800 रुपया प्रति किलोमीटर तथा कच्ची सड़कों के लिये 400 रुपया प्रति किलोमीटर स्वीकृत किया गया था। 1968 से सामान एवं मजदूरी की दरों में काफी बढ़ोत्तरी हो गई है इसलिये मार्गों की मरम्मत ठीक से नहीं हो पाई। कार्यकारी दल ने इस बात पर विशेष जोर दिया कि मार्गों के रख-रखाव के लिये छठें वित्त आयोग की सिफारिश को ध्यान में रखा जाय। जहां 75–76 में 1.03 करोड़ रुपये का प्राविधान था, वहां अब 76–77 में 15.997 करोड़ रुपये का प्राविधान किया गया है। इससे मार्गों का अनुरक्षण और विशेष मरम्मत का कार्यक्रम अच्छी तरह से सम्पादित किया जा सकेगा। तो उम्मीद की जाती है कि मार्गों की हालत सुधर जायगी।

मान्यवर, हमारे प्रदेश में सार्वजनिक निर्माण विभाग में ठेकेदारी की प्रथा विद्यमान थी उसको धीरे-धीरे कम करने का हमारा लक्ष्य है। अब इस प्रथा की बुराइयों को देखते हुए ठेकेदारों का बिचौलिया जो है, उसको हटाने का हर सम्भव प्रयास किया जा रहा है। इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाये गये हैं। निर्माण कार्यों को विभागीय तौर पर कराने

और स्थानीय श्रमिकों के प्रयोग की नीति अपनाई जा रही है। वर्तमान समय में विभागीय 33 इकाइयां कार्य कर रही हैं। मैदानी क्षेत्र के सभी कार्यकारी खंड तथा समस्त विभागीय तौर पर ही कार्य करा रहे हैं। इस प्रक्रिया को सुदृढ़ करने का प्रयत्न किया जा रहा है ताकि भविष्य में ठेकेदारी प्रथा समाप्त हो जाय। मान्यवर, एक महत्वपूर्ण प्रश्न पुलों के निर्माण का है। मान्यवर, उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम् 1956 में स्थायी पुलों पर पथकर लगाने का निर्णय लिया गया था। इस पथकर के लगाने का उद्देश्य यह है कि इससे प्राप्त धन से अन्य पुलों का निर्माण किया जाय। इसी उद्देश्य के लिये उत्तर प्रदेश सेतु निधि का सृजन किया गया था। मार्च, 1976 तक पथकर से कुछ आय 5–7 करोड़ रुपये का अनुमान है। स्वीकृत पुलों की संख्या 29, अब तक पूरे किये गये पुलों की संख्या 13 हैं। पुलों की संख्या जिन पर कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ 5 हैं। सेतु निधि से स्वीकृत कार्य वर्ष 75–76 में 69·47 लाख रुपये आबंटित किया गया था। 76–77 में इसके लिये 67 लाख रुपये आबंटित किये गये हैं। शासन द्वारा 3–12–75 को पथकर की नई दरें लागू की गई। नई दरों पर जनप्रतिनिधियों द्वारा आपत्ति करने पर शासन उन दरों को कम करने जा रहा है। मान्यवर, मैं उन दरों को पढ़ देना चाहता हूं ताकि माननीय सदस्यों को जानकारी हो सके। मान्यवर, नई दरें इस प्रकार हैं :––

पुरानी और नई दरों को, दोनों को पढ़ देता हूं।

"प्रत्येक सामान की गाड़ी जो जानवरों द्वारा खींची जाती है, 2 रुपये पहले था, अब 50 पैसे कर दिया गया है। प्रत्येक स्कूटर गाड़ी, रिक्शा 1.50 पैसे पहले था अब 1 रूपया कर दिया गया है। मोटर, कार, टैक्सी का 5 रुपया पहले था, 5 रुपया अब भी है। निजी कार, जीप और पिक–अप, स्टेशन वैगन, 3 रुपया पहले था, 3 रु0 अब भी है। ट्रैक्टर 3 रुपया पहले था अब 1.50 पैसे कर दिया गया है। ट्रेलर तथा लदी हुई या बिना लदी हुई 1.50 पहले था, 1 रुपया कर दिया गया है। मोटर गाड़ी, बसों आदि का 20 रुपया पहले था, अब 10 रुपया कर दिया गया है। ट्रक पहले 20 रुपया था, अब 20 रुपया है। पशुओं द्वारा खींची जाने वाली सारी गाड़ियों, तांगा, इक्का का 1 रुपया 50 पैसा था, अब मुक्त कर दिया गया है। स्कूटर का एक रुपया पहले था अब 75 पैसे कर दिया गया है। मिनी बस का 7 रुपया कर दिया गया है।

मान्यवर, भ्रष्टाचार उन्मूलन के सम्बन्ध में भी इस विभाग ने कार्य किया है। टेकनिकल आडिट के लिये एक सेल की स्थापना की गयी है। 1975–76 में निम्न कार्य हुए हैं – जांच कार्यों की संख्या 59, जांच कार्य पूरा होने की संख्या 52, प्रशासकीय कार्यवाही जो प्रस्तावित हैं उनकी संख्या 43 है। ठेकेदारों से प्रस्तावित कटौती की धनराशि 23 लाख 21 हजार रुपये है। 1975–76 में सेवानिवृत्त अधिकारियों की संख्या निम्न प्रकार है––

अधीक्षक अभियन्ता	1
अधिशासी अभियन्ता	11
सहायक अभियन्ता	7
अराजपत्रित कर्मचारी	81

[श्री बलदेव सिंह आर्य]

मान्यवर, 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत सार्वजनिक निर्माण विभाग मे जो वर्क चार्ज कर्मचारी थे उनकी संख्या 28 हजार के लगभग थी। उनकी सेवा शर्तों में सुधार लाने के लिये शासन प्रयास कर रहा है। ऐसे कर्मचारी जो 3 वर्ष तक लगातार सेवा कर चुक हैं या कार्य करते रहने की संभावना है उनके पदों को स्थायी करने का प्रयास किया गया है। 18,700 कर्मचारियों को नियमित किया गया है। 1-4-1975 को 14,500 कर्मचारियों को स्थायी पदों मे परिवर्तित कर दिया गया है। इसी नीति के अन्तर्गत 14,110 कर्मचारियों को नियमित अधिष्ठान में लेने के प्रश्न पर वित्त विभाग से परामर्श लिया जा रहा है। 1974-75 में कार्यभार की काफी कमी के कारण लगभग 10,000 कर्मचारियों की छटनी करनी पड़ी। छटनीशुदा कर्मचारियों को फिर से सेवा में लेने के प्रश्न पर विचार किया जायेगा। इन छटनीशुदा कर्मचारियों की सूची सभी सेवायोजन कार्यालयों में भेज दी गयी है। सार्वजनिक निर्माण विभाग में जो कार्य होते हैं उनका संक्षेप में विवरण मैंने इस माननीय सदन में दिया है।

मान्यवर, अब मैं खाद्य की स्थिति के बारे में कहना चाहता हूं कि 26 जून, 1975 को जो स्थिति थी वह आज नहीं है। जो भाव उस तिथि को थे वही भाव आज नहीं हैं उनमें न ढ़ोत्तरी नहीं आयी हैं। गरीब जनता को इससे काफी राहत मिली है। अगर माननीय सदस्य इस सम्बन्ध में मुझसे सूचना चाहेंगे तो मैं उसको उनको प्रस्तुत कर दूंगा। 26 जून, 1975 को जो स्थिति थी भावों की, आज नहीं ह। चूकि उसको पढ़ने में समय लगेगा उसको मैं इस समय नहीं कहूंगा। इस विभाग का एक काम यह भी कि भंडारण करे। मान्यवर, गेहूं की खरीदारी योजना के आदेश का प्रसारण 19 जनवरी को हुआ था और उसी आदेश के मुताबिक 15 तारीख से गेहूं को खरीद आरम्भ की गयी ह। पिछले वर्ष इसी तारीख को 5 हजार 997 मि0 टन गेहूं खरीदा गया था जब कि इस वर्ष 5-5-76 को 2,30,497 मी0 टन है। तो इस तरह से गेहूं की खरीदारी की प्रगति बहुत ठीक चल रही है।

लेखपाल और भूसंवर्ग अन्य कर्मचारी सीलिंग सम्बन्धी अन्य कार्यों में व्यस्त रहने के कारण लेवी की गेहूं की जो वसूली की जा रही है, वह गत वर्ष की खतौनी के आधार पर वसूल की जा रही है। इस पर यहां कुछ लोगों ने चर्चा की थी तो हमने यह आदेश भेज दिए हैं कि जिस किसी को आपत्ति करनी हो तो वह जिलाधिकारी या डिवीजनल कमिश्नर को अपनी शिकायत प्रस्तुत कर सकता है और उनको अधिकार दे दिए गये हैं कि वे जिसे लेवी से मुक्त करना चाहे, मुक्त कर सकते हैं।

मान्यवर, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, चमोली, उत्तरकाशी, टिहरी गढ़वाल तथा पौड़ी गढ़वाल के पर्वतीय जिले पूरी तरह व देहरादून, नैनीताल और मिर्जापुर जिलों के पहाड़ी भाग, बांदा जिले का पाठा क्षेत्र तथा सहारनपुर जिले में शिवालिक रेंज से सटे 75 ग्राम लेवी से मुक्त हैं।

इसके अतिरिक्त बीज के लिये नेशनल सीड कारपोरेशन और तराई डेवलपमेंट कार्पोरेशन गेहूं खरीद रहे हैं, वे भी इस लेवी से मुक्त है। शेष जो बीज का गेहूं अगर उनके पास बचेगा तो वे सरकार के क्रय केन्द्रों में दे सकते हैं।

मान्यवर, यहां एक प्रश्न के सिलसिले में यह बात उठी थी कि पिछले वर्ष की तरह से परिवहन व्यय और दूसरी चीजें जैसे चीनी, सीमेंट गत वर्ष की भांति क्यों नहीं दिया जा रहा है। मैंने इस सम्बन्ध में यह कहा था कि ये आवश्यक वस्तुएं सीमेंट, चीनी, कपड़ा और डीजल सरलतापूर्वक बाजार में उपलब्ध हैं और उनकी कमी नहीं है। चूंकि पिछले वर्ष कुछ कठिनाई थी इसलिये सरकारी क्रय केन्द्रों द्वारा दिए जा रहे थे ताकि किसानों को सुविधा हो। अब ये चीजें पर्याप्त मात्रा में खुले बाजार में मिल रही हैं, इसलिये किसान इन्हें कहीं से खरीद सकते हैं। हमने यह भी सुविधा कर दी है कि किसानों के पास लेवी देने के बाद भी जो गेहूं शेष बचता है अगर वह उसमें से बेचना चाहें तो हमारे क्रय केन्द्रों पर

ले जाकर बेच सकता है। इस वर्ष भी पिछले वर्ष की भांति भारत सरकार ने 105 रुपया प्रति क्विन्टल गेहूं की कीमत निर्धारित की है और हमारा लक्ष्य 12.2 लाख मि0 टन गेहूं किसानों से खरीदने का है। इसके अतिरिक्त हम 6.2 लाख मि0 टन प्राइस सपोर्ट के रूप में लेंगे। इसकी खरीदारी इस प्रकार होगी :

खाद्य विभाग	3.54	लाख टन,
पी0 सी0 एफ0	6	लाख टन,
रसद खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम	0.08	लाख टन,
एफ0 सी0 आई0	2.40	लाख टन,

इस प्रकार से 12 लाख 2 हजार टन गेहूं खरीदा जायगा। अब तक की जो खरीद हुई है उसका भी ब्योरा मैंने सदन के समक्ष रख दिया है।

चावलों की भी खरीद की जा रही है। हमारा 6 लाख टन का लक्ष्य था और 30 अप्रैल, 1976 तक 7,34,085 टन चावल खरीदा जा चुका है और अब भी खरीदा जा रहा है।

उपलब्धता तथा वितरण की व्यवस्था संतोषजनक रही है। भारत सरकार से हमें 2 लाख 79 हजार टन गेहूं मिला। 33 ओद्यौगिक इकाइयों को एवं श्रमिक केन्द्रों में यह गेहूं दिया गया किन्तु इस समय बाजार में खाद्यान्न का भाव कम है इसलिये सभी लोग बाजार से खरीद कर अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहे हैं। शासन ने एक जून, 1975 से रोलर मिलों को पिसाई के लिये दिये जाने वाले गेहूं का दाम 170 रुपये से 150 रुपये प्रतिक्विन्टल कर दिया है। सूजी का दाम 10-3-76 को रु0 233.50 पै0 था, अब 11-3-76 को 210.20 कर दिया गया है। मैदा का दाम पहले 213 था, अब 210 कर दिया गया है। अनफालित आटा पहले 10-3-76 को 65.90 था अब उसका भाव 60 कर दिया गया है। सस्ते गल्ले की दूकानें शहरों में 5558 हैं और ग्रामीण क्षेत्र में 18048 हैं। प्रत्येक दूकान पर 3500 यूनिटें लगी हुई हैं। 15 मार्च, 1976 तक 11,48,203 यूनिटें निरस्त की गयीं।

20 सूत्री कार्यक्रम के अनुसार 12 बड़े-बड़े शहरों के डिग्री कालेजों तथा विश्वविद्यालयों के छात्रावासों तथा अन्य अनुमोदित लाजों को सस्ती उचित मूल्य पर खाद्य वस्तुएं तथा दूसरी आवश्यक वस्तुएं दी गयीं और इससे 64050 छात्र लाभान्वित हो रहे हैं।

मान्यवर, जिलास्तर पर एक खाद्य परामर्शदात्री समिति है जो कि तमाम जिले की खाद्य संबंधी समस्याओं पर विचार करती है। जिलाधिकारी इसका चेयरमैन होता है। कानपुर, आगरा, वाराणसी, इलाहाबाद, लखनऊ, मेरठ और बरेली नगरों में नगर खाद्य परामर्शदात्री समितियां हैं। इसके अतिरिक्त शहरों में सतर्कता समितियां प्रत्येक वार्ड में गठित की गयी हैं ताकि समय-समय पर इनके सदस्य दूकानों का निरीक्षण कर सकें कि किसी प्रकार की चोर बजारी तो नहीं की जा रही है। न्याय पंचायत के स्तर पर दूकानों के चयन के लिए एक चयन समिति बनायी गयी है जिसके चेयरमैन क्षेत्र के सरपंच हैं और सदस्य उस क्षेत्र के सभापति हैं। वह समय-समय पर ऐसी दूकानों के लिये चयन करती

[श्री बलदेव सिंह आर्य]

रहती हैं जोकि उस क्षेत्र की जनता को सस्ता गल्ला और चीनी दे सकें। यदि कोई दुकानदार किसी प्रकार की अनियमितता करता है तो वह दूसरे का चयन करके उसके नाम से दूकान दिला दी जाती है। इस प्रदेश में नियंत्रित कपड़े को बेचने के लिये भी 6,297 फुटकर बिक्री केन्द्र खोले गये हैं जिनमें 4,901 देहात में हैं और शेष शहरों में।

लेवी चीनी का 33,500 टन का कोटा इस प्रदेश का है लेकिन हमको 28 हजार मेट्रिक टन ही मिलती है, इससे हमारे प्रदेश को पर्याप्त चीनी नहीं मिल पाती। कभी-कभी इससे भी कम हो जाती है। उसी अनुपात से हम अपने उपभोक्ताओं को चीनी वितरित करते हैं। इस चीनी के कोटे का निर्धारण भारत सरकार की ओर से किया जाता है।

हमारे प्रदेश में गोदामों की एक बड़ी समस्या है। कुल संग्रह क्षमता 3९,01,06 टन है। सरकार के अपने गोदाम 52,051 टन की क्षमता वाले हैं। बाकी हम किराये पर ले रहे हैं। 31000 मैट्रिक टन के नये गोदाम विभिन्न स्थानों पर तैयार कर दिये गये हैं जिससे खरीदा हुआ गेहूं रखा जा सके। यह भी सरकार ने आदेश दिये हैं कि जो बड़े-बड़े मकान हैं, पुराने राजा और नवाबों के और खाली छूटे हुए हैं उनको भी किराये पर लिया जा सकता है। कुछ ओपेन स्पेस गोदाम बनाने का भी कार्यक्रम चल रहा है और कई जगह ऐसे गोदाम बना दिये गये हैं।

यही संक्षिप्त विवरण है जिसको मैंने इस आदरणीय सदन के समक्ष प्रस्तुत किया है।

*श्री लक्ष्मी नारायण पांडेय (जिला गोरखपुर)—

मान्यवर, आपकी आज्ञा से मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 24—सार्वजनिक निर्माण—कार्य के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर 1 रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य—विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

(इस समय 12 बजकर 55 मिनट पर अधिष्ठाता, श्री बालकृष्ण सनवाल पीठासीन हुए।)

मान्यवर, आपकी आज्ञा से मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 34—आवास भवन के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर 1 रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य—विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

मान्यवर, आपकी आज्ञा से मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 60—संचार साधन के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर 1 रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य—विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

मान्यवर, आपकी आज्ञा से मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 61—कार्यात्मक भवन के अन्त- र्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर 1 रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य—विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

मान्यवर, आपकी आज्ञा से मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 62—सार्वजनिक निर्माण अधिष्ठान के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर 1 रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य—विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

मान्यवर, आपकी आज्ञा से मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 67—सार्वजनिक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर 1 रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य—विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझव देना।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मान्यवर, आपकी आज्ञा से मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 68––कार्यात्मक भवनों पर पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर 1 रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य––विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

मान्यवर, आपकी आज्ञा से मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 70–आवास भवनों पर पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर 1 रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य––विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

मान्यवर, आपकी आज्ञा से मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 83––संचार साधनों पर पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर 1 रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य––विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

मान्यवर, आपकी आज्ञा से मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 43––सामान्य आर्थिक सेवायें के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर 1 रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य––विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

मान्यवर, आपकी आज्ञा से मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 48–खाद्य तथा पोषाहार के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर 1 रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य––विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से अनुदान संख्या 78––खाद्य तथा पोषाहार पर पूंजीगत परिव्यय के अधीन यह प्रस्ताव करता हूं कि सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य–विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

अध्यक्ष महोदय, अभी माननीय मंत्री जी ने सार्वजनिक निर्माण विभाग के कार्यकलापों पर प्रकाश डाला। किसी भी प्रदेश या देश की तरक्की जानने के लिए यह जरूरी है कि यह देखा जाय कि वहां यातायात के साधन कैसे हैं? जब से इन्सानी सभ्यता आयी तभी से इस बात की कोशिश की गयी है कि सड़कों, पुलियों और पुलों का अधिक से अधिक निर्माण हो। अंग्रेजी शासन काल में तथा मुगल काल में भी इस ओर काफी ध्यान दिया गया। हर जमाने में जहां तक विज्ञान की प्रगति हुई, साथ-साथ सड़कों का विकास भी हुआ। सड़कों के विकास की दृष्टि से जब हम अपने प्रदेश को अन्य प्रदेशों की तुलना में देखते हैं तो पाते हैं कि हमारे यहां सड़कों का विकास बहुत कम हुआ है। आजादी के बाद से इस राज्य में सड़कों के विकास को जब हम देखते हैं तो अपने प्रदेश को बहुत पीछे पाते हैं। हमारे प्रदेश का क्षेत्रफल तथा आबादी देश के अन्य सभी राज्यों से अधिक है, पर फिर भी सड़कों के विकास में यह आन्ध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश तथा महाराष्ट्र आदि राज्यों से भी पीछे है जो कि इस राज्य के मुकाबले में क्षेत्रफल तथा आबादी दोनों में ही काफी छोटे हैं। उनके मुकाबले में हमारे यहां सड़कों की लम्बाई, पुलों तथा पुलियों की संख्या काफी कम है। हमारे प्रदेश में राज्य के अर्थ तंत्र को मजबूत करने के लिये, यातायात के साधनों का विकास करने के

[श्री लक्ष्मी नारायण पांडेय]

लिये तथा पुलों आदि के बनाने के लिये हम कौन सी योजना बना रहे हैं इसका कुछ पता माननीय मंत्री जी के भाषण में नहीं चला। यह उनके भाषण से कहीं जाहिर नहीं होता है कि हम अपने प्रदेश में सड़कों को बनाने के लिये, पुलियों और पुलों को बनाने के लिये इस तरह से धन उपलब्ध करने की कोशिश कर रहे हैं।

मान्यवर, पी0 डब्लू0 डी0 में जो निष्क्रय डिवीजन्स हैं, जिनमें कोई काम नहीं रह गया है, वहां अधिकारियों और कर्मचारियों को साल भर तक बैठे-बैठे क्यों तनख्वाह वगैरह दी जा रही है उसके बारे में भी मंत्री जी ने कुछ प्रकाश नहीं डाला। ऐसे डिवीजन्स को क्यों नहीं तोड़ा जा रहा है। मान्यवर, भ्रष्टाचार उन्मूलन के बारे में मंत्री जी ने कुछ उपाय बतलाये कि कुछ टैक्नीकल एडवाइजर्स रखे गये है। ये लोग भी ऐसे ही लोगों के साथ जाते हैं जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप होते हैं और इसकी वजह से उनके भ्रष्टाचार का पर्दाफाश नहीं हो पाता है। इस भ्रष्टाचार को बढ़ाने में सबसे बड़ा हाथ ठेकेदारी प्रथा का है। यह सब को मालूम है कि उसमें ऊपर से नीचे तक कमीशन भरा हुआ है। ओवरसियर से लेकर ऊपर के अधिकारी तक ठेकेदारी प्रथा के अन्दर कमीशन प्राप्त करते हैं। इसके लिये वे ठेकेदारों को रनिंग पेमेन्ट करते हैं, जितना काम वे कराते हैं उससे ज्यादा उनको एडवांस दिया जाता है और इसकी वजह से कभी-कभी ऐसी भी स्थिति पैदा हो जाती है कि बिना काम पूरा कराये ही ठेकेदार भाग जाता है और उसकी वजह से काम समय से पूरा नहीं हो पाता है। जब काम पूरा नहीं होता तो फिर उसका दूसरा टेंडर होता है और फिर उन पर भी पेमेंट होता है। इसलिये यह ठेकेदारी प्रथा जो इस विभाग में भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा कारण है, इसको खतम करने के लिये पिछले साल ही मंत्री जी ने एलान किया था कि इस विभाग से ठेकेदारी प्रथा पूर्णरूप से खतम कर दी जायेगी, सारा काम विभागीय श्रमिकों के द्वारा कराया जायेगा लेकिन यह कहीं भी अभी तक लागू नहीं हो सका है और सारी जगह जो भी काम हो रहा है वह ठेकेदारी प्रथा के माध्यम से ही हो रहा है। इस प्रथा को खतम करना बहुत जरूरी है।

दूसरी बात जो मैं भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं कि वह यह है कि बहुत सी दरख्वास्तें दी गयीं, बहुत से निवेदन किये गये, बहुत सी शिकायतें की गयीं और उन पर जो जांच हुई उस जांच से कोई मतलब नहीं निकला। मैं आपको इसके बारे में दो तीन मिसालें भी दे सकता हूं। एक तो हमारे जिले में कुछ ओवरसियरों के खिलाफ, कुछ असिस्टेंट इन्जीनियरों के खिलाफ दरख्वास्तें दी गयीं, लेकिन बाद में मालूम हुआ कि इन भ्रष्ट-अधिकारियों और कर्मचारियों के पीछे इनका भरण-पोषण करने वाले कुछ ऐसे राजनीतिक नेता और कार्यकर्ता हैं जो इनको पनाह देते हैं। होना यह चाहिये था कि वे भ्रष्टाचार को दूर करने में मदद करते लेकिन वे उनके भ्रष्टाचार के काम में सहायक हो रहे हैं। मैं समझता हूं कि इस विभाग का जनता से ज्यादा सम्बन्ध है, जिसके लिये पैसा खर्च किया जाता है। इस तरह से भ्रष्टाचार को जो बढ़ावा मिलता है उसको रोकना जरूरी है। इसलिये जनता की तरफ से एक कमेटी बनायी जाय या जनता को यह बात मालूम हो कि इस विभाग के जरिये ये काम हुए हैं और उन पर यह खर्च हुआ है। अगर जनता को यह मालूम हो तो वह उनकी कमजोरी को, उनकी बेईमानी को और उनकी गड़बड़ी पकड़ सकती है। इसके अलावा विभाग में जो और तमाम गड़बड़ियां होती हैं उनके विभाग के कर्मचारी न बतलावें तो उनका पता चलना सामान्य लोगों के लिये बहुत मुश्किल होता है क्योंकि किसी को यह नहीं मालूम होता है कि कहां पर क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। हमने इस सम्बन्ध में एक शिकायत की है कि 3 इंच कंकड़ गिराया गया और 9 इंच कंकड़ गिरा हुआ दिखला कर उसका पैसा ले लिया गया, ईंटा तो पूरा गिरा नहीं और उसका भी पैसा पेमेंट हो गया। इसकी जांच अधिकारियों द्वारा की गयी तो सारी शिकायतें तथ्यहीन पायी गयीं। इस तरह से ठेकेदारी के माध्यम से भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है। इस सम्बन्ध में मेरा सुझाव यह है कि इसको रोकने के लिये यह

जरूरी है कि जो सरकारी विभाग के जरिये खर्च हो वह जनता को बतला दिया जाय तभी जनता इस बात को समझ सकती है और यह गड़बड़ी पकड़ी जा सकती है। इन गड़बड़ियों को दूर करने के लिये सरकार को कोई ऐसा माध्यम निकालना चाहिये तभी भ्रष्टाचार पर नियन्त्रण लगाया जा सकता है। ठेकेदारी प्रथा को समाप्त करने पर ही भ्रष्टाचार के इस रोग में कुछ कमी आ सकती है।

दूसरी तरफ मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान इस ओर खींचना चाहता हूं कि पिछले दिनों क्रैश प्रोग्राम के अन्दर जहां बाढ़ और सूखा था वहां पर भी टेस्ट वर्क के जरिये सरकार की तरफ से कुछ बंधे बनवाये गये। जो बंधे बनाये गये उनकी हालत ऐसी हो गयी है कि बरसात में पानी से या तो वे बह कर टूट गये या खतम हो गये। इसमें जो थोड़ी बहुत पुलिया बनी थीं वह ध्वस्त हो गयीं हैं। सरकार का जो करोड़ों रुपया इस काम पर खर्च हुआ है वह सब पानी में बह गया है। अगर विभाग इस पर ध्यान नहीं देता तो फिर इस तरह से जनता के पैसे को पानी में बहाने से कोई फायदा नहीं है। अभी मंत्री जी ने एलान किया कि इस प्रोग्राम में जो सड़के बनी हैं उनको लेने जा रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि आपने बहुत देर कर दी है, ज्यादातर वह सड़कें बरबाद हो गयी हैं। लेकिन अब भी अगर आप ले लेंगे और मरम्मत की तरफ ध्यान देंगे तो हो सकता है कि जो थोड़ी बहुत मिट्टी वगैरह पड़ी है वह आपके इस्तेमाल में आ जाय। इन सड़कों पर जो भी काम कराया जाय, सरकार या विभाग जो भी काम कराये वह पूरा कराये। पूरा काम न कराने से पैसा बेकार जाता है। तो पूरा कार्य कराया जाय इस तरफ सरकार को सोचना चाहिये।

गन्ना मिलों के एरिया में जो सड़कों का निर्माण है, उसके बारे में हमारी जो जानकारी है, जो मैंने देखा है तो उन सड़कों की हालत और जिला परिषदों की सड़कों की हालत करीब-करीब एक सी है। उसमें पैसा तो खर्च होता है पर काम ठीक से नहीं होता है। मैं मान्यवर, आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि जिला परिषद् और गन्ना विकास परिषद् के पास जो सड़कें हैं उनको पी० डब्लू० डी० के अन्दर ले लेना चाहिये। उनकी मरम्मत और उनका रख–रखाव होना बहुत जरूरी है। क्योंकि अन्य विभागों के पास जो सड़कें होती हैं न तो उनकी मरम्मत हो पाती है, न कोई ठीक से उपयोग हो पाता है, यातायात के काम में भी नहीं आ पाती हैं, कोई बड़ी सवारी नहीं जा पाती है। तो इनकी मरम्मत आदि हो सके, इसलिये इन सड़कों को भी लेने की जरूरत है।

मैं आपका ध्यान अपने जिले की तरफ दिलाना चाहता हूं। वहां एक सड़क है जिसे लुम्बिनी रोड कहते हैं। यह सड़क राष्ट्रीय महत्व की तो है ही, साथ ही साथ अन्तर्राष्ट्रीय महत्व की भी है। क्योंकि इस सड़क से लुम्बिनी को, जो बौद्धों का एक तीर्थ स्थल है हिन्दुस्तान से बहुत लोग जाते हैं और दुनियां के दूसरे देशों के लोग भी इसी रास्ते से आते है। इस सड़क की मरम्मत अंग्रेजी जमाने से शुरू हुयी थी और आज तक पूरी नहीं हुयी है। इस सड़क की मरम्मत नहीं हो पायी है। मैंने देखा है कि इस सड़क में पुलियों को कम से कम 4 बार तोड़ा गया और 4 बार लगाया गया है। पुलियों की नाप कुछ ऐसी ली जाती है कि साल दो साल बाद उनको तोड़ना पड़ता है। इस साल भी पुलिया को तोड़ कर और दूसरी पुलिया लगाकर सड़क बन रही है। लेकिन यह सड़क काम के लायक नहीं है।

[श्री लक्ष्मी नारायण पांडेय]

लाखों रुपये खर्च होते हैं। मरम्मत न होने के कारण जब दूसरे राज्यों के यात्री और दूसरे देशों के यात्री आते हैं तो उनको रास्ते में काफी परेशानी होती है। यह हमारे राज्य सरकार के लिये और विभाग के लिये ज्यादा सौभाग्य की बात नहीं है। इसलिये निवेदन है कि गोरखपुर से लुम्बिनी तक जो सड़क जाती है उस पर विशेष ध्यान देकर इसको अच्छा बनाया जाय जिससे जो देश और विदेश के यात्री आते हैं उनको आने जाने की सुविधा हो। सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिये।

इस सिलसिले में थोड़ी बहुत बातें मैं श्रमिकों के बारे में कहना चाहता हूं। क्योंकि मंत्री जी ने श्रमिकों के बारे में बहुत थोड़े शब्दों में कह दिया कि जो काम होगा तो जो लोग निकाल दिये गये हैं उनको काम पर फिर से लेने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने अखबार में भी पढ़ा कि 33 हजार लोगों को, कुशल अकुशल मजदूरों को काम पर लेने जा रहे हैं। लेकिन आपके विभाग में बस्ती जिले में लोगों को सरप्लस दिखा कर उनको दूसरी जगहों पर, पश्चिमी जगहों पर भेजा जा रहा है। तो जो छोटे-छोटे कर्मचारी हैं, जो चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी हैं, आपकी यह नीति भी है कि चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को दूर न भेजें और न उनका ट्रान्सफर करें। लेकिन उस नीति का पूर्णतः उल्लंघन करके उनको दूर भेज कर परेशान किया जा रहा है। इसलिये मैं चाहूंगा कि मंत्री जी इस पर ध्यान दें और यह न हो।

श्रीमन्, सरकार ने 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत यह तय किया है कि खेतिहर मजदूरों की मजदूरी साढ़े चार से साढ़े छः रुपये कर देंगे लेकिन आपके विभाग के कर्मचारियों की, जो मिट्टी का काम करते हैं, तनख्वाह 105 रु0 प्रति माह के हिसाब से दी जा रही है। इसलिये कम से कम 20 सूत्री कार्यक्रम की मंशा पूरी करने के लिये और जो आप सोचते हैं उसके मुताबिक काम करने के लिये, कथनी को करनी में बदलने के लिये अपने विभाग के छोटे कर्मचारियों को साढ़े चार या साढ़े छः रुपये के हिसाब से मजदूरी तय कर देंगे।

श्रीमन्, तीसरी बात गोंडा, बहराइच, बस्ती, गोरखपुर और देवरिया आदि जिलों में हजारों मजदूरों को निकाला जा रहा है कि काम नहीं है और यदि काम करना है तो पश्चिम जिलों में चले जाओ। उनको मजबूर किया जा रहा है कि अपने इलाके को छोड़कर पश्चिम में जायं। इसलिये उनकी इस मजबूरी को दूर करने की मंत्री जी कोशिश करें।

मान्यवर, मैं यह भी कहना चाहता हूं कि पी0 डब्लू0 डी0 के मजदूर भी इंडस्ट्रियल मजदूर हैं और उनके लिये स्टैन्डिंग आर्डर बनने चाहिये। आदेश हो गये हैं कि स्टैन्डिंग आर्डर बना दिये गये हैं लेकिन आपके विभाग ने न तो कोई स्टैन्डिंग आर्डर ही बनाये, न उनको इंस्डट्रियल लेबर ही माना और उनके विवादों का फैसला केवल विभागीय अधिकारियों की मरजी पर छोड़ दिया है। इसलिये मंत्री जी ऐसा करें कि उनको इंडस्ट्रियल लेबर बनावें और उनको नौकरी की गारन्टी दें।

मान्यवर, 1974 में 20 हजार मजदूरों की छटनी हुई थी आर्थिक संकट को दिखा कर। उस समय यह कहा गया था कि यदि विभाग में काम होगा तो उनको प्राथमिकता दी जायेगी। लेकिन जहां तक हमारी जानकारी है पूर्व के 3–4 जिलों की मैं कह सकता हूं कि जो सरकार की घोषणा थी कि यदि काम होगा तो उनमें उन्हीं मजदूरों की भर्ती की जायेगी। लेकिन उसका उल्लंघन किया जा रहा है और छटनीशुदा मजदूरों को जगह नहीं मिल रही है। यदि वहां के बाबू को भेंट न की जाय तो वह 2 साल वाले को 10 साल काम करते दिखाते हैं और 10 साल वाले को 2 साल दिखाते हैं। इस तरह से जो नीति बनायी है कि 3 साल वाले को रिगुलर कर दिया जायेगा तो वह नहीं किया जा रहा है। 3 साल वाल मामला लेकर न मालूम कितना पैसा उन मजदूरों से लिया जा रहा है कि उसकी इतनी बड़ी बदबू है कि हर जगह परेशानी है और मजदूर इतना बैकवर्ड है कि वह समझता है कि

बाबूजी को खुश करना चाहिये। मस्टर रोल के आधार पर या वर्कचार्ज लिस्ट के आधार पर इन मजदूरों की सर्विसेज का वर्गीकरण किया जाय जिससे इनको रेगुलर करने में बेईमानी न हो सके। एक बात की ओर और आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं कि इस विभाग के कई दर्जन डिवीजन निष्क्रिय कर दिये गये हैं, वहां कोई काम नहीं है। लेकिन उनके अधिकारी और कर्मचारी वेतन पा रहे हैं। इसके अलावा एक दर्जन ऐसे डिवीजन हैं जहां पर अधिशासी अभियन्ता को काम नहीं दिया गया। मैं चाहूंगा कि मंत्री जी इन दोनों चीजों के बारे में सफाई कर दें। आपके यहां वर्कशाप हैं जहां मशीनों की मरम्मत हो सकती है, पुर्जों का बदलाव हो सकता है। लेकिन इनके वर्कशाप में काम न करा कर प्राइवेट फर्म से काम लिया जाता है जिसमें बड़ा गोलमाल होता है। जो आडिट रिपोर्ट है उसमें भी इसकी चर्चा है। मैं आपका ध्यान इन बातों की ओर दिलाते हुए यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो लिंक रोड्स या दूसरी सड़कें हैं उनकी मरम्मत की व्यवस्था कराई जाय और मजदूरों की जो समस्याएं हैं उन पर ध्यान दिया जाय। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री भगौती प्रसाद शुक्ल (जिला फैजाबाद)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। मैं फैजाबाद जिले से कटहरी क्षेत्र से चुनकर आया हूं। जनता ने दो बार बहुत आशा लगाकर मुझे यहां भेजा है लेकिन एक भी सड़क वहां नहीं बन पायी। मान्यवर, ऐसी-ऐसी महत्वपूर्ण सड़कें हैं जिसके बारे में कहना आपके सामने बहुत जरूरी है और उनकी तरफ सरकार का ध्यान देना भी बहुत जरूरी है। मान्यवर, एक सड़क गोसाईगंज से सिरवा घाट की है। वह सड़क ऐसी है कि सुल्तानपुर जिले से लोग बस्ती उसी रास्ते से जाते हैं। वह ऐसी जगह है जहां पर ऋंगी ऋषि ने बहुत दिनों तक तपस्या की थी। अभी पूर्णिमा के दिन सरजू के किनारे हजारों आदमियों का मेला लगता है। हमने गत वर्ष भी निवेदन किया था और इस साल भी निवेदन कर रहा हूं और आपक अधिकारी वर्ग से भी निवेदन करूंगा यह सड़क जरूर बननी चाहिये क्योंकि जैसा अधिकारी वर्ग कह देगा, मंत्री महोदय तो उसी को कर देंगे। हमारे यहां एक क्षेत्र मया है। इस क्षेत्र में एक इन्च भी सड़क नहीं बनी है। वहां पर आने-जाने के लिये पुरानी सड़कों का तो जाल बिछा है लेकिन वे सड़कें बरसात में नाले का रूप धारण कर लेती हैं और पैदल चलना तक मुश्किल हो जाता है। अगर बहू बेटियां बरसात में नइहर में हैं तो वही रहेंगी और अगर ससुराल में हैं तो वहीं रह जायेंगी और अगर कोई विपत्ति पड़ जाय तब भी आना जाना संभव नहीं हो सकता है। एक सड़क गोसाईगंज से मया, पौसरा होते हुये महबूबगंज को जाती है। एक महरुवा से बसेहरी बिकवाजीतपुर को जाती है, बहुत महत्वपूर्ण सड़क है। इस बीच में कोई और सड़क नहीं है। वर्षा में ये सड़कें नाले का रूप धारण कर लेती हैं। इस लिये सरकार को चाहिये कि सड़कों पर ज्यादा ध्यान दें। सड़क बन जाने से यातायात के लिये जनता को काफी सुविधा मिलती है। लोगों के रोजी रोटी का भी साधन बनता है। इक्का, गाड़ी, मोटर और रिक्शा सभी चल सकते हैं और पान आदि साइकिल को अपनी दुकानें वहां सड़क के किनारे लगा लेते हैं। इसलिये सड़क बनना का बहुत जरूरी है।

[श्री भगौती प्रसाद शुक्ल]

मान्यवर, एक सड़क महरुवा से भींटी तक है वह भी बिल्कुल खराब है, न के बराबर है। एक सड़क अकबरपुर से बनगांव, अशरफपुर, बरवा मरतुआ अमसिन की है। एक सड़क तिवारीपुर मिझौड़ा रायगंज बड़ेइया, मीती से बनगांव दहेमा की है। एक महरूवा से भींटी की है। मान्यवर, इतनी पुरानी सड़कें हैं लेकिन इन पर कोई काम नहीं हुआ है और वे बड़ी ही खराब स्थिति में हैं। मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि इनका सुधार करवाया जाय। जो सड़क गोसाईगंज से महबूबगंज सेरवाघाट की है इस पर मिट्टी का काम तो पूरा हो गया है दो किलोमीटर मिट्टी पड़नी है। कंकड़ तथा अलकतरा छोड़ना है। आप उसे बनवा देते हैं तो, हजारों जनता का आशीर्वाद आपको मिलेगा। लोग वहां स्नान करने जाते हैं कार्तिक की पूर्णिमा तथा चैत की पूर्णिमा को काफी मेला होता है। इसके अलावा त्वरित योजना के अन्तर्गत जो सड़क बनी है उस पर आप ध्यान नहीं देते हैं और बरसात के पहले इसको नहीं बनवा देते हैं तो वही दशा होगी कि गधे ने खेत खाया न पुण्य में न पाप में। क्योंकि जो रुपया खर्च हुआ है वह सब पानी में चला जायगा और उस पर रास्ता चलना दूभर हो जायगा। इस त्वरित योजना में वह लूट हुई है जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता तस्वीर बना कर सड़क को खड़ा कर दिया है। महरुआ के पास साइकिल से एक लोहार जा रहा था। किनारे पर साइकिल फिसली और वह किनारे गड्ढे में गिर पड़ा और मर गया। त्वरित योजना के अन्तर्गत बनी सड़कों पर पहले ध्यान दिया जाय। अगर ध्यान उन पर नहीं दिया जाता है और उनकी मरम्मत नहीं की जाती है तो वे सड़कें बिलकुल बेकार हो जायंगी और बरसात में सारा कंकड़ तथा मिट्टी बह जायगी। लिहाजा बरसात के पहले उस पर काम शुरू कर दिया जाय। नम्बर एक सड़क वही है गोसाईगंज से महबूबगंज सिरवा घाट और दूसरे नम्बर की है महरुआ बसन्तपुर मिझौड़ा, चौराहा बितवा जीतपुर। दूसरे नम्बर वाली सड़क की तो आशा नहीं है लेकिन नम्बर 1 को बनवाने की अवश्य कृपा करें। यही मुझे कहना है। जय हिन्द।

*श्री देवकुमार यादव (जिला बांदा)—

मान्यवर, मैं सरकार का ध्यान उसकी खाद्य नीति की ओर खास तौर से दिलाना चाहता हूं। अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आजादी के 29 वर्ष के बाद भी हमारा देश व प्रदेश विदेशों से आयात किये गये गल्ले पर निर्भर है। इतिहास के जिस दौर से हमारा देश आज गुजर रहा है मैं सरकार से तथा सदन के माध्यम से भारत सरकार से यह निवेदन करूंगा कि आज इस मुल्क में केवल कुछ इंसानों को जिन्दा रखने का सवाल नहीं है। हमारी खाद्य नीति यह मांग करती है क्या हम अपने देश की आजादी, विदेश नीति और उन मूल्यों को जिनके लिये हमने बहुत समय तक संघर्ष किया उनको कायम रख सकेंगे या नहीं? इस सदन के इतने प्रबुद्ध माननीय सदस्यों के सामने जो जनता के बीच से चुन कर आये हैं या आजादी की जंग में हिस्सा ले कर यहां सम्मिलित हुए हैं उनके समक्ष मैं कुछ विशेष बात कहना नहीं चाहता लेकिन आज दुनिया की राजनीति में किस तरह से अमेरिकन साम्राज्यवाद और उसके समय के डालर और गेहूं के बल पर दुनिया के दूसरे देशों और खास कर हमारे देश की आजादी को खत्म करना चाहते हैं यह बात किसी से छिपी नहीं है।

किस तरह से अपने अधीन लेना चाहते हैं, यह बात किसी से छिपी नहीं है। अमरीकी गेहूं और डालर आज सारी दुनिया को प्रभावित कर रहा है। हम फिजिकल तौर से मिलीटरी भेज कर किसी को गुलाम नहीं कर सकते लेकिन अमरीकी साम्राज्यवादी नीति और उसकी साजिशें आज ऐसा कर रही हैं। जब तक हम अपनी खाद्य नीति पर आत्मनिर्भर नहीं हो जाते तब तक हम अपनी विदेश नीति को पूरा नहीं कर सकते हैं। मान्यवर, आज ही आपने अखबार में देखा होगा कि देश के बहुत से लोग, बहुत सी प्रगतिशील पार्टियां और सरकारी पक्ष में बैठे लोग इस नीति की आलोचना कर रहे हैं। अमरीकी

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

साम्राज्यवादी नीतियों से जो खाद्य और आर्थिक व्यवस्था हमें मिलती है उसे हमें देखना पड़ेगा कि जो माल वे हमें देते हैं या देते थे उसके बारे में मैं इतना ही कह सकता हूं कि उसमें उसने बड़े ओछेपन का परिचय दिया है। आज ही अखबार में देखने को मिला कि भारत सरकार ने दो करोड़ रुपये का दावा अमरीकी कम्पनियों पर अच्छा माल न सप्लाई करने के सम्बन्ध में किया है। कम मात्रा में सप्लाई किया है। इस तरह से वहां की कम्पनियों ने हमारे मुल्क के साथ धोखा किया है और हमारी परेशानी का नाजायज फायदा उठाया है। यह बात किसी से छिपी नहीं है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि कोई ऐसी स्वाधीन खाद्य नीति बनाने की आवश्यकता है, कुछ ऐसा काम करने की आवश्यकता है कि यह हमारा गंगा और यमुना का जो देश है, बड़ी संस्कृत और सभ्यता का देश है, जहां कृषि की बड़ी समस्या है उसे उसको विकसित करना और कृषि उत्पादन को प्रोत्साहन देना बहुत आवश्यक है। हम अनन्त समय तक विदेशों पर निर्भर करके अपने देश की स्वतंत्रता की महफूज नहीं रख सकते। हमारे देश की 86 प्रतिशत जनता खेती करती है। यहां पर सिंचाई और खेती करने के उपरकरण नहीं उपलब्ध हैं तो फिर क्या वजह है कि आज हम गल्ले के लिये विदेशों से भीख मांगते हैं? इसका मूल कारण यह है कि हमने अपने देश की कृषि की तरफ ध्यान नहीं दिया जिस पर कि आज सारे देश का भविष्य निर्भर करता है। हमें कृषि के साधनों पर ध्यान देना चाहिये था। हमारे देश की 50 प्रतिशत से ऊपर खेती असिंचित है। यहां के किसान उपेक्षित हैं।

मान्यवर, अभी गेहूं की लेवी वसूलने की बात माननीय मंत्री जी ने कही और इसके लिये हम उन्हें धन्यवाद देते हैं कि इस वर्ष जो अंदेशा किसानों के मन में था जिस तरह से कीमतें गिर रही हैं उसी हिसाब से गेहूं के दाम भी गिर गये। भारत सरकार ने 105 रु0 प्रति क्विन्टल कीमत रखकर किसानों के इस अंदेशे का समाधान किया है, इसके लिये हम आपके कृतज्ञ हैं। लेकिन यह समझ लेना कि इससे किसानों की समस्या का हल होगा तो यह बड़ी भूल होगी। मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि किसान के द्वारा जो उत्पादित चीजें जिस अनुपात से उनकी कीमत गिर रही हैं क्या उसी अनुपात से औद्योगिक माल की चीजों की कीमतें जैसे कपड़ा, चीनी, सीमेन्ट, साबुन आदि के दाम भी गिर रहे हैं? जो जिन्दगी की आवश्यक आवश्यकता की चीजें हैं उनके दामों और कारखानों से उत्पादित चीजों के दामों का अनुपात बराबर नहीं है। इस ओर सरकार का ध्यान जाना चाहिये। मान्यवर, मेरी जानकारी है कि औद्योगिक उत्पादित वस्तुओं के दाम कृषि द्वारा उत्पादित चीजों के दामों से अधिक हैं। एक बात की ओर मैं और माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, गेहूं की लेवी के बारे में। उसमें बड़ी धांधलियां हो रही हैं। अभी माननीय मंत्री जी ने बताया कि इस साल नये खसरे नहीं बन पाये और पुराने 1975 के खसरों के आधार पर वसूली का नियम बनाया गया है। मेरे जिले में एस0 डी0 एम0 ने बताया बांदा के एस0 डी0 एम0 ने कि गेहूं की वसूली का आधार 1974 के खसरे रखे गये हैं क्योंकि वहां पिछले साल भी खसरे नहीं बन पाये थे। मान्यवर, उससे किसानों को काफी दिक्कत हो रही है। 1974 के गेहूं के रकबे के हिसाब से किसान ने गेहूं नहीं बोया है। उसमें कमी या बढ़ोत्तरी हो सकती है। तो इससे उन लोगों को परेशानी हो रही है जिन्होंने इस वर्ष कम गेहूं बोया है। मैं चाहूंगा कि इस ओर ध्यान दिया जाय और जिला-

[श्री देव कुमार यादव]

धिकारी को आदेश दिये जायं कि जितने क्षेत्र में किसानों ने गेहूं बोया है उस हिसाब से वसूल किया जाय। जो इस समय गेहूं की वसूली की जा रही है उससे किसानों में शासन के प्रति जो आस्था पैदा हुई थी वह समाप्त न हो जाय। इसी तरह से 20 सूत्री कार्यक्रम के प्रति जो लोंगों का विश्वास पैदा हुआ है वह समाप्त न हो जाय और उससे दुष्परिणाम निकल सकते हैं।

गेहूं की वसूली में अधिकारीगण दिक्कत पैदा करते हैं। विचौलियों से मिल कर लोगों को परेशान कर रहे हैं। मैं अपने जिले की जानता हूं और जगहों पर भी यह बात होंगी। खास कर वहां पर जहां पर कि बड़ी-बड़ी मंडियां हैं। जब किसान गेहूं लेकर आता है तो उससे कहते है कि आपका गेहूं खराब है या स्टैंडर्ड का नहीं है। तो वह वाध्य हो कर बाजार में आड़तियों के हाथ में गेहूं बेचने को ले जाता है जिसे व्यापारी 90 और 95 रु0 क्विन्टल के हिसाब से खरीदता है। फिर उसे खरीद केन्द्रों में ले जाता है। इस तरह से बिचौलिये जो हैं वह कम से कम 10 रुपया फी क्विन्टल में कमा रहे है। यह शिकायत मेरा ख्याल है, हर जगह होगी। अभी जब माननीय सदस्य बोलेंगे तो वह इस पर प्रकाश डालेंगे। इस सम्बन्ध में मेरा सुझाव है कि ऐसा कुछ हो सकता है कि जो भी गेहूं लिया जाय उसकी खतौनी को देख कर लिया जाय जो व्यक्ति खतौनी लेकर न आये उसका गेहूं न लिया जाय। जो आदमी गेहूं नहीं उत्पादन करता है उसका गेहूं न लिया जाय। इससे कुछ सीमा तक समस्या का समाधान हो सकता है। इसलिये मैं चाहता हूं कि गेहूं खरीदते वक्त यह कदम उठाना जरूरी है।

मान्यवर, एक और समस्या जिसकी तरफ मैं मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं वह चीनी के वितरण के सम्बन्ध में है। माननीय मंत्री जी ने बताया कि एक नई नीति बनाई गई है कि जिस गांव की आबादी 5 और 7 हजार है वहां चीनी के कोटेदार नियुक्त किये जायेंगे। यह अभी तक तो कार्यान्वित नहीं हुई है। हो सकता है कि माननीय मंत्री जी को इस तरह को सूचना दें दी गई है। लेकिन मेरी जानकारी है कि हमारे जिले में इस प्रकार की व्यवस्था नहीं है। इस प्रकार की कोई चयन समिति नहीं बनी है और न ही कोई ऐसी दुकान खुली है। यह दुख की बात है कि आज जिन गरीब लोगों को किसानों को सस्ता कपड़ा और चीनी आदि आप देना चाहते है वह उनको उपलब्ध नहीं हो रही है। चीनी के बारे में मैं कह सकता हूं कि चीनी किसानों को गावों में नहीं मिल रही है। बहुत से कोटेदार जिला सप्लाई अधिकारी और इंस्पेक्टर से मिल कर चीनी उठा लेते हैं और उसे गोदाम से ही बाजार में बेच देते हैं। मिठाई वालों को और दूसरा धंधा करने वालों को दे देते हैं और महीने के आखीर में एक आध बोरा ले जाते हैं और कहते हैं कि चीनी पूरी नहीं मिली कहीं। आप सर्वे करायें तो मेरा विचार है कि कोई शायद ऐसा जिला हो जहां हर माह में पूरी चीनी मिलती हो। आपने उसमें कटौती भी कर दी है, किन्तु 5 सौ ग्राम भी देहात में जाने वाली नहीं है। आपने सतर्कता कमेटी का उल्लेख किया, मुझे अफसोस होता है, जब हम सरकारी कर्मचारियों की आलोचना करते हैं उनके भ्रष्ट और गड़बड़ होने के लिये, कि सतर्कता कमेटी में जो सार्वजनिक कार्यकर्ता लोग रखे गये हैं, वे भी भ्रष्ट हैं और उनसे हिस्सा बांट लेते हैं। इससे वह उनकी खामियों को नोट नहीं करते हैं और किसी से नाराज हो गये तभी उसके खिलाफ कुछ करते हैं। साथ ही ईमानदार दकानदारों को यह सतर्कता कमेटी के लोग परेशान करते हैं और उनकी दूकानें चलने नहीं देते हैं। एरिया अफसर, सप्लाई अफसर या सप्लाई इंस्पेक्टर का दूकानों से माहवारी बंधा होता है जो कम से कम 500 रूपया होता है, फिर चाहे वह ब्लैक करे, चाहे कम तौले। इस तरह से इन लोगों के पास विना कुछ किए करीब 25 सौ रुपया पहुंच जाता है। इसलिये इस चीनी वितरण में बहुत सुधार की आवश्यकता है और सतर्कता विभाग के लोगों के बारे में भी कोई कमेटी आप बनाएं यानी इसमें परिवर्तन की आवश्यकता है। खुफिया विभाग के जरिये इन सार्वजनिक कार्यकर्ताओं की जांच करायें तो वह भी सावधान हों।

मैं चीनी वितरण के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं, जो गोदाम से चीनी उठाते हैं, उन्हें सप्लाई आफिस से इसके लिये रिलीज आर्डर मिलता है, जब दूकानदार गोदाम में जाते हैं बोरा उठाने के लिये तो एक क्विन्टल बोरीं में एक किलो तो चीनी उन्हें अवश्य कम मिलती है। सन् 74 में चुनाव के दौरान एक बार जब मैं बवेरू कस्बे में गया, तो हमें लोगों ने बताया कि गोदाम इंचार्ज परखी लगाकर उनसे चीनी निकाल लिया करते हैं। इस प्रकार से वे बहुत चीनी जमा करके उसका ब्लैक करते हैं। यदि कोई दूकानदार चीनी तौलकर देने के लिये जिद्द करता है, तो उससे कहते हैं कि लेना हो तो लो, नहीं न लो। इसके बावजूद रिलीज करने में भी रिलीज करने से पहले पैसा लेते हैं, न मिलने से उसका समय बर्बाद करते हैं और उसको दिन भर बिठाए रहते हैं। इस तरह से उसे बाध्य होकर हर एक को कुछ न कुछ पैसा देना पड़ता है, तो फिर वह कैसे 2.15 पैसे किलों में उसे बेचे, जबकि उसे बोरा भी नहीं बचता है। आप या तो इसे खत्म कर दें या इसमें आवश्यक सुधार करें, जिससे यह समस्या दूर हो।

अब मैं कोयले के वितरण की ओर और खासकर लखनऊ पर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं, यहां उसके लाइसेन्स मिलते हैं। इसमें एक गड़बड़ी मुझे यह बताई गई कि 2–2, 3–3 वर्ष के कुछ लोगों को लाइसेस मिल गये हैं। लेकिन यहां कोयले की कुछ लोग यूनियन बनाये हुए हैं, कोल फेडरेशन या कोल यूनियन। उसमें ऐसी कोई शर्त है कि कोई लाइसेंसदार उस यूनियन का सदस्य अगर नहीं बनेगा तो उसको कोयला नहीं दिया जायगा। डिलीवरी नहीं होगी। ऐसे 25 कोल यूनियन के लोग जब लेते हैं तब इनरोल करते हैं। आपके पास अप्लीकेशन भी दिया था कि इसकी जांच कराई जाय। इसमें बहुत से स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी भी हैं, जिसके आधार पर उन्हें कोयले का लाइसेंस दिया गया है, उनको भी कोयला नहीं मिलता है। इसकी जांच कराई जाय और इसमें जो दोषी हों, उनको दंडित किया जाय।

इस विभाग की जो तस्करी है, चावल की तस्करी, बांदा जिले से आप परिचित हैं। हमारा जिला मध्य प्रदेश से लगा हुआ है और सौभाग्य से चावल का अच्छा उत्पादन हमारे जिले में होता है। अतर्रा हमारे जिले की तीसरी मंडी है जहां से हम चावल सप्लाई करते हैं। उसमें दु:ख इस बात का होता है कि उसमें कुछ उत्तरदायी अफसर भी शामिल होते हैं। यहां की चावल की बहुत सी जो राइस मिल्स हैं, वहां से आपको आश्चर्य होगा कि एक ट्रक चावल में जो मुनाफा होता है, वह लगभग 15–16 हजार का होता है और उसमें 6 हजार रुपये रिश्वत देते हैं और 10 हजार रुपये एक रात में पैदा करते हैं। एक बार मालूम हुआ, तस्करी कर्ता को बुलाया, तो उसने बड़ी हास्यस्पद बात कही। उसने कहा कि हम बिजनेस करते हैं, धंधा करते हैं और एक रात में 10 हजार रुपया मिलता है। एक बार सर्किल इन्सपेक्टर ने, डी0 वाई0 एस0 पी0 ने ठेला पकड़ा। श्रीमन्, राइफल लेकर जाते हैं, और उनको धमकी दी जाती है, थानेदार का, डिप्टी आर0 एम0 ओ0 का सीनियर मार्केटिंग अफसर का अलग से बंधा हुआ है। एक आर0 एफ0 सी0, झांसी डिवीजन के थे, उनके विरुद्ध इतने आरोप थे कि वह खुद उस एरिया में जाकर तस्करी करवाते थे। एक डिप्टी आर0 एम0 ओ0 जो कि ईमानदार आदमी थे, उनके लिये लोगों ने कहा कि वह क्यों तस्करी में हिस्सा नहीं लेते हैं। वहां की तस्करी के बारे में हम लोगों ने शिकायतें की, शायद किसी आदमी ने रिपोर्ट लिखाया था और उसके खिलाफ डी0 आई0 आर0 का

[श्री देव कुमार यादव]

मुकदमा कायम था, उस मुकदमे में आर0 एफ0 सी0 की बजह से फाइनल रिपोर्ट लगने वाली है। इस तरह से लखीमपुर खीरी की भी सूचना मिलती है। जो नेपाल से चावल आता है, उसमें लाखों रुपये का गोलमाल होता है। इस संबंध में कोई प्रभावकारी कदम उठाया जाना चाहिये जिससे चावल की तस्करी जो है या हमारे सूबे का चावल जो है, या जो प्राहिबिटेड काम है, जिससे तस्करी वाली समस्या हल हो सके।

मान्यवर, मैं एक-दो बातें सार्वजनिक निर्माण विभाग के संबंध में निवेदन करना चाहता हूं। हमारा जिला बहुत ही पिछड़ा हुआ जिला है। यहां पर यातायात की प्रबल समस्या है। बांदा से तिंदुवारी को जाने वाली सड़क पर बसों का चलना बहुत ही कठिन हो गया है। इस सड़क पर डामर नहीं पड़ा है गिट्टी ही पड़ी रह गयी है जिससे बसों और जीपों के टायर में बियर एण्ड टियर होती है। इस वियर एन्ड टियर से जितना नुकसान सरकार को होता है अगर उतना ही रुपया इस सड़क की मरम्मत में लगा दिया जाय तो यह सड़क पूरी तरह से ठीक हो सकती है। मान्यवर इसी तरह की एक सड़क है जो ओरन से कमासिन जाती है। यह सड़क अंग्रेजों के जमाने में जब अकाल पड़ा था उस समय बनायी गयी थी। यह बात बुजुर्ग लोग बताते हैं कि उन दिनों आदमियों को जिन्दा रखने के लिये चावल की कनकी से इस सड़क को बनाया गया था। आज इतना समय आजादी को मिले हो गये हैं लेकिन इस सड़क की ओर शासन का ध्यान नहीं गया है। इस स क की हालत यह हो गयी है कि कोई भी आदमी सड़क पर नहीं चल सकता है वह सड़क के बाहर चलता है। यह सड़क बहुत ही पिछड़े इलाके में है। इसलिये मैं आग्रह करना चाहता हूं कि ऐसे क्षेत्रों में जहां पर सड़कों की नितान्त आवश्यकता है उन क्षेत्रों का सर्वे कराया जाये और वहां पर सड़कों का निर्माण कराया जाये।

मान्यवर, मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहता हूं। एक बार मैं फिर आपसे आग्रह करुंगा सार्वजनिक निर्माण विभाग में जो ठेकेदारी की प्रथा है वह लगभग आपने समाप्त कर दी है लेकिन आपका जो कान्सट्रक्शन डिवीजन है उसमें बहुत सी गड़बड़ियां हैं और बहुत अधिक भ्रष्टाचार व्याप्त है। मान्यवर, फर्जी सप्लाई दिखाकर पेमेंट करा लिया जाता है। जिस क्वालिटी का माल आना चाहिये उस क्वालिटी का माल नहीं आता है। अच्छी क्वालिटी के माल के बजाय खराब क्वालिटी का माल क्रय कर लिया जाता है जिससे जो निर्माण किया जाता हैं उसमें स्थायित्व नहीं आता है और शिकायतें आती हैं। इस ओर माननीय मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। मान्यवर, और तो मैंने खास-खास समस्याओं की ओर ध्यान आकृष्ट कर दिया है सरकार को उनको दूर करने का प्रयास करना चाहिये। अगर सरकार इन समस्याओं का निराकरण आज इमरजेन्सी के दौरान में नहीं कर पायेगी तो कभी नहीं कर पायगी। इस समय तो अवसर बहुत अच्छा है कि इन भ्रष्टाचारों को दूर किया जा सकता है। धन्यवाद

श्री भगवती चरण निर्मोही (जिला गढ़वाल)--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे सार्वजनिक निर्माण विभाग के बजट पर बोलने का अवसर दिया, मैं उसके लिये आपका कृतज्ञ हूं और आपको आभार प्रकट करता हूं। श्रीमन्, एक कहावत है कि आदमी कहीं भी बैठा हुआ हो तो उसको वहां से अपना घर नजर आता है और मैं भी इस सदन में बैठकर जब अपने क्षेत्र की दुर्दशा का ध्यान करता हूं तो बहुत ही चिन्ता होती है। मैं कहना चहता हूं कि जिस क्षेत्र से मैं चुनकर आया हूं वह पर बहुत ही ऊबड़ खाबड़ क्षेत्र है। इतना पिछड़ा पन और कहीं नहीं है। मेरे क्षेत्र में अत्यन्त पिछड़ा ढांगू क्षेत्र है। और वहां के लिये एक मिसाल प्रसिद्ध है कि जाना ढांगू आना आंगू। अर्थात् अगर आपको मांगू जाना है तो बहुत सावधानी से जाना चाहिये नहीं तो पगडंडी पर पैर फिसल जाने से किसी लम्बे चौड़े गड्ढे में जाना पड़ेगा जहां पर हड्डी

पसली चूर हो जायेगी। गतवर्ष मेरी प्रार्थना पर वहां पर सरकार ने चालू सैर–सिंगटाली सड़क की स्वीकृति कर दी थी और उस पर निर्माण कार्य चल रहा है। इसके लिये मैं सरकार का कृतज्ञ हूं लेकिन अभी भी यह क्षेत्र ऐसा है कि अभी वहां और मोटर सड़कों की जरूरत है। जहां पर घोड़े और खच्चर भी नहीं चल सकतें हैं तो आदमियों को तो बड़ी ही सावधानी से जाना पड़ता है। माननीय मंत्री जी के बजट भाषण को सुनकर कुछ आशा बंधी है लेकिन यहां आकर मैं देखता हूं कि आशा कभी निराशा का मिश्रण बन जाती है। पौड़ी देव प्रयाग मार्ग कभी का बन गया है लेकिन 12 जून से अप्रैल के लगभग तक वहां मोटरें नहीं चली। मैंने जब प्रश्न किया तो बताया गया कि अब बनता है तब बनता है। वहां से तो कार्य की स्वीकृति हो जाती है लेकिन नीचे के स्तर पर एक लापरवाही जैसी हो जाती है जिससे जनता को बड़ा कष्ट उठाना पड़ता है।

अब मैं माननीय सार्वजनिक निर्माण विभाग के मंत्री जी का ध्यान एक और बात की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। मेरे क्षेत्र चोदकोट में 2 सड़कें जन साध्य और जन श्रम साध्य बनी हैं। इन सड़कों का निर्माण भारतवर्ष में सबसे पहला उदाहरण है। वे जनता ने अपने हाथों से बनाई है। उन्हें महिलाओं, बच्चों और बूढ़ों ने फौजी स्तर पर कार्य करके बनाया है। पी0 डब्लू0 डी0 ने इन मार्गों को अपने हाथ में ले लिया है, लेकिन अभी तक भी वे पक्की नहीं हो पाई हैं। इन पर इतनी धूल उड़ती है कि वहां के लोगों की अगर छाती मजबूत न होती तो क्षय रोग से ग्रसित हो जाते। उन लोगों के हृदय और शरीर दृढ़ है, पहाड़ी लोग हैं। मेरी मंत्री जी से प्रार्थना है कि उनको पक्का कराने की कृपा की जाय ताकि लोगों का उत्साह बढ़े और सड़कों का वे निर्माण कर सकें।

बानघाट पुल की ओर भी मैं मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। उसके थुए तो बने हुए हैं लेकिन उन पर पुल का निर्माण कार्य आरम्भ नहीं हुआ है। पूछने पर कह दिया जाता है कि अब होता है तब होता है। और आखिर में कह दिया गया कि अब यह कार्य सेतु निगम के पास चला गया है। वे ही इसे बनवा सकते हैं। इस सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि वहां पर प्रति वर्ष कच्चा पुल बनाया जाता है और जैसे ही आसाढ़ में बरसात आती है तो इसे उखाड़ दिया जाता है। यदि हिसाब लगाकर देखा जाय तो जितना इन कच्चे पुलों पर सरकार खर्च कर चुकी है यदि पक्के पुल बनते तो उतनी धनराशि में 3–4 पुल बन सकते थे। तो यह राष्ट्रीय धन का दुरुपयोग हो रहा है।

कुछ कर्मचारी तो जानबूझ कर इसमें शिथिलता करते हैं लेकिन क्योंकि गढ़वाल का वातावरण उनको सुविधाजनक नहीं जान पड़ता है। वे सोचते हैं कि अगर उनके खिलाफ शिकायत हो गई तो उनका तबादला हो जायगा, मैदानी क्षेत्रों में। तो मेरी प्रार्थना है कि ऐसे क्षेत्रों में सरकार द्वारा निष्ठावान और कर्त्तव्य परायण कर्मचारियों को ही भेजा जाय ताकि वहां पर भी काम हो सके।

अब मैं त्वरित योजना के बारे में कहना चाहता हूं। इस योजना के अन्तर्गत कुछ सड़कें बनी हैं, मोटर सड़क और स्कूलों में फील्ड बने और कुछ अन्य सड़कें भी बनी लेकिन आज उनकी यह दुर्दशा हो गई है कि वे टूट फूट कर बेकार होने लगी हैं। वह भी राष्ट्रीय धन का दुरुपयोग हो रहा है। मैं माननीय सार्वजनिक निर्माण मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि

[श्री भगवती चरण निर्मोही]

जो त्वरित योजना के अन्तर्गत सड़कें बनी हैं उनको पी० डब्लू० डी० ले ले ताकि उनका रख-रखाव हो सके और यह दुरुपयोग से बच सके और जब यहां से भविष्य मे सड़कों के निर्माण की स्वीकृति होगी तो सरकार को वे बनी बनाई मिलेगी। इससे सरकार और राष्ट्र के धन की भी बचत हो सकती है। यह मेरा आपसे निवेदन है।

अभी मैंने उपलब्धियों का एक संक्षिप्त विवरण पढ़ा। प्रदेश में कई स्थानों पर पुल बने। हमारे यहां पिछले साल से अलखनन्दा नदी पर पुल स्वीकृत था लेकिन पता नहीं चला कि वह बन रहा है या नहीं। वह महत्वपूर्ण पुल है और पौड़ी–देवप्रयाग मोटर मार्ग को ऋषिकेश देहरादून से मिलाने में वह सहायक सिद्ध हो सकता है। जो मुसाफिर ऋषिकेश से श्रीनगर के रास्ते पौड़ी जाता है। उस पुल के बन जाने से उसे 30 किलोमीटर की बचत हो जाती है और इतना पैसा बच जाता है। उसको शीघ्रातिशीघ्र निर्माण कराने की कृपा करें। सार्वजनिक निर्माण मंत्री जी तो वहां के चप्पे-चप्पे से परिचित हैं। मुझे उम्मीद है कि इस वर्ष पहाड़ों को अधिक से अधिक सड़के मिलेंगी। लोग कहते हैं कि मैदानों को कम क्यों और पहाड़ों को ज्यादा क्यों? श्रीमन्, हम लोग तो कन्दमूल फल खाकर के अपनी गुफाओं में आराम से पड़े हुए थे। हम जानते नही थे कि सड़कें और बिजली क्या होती है। लेकिन भौतिकवाद की चकाचौंध जब गुफाओं में पहुंच जाती है और उसका प्रकाश वहां पहुंच जाता है तो वहां भी लोग उस वातावरण में आ ही जाते हैं। हम यह तो नहीं चाहते कि पर्वतीय प्रदेश उत्तर प्रदेश से बहुत आगे बढ़ जाय, उसके और जिलों से, हम तो चाहते हैं कि और जिलों के पीछे-पीछे चले, लेकिन समानान्तर चल सकें। दो बैल होते हैं गाड़ी के, वह एक के साथ एक न रहे तो गाड़ी कैसे चलेगी? और राज्य की गाड़ी खीचना है तो समानान्तर चलना होगा तभी गाड़ी खिंच सकती है। मै दो बाते पुनः निवेदन कर दूं। एक बान घाट पुल और एक चौदकोट की सड़कें जो पक्की नहीं बनी ऊबड़–खाबड़ हैं, उनको प्राथमिकता दी जाय। मैं बजट का पुनः समर्थन करता हूं बजट उत्साहबर्द्धक है और आशाप्रद है। मैं कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं। इसलिये कि कटौती के बजाय वृद्धि का प्रस्ताव आता तो दो चार सड़कें और बनतीं, इसलिये विरोध करना पड़ता है। धन्यवाद

*कुंवर श्रीपाल सिंह (जिला सुल्तानपुर)—

आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, अभी भाई निर्मोही जी ने एक चीज कही कि कटौती के प्रस्ताव को लाने की आवश्यता नहीं थी। तो उसके बारे में निवेदन करना चाहता हूं कि यह परम्परानुसार बोलने के लिये किया जाता है, वरन् हम भी यही चाहते हैं कि सार्वजनिक निर्माण विभाग पर अधिक से अधिक धन खर्च किया जाय। मैं और कुछ निवेदन करने के पहले एक विचित्रता की तरफ थोड़ा ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। उनके विभाग की तरफ से यह पुस्तक छपी है, "सार्वजनिक निर्माण विभाग उत्तर प्रदेश 1975–76"। यह पुस्तक पारसाल भी छपी थी ठीक इसी नाम से। इसमें अन्तिम पृष्ठ पर जो आंक दिये हुए हैं उसमें विचित्रता यह है कि पार साल से इस साल 12 किलोमीटर सड़कें चोरी हो गयी हैं। कहां गयीं यह भगवान जाने। इसमें जिलेवार 25 सड़कों की अनुमानित लम्बाई किलोमीटर में दी हुई है 974–75 में। उसके कालम 5 में आप देखें जिसमें लिखा है "मार्च, 74 के अन्त में सार्वजनिक निर्माण विभाग, जिला परिषद् तथा अन्य विभागों को मिला कर बनी सड़कों की कुल लम्बाई।" तो सन् 74 में सुल्तानपुर जिले में सड़कों की कुल लम्बाई थी 643 किलोमीटर और सन् 75 में लिखी हुई है 631 किलीमीटर। तो यह 12 किलोमीटर सड़क कहां चली गयी? यह बाढ़ में बह गयी या कागजों के हेरफेर में किसी की जेब में चली गयी, भगवान जाने। कहीं ऐसा तो नहीं है कि यह पुस्तकें जो छपती हैं

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

यह केवल इसलिये छाप दी जाती हैं कि कुछ छाप कर दे दो, उनके कबूतरखाने में रख दों, वह ले कर चले जायेंगे, कोई देखेगा तो है नहीं। अगर छपाई की बात होती तो और जगह ऐसी बात न होती। लेकिन छवें कालम में जिसमें फरवरी, 1971 को सार्वजनिक निर्माण कार्यों को स्वीकृत करते हुये, स्तम्भ 5 की लम्बाई 571 है 74 वाले में और 559 है 75 वाले में। इससे यह सिद्ध होता है कि केवल हमलोगों को मूर्ख बनाने के लिये यह छापी जाती है और कोई इसकी वकत नहीं है ।

समय थोड़ा है इसलिये मैं अधिक बातें न कह कर केवल अपने जिले से ही शुरू करूंगा। उत्तर प्रदेश में सब से पिछड़ा हुआ जिला हैं सुल्तानपुर। माननीय निर्मोही जी कह रहे थे पहाड़ी जिलों के बारे में। तो इस पुस्तिका को, जिस पर मेरा अब कोई इत्मिनान नहीं रह गया है, अगर आप देखियेगा तो इसमें बम्बई फारमूला के अनुसार जिन जिलों में सड़कों का काम जितने प्रतिशत पूरा हुआ है उसमें सब से ज्यादा पूरा हुआ है अल्मोड़ा जिले में 162 परसेंट। बकिया जिलों में किसी में 83 परसेंट है, किसी में 62 परसेंट है।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता--

माननीय सदस्य आपस में बात न करें।

कुंवर श्रीपाल सिंह--

तो जैसा मैं कह रहा था सुल्तानपुर सब से पिछड़ा हुआ जिला है और वहां इस वक्त तीन युग चल रहे हैं। एक नवाबी युग है, दूसरा अंग्रेजी युग है और तीसरा स्वराजी युग है। नबाबी युग की सड़के वे हैं जिन पर पछुवा हवा के झोंको के साथ धूर की आंधी उड़ती रहती है। अंग्रेजी युग की सड़के वे हैं जो कंकड़ की बनी हैं जिन पर चलने से साइकिल और मोटर गाड़ियों के टायर घिस जाते हैं, यदि कोई पैदल चलता है तो उसके पैरों की खाल छिल जाती है, जूता पहन कर चलता है तो उसके जूते का सोल घिस जाता है। स्वराजी युग की सड़के वे हैं जो काली चमकती हुई है और एक सांप की तरह से बिछी हुई है। इस चमकने वाली काली सड़कों की लम्बाई ज्यादा है, पर क्यों ज्यादा है? इस पर विचार करने की जरूरत है। ऐसा है कि तीन हाइवेज हमारे जिले से होकर गुजरती है। यह सड़कें हमारे जिले की नहीं हैं, जिले के पास से गुजरती है केवल। एक सड़क लखनऊ से बनारस, दूसरी इलाहाबाद से फैजाबाद, तीसरी सुल्तानपुर से बलिया। इन चमकती हुई सड़कों पर मंत्री जी की कारें, विदेशियों की गाड़ियां तथा सरकारी बस वगैरह चलती है। इन सड़कों के अलावा 10 प्रतिशत सड़क कंकड़ वाली है अंग्रेजी युग की। शेष नवाबी युग की हैं धूलवाली। एक गांव को दूसरे गांव से जोड़ने वाली सड़कें एक भी नहीं हैं। उनकी ओर कतई ध्यान नहीं दिया गया है। एक व्यक्ति जो कलकत्ते से आता है, जब तक वह बस में सफर करता हैं उसको सब ठीक नजर आता है, कलकत्ते जैसा दिखाई देता है, पर ज्योंही वह बस से उतर कर पैदल अपने गांव की ओर चलता है तो उसे कलकत्ता याद आता है। पैदल चलने पर जब वह देखता है कि इन धूल भरी सड़कों पर बैलगाड़ियां चल रही हैं, या ऊंट जा रहे हैं, तो उसको वही अन्तर याद आता है जो अन्तर राकेट युग में और हड़प्पा युग में है। जब तक ह बस में बैठा रहता है उसे वह अन्तर दिखाई नहीं देता है, जब वह उतर कर पैदल चलने गता है तब उसे वह अन्तर दिखायी पड़ता ह।

[कुंवर श्रीपाल सिंह]

मेरा आपसे कहने का तात्पर्य यह है कि आप एक गांव को दूसरे गांव से जोड़ने वाली जो छोटी-छोटी 5–10 मील वाली सड़कें हैं उन पर अधिक ध्यान दीजिये। पूरा देश गांव में ही बसा है। यदि आप अपने प्रदेश और देश की तरक्की चाहते हैं तो हर गांव को सड़क से जोड़ने का प्रयास करिये। अभी 5–6 दिन हुये मैंने अखबार में पंजाब के मुख्य मंत्री श्री जैलसिंह का भाषण पढ़ा था। उसमें उन्होंने यह भी कहा था कि पंजाब के हर गांव को हम शहर बना देंगे इस योजना के अन्दर। माननीय प्रतापसिंह कैरो ने भी यही चीज की थी कि उन्होंने पंजाब के हर गांव को टार रोड से जोड़ दिया था। पंजाब का ही रहने वाला मेरा एक मित्र था जो 4 साल बाद पंजाब गया। लौट कर वह कहने लगा कि मैं अपने ही गांव को नहीं पहचान सका। जिस गांव में साइकिल से और पैदल जाना पड़ता था उस गांव में जाकर सीधे उसी गांव में बस से उतरा। यदि आप चाहें तो आपके हाथ में यह कुंजी है कि आपप्रदेश का नक्शा बदल सकते हैं, प्रदेश की सभ्यता बदल सकते हैं और प्रदेश के लोगों की आमदनी बढ़ा सकते हैं। तो इसलिये मेरा आपसे यही निवेदन है कि आप उस तरफ भी ध्यान दें नहीं तो ये तो हाईवेज बनाये गये हैं इनसे किनको लाभ है? ट्रक चलाने वालों को। अगर आप जिलों में जाकर देखें तो जिन लोगों के पास एक ट्रक था, उनके पास अब 25 ट्रक्स चल रहे हैं। सड़कों के किनारे जो होटल हैं उनको लाभ है लेकिन क्या सार्वजनिक निर्माण विभाग ने उन बेचारे ग्रामीणों के लाभ को भी सोचा है जिनके धूप में चलते हुए तलुवे जलते हैं और जलते हुए बालू और गर्द की वजह से उसका मस्तिष्क परेशान होता है। उस पर भी मरहम लगाने के लिये आपने कुछ किया है। उस तरफ आपने ध्यान नहीं दिया है। अगर आपने इस तरफ ध्यान नहीं दिया तो इसके माने यह हुआ कि पूरा भारत पीछे रह जायगा।

अब मैं अपने क्षेत्र के बारे में थोड़ा सा निवेदन करना चाहता हूं। मेरे क्षेत्र में कुछ ऐसी सड़कें हैं जिनका बनना बहुत आवश्यक है। मेरे क्षेत्र के लोग बड़े ही मेहनती हैं, वे अपने पसीने की कमाई से अच्छे ढंग से रहना चाहते हैं। आपसे मेरा निवेदन है कि मेरे यहां एक सड़क लमुहा से दुर्गापुर बाजार तक जाती है। वह अभी भी अंग्रेजी युग की कंकड़ वाली सड़क है। आप कृपा करके उसे स्वराज्य युग में लाने की कृपा करें। एक सड़क लमुहा से दियरा घाट को जाती है जो नवाबी युग की है, उसे स्वराज्य युग में लाने की कृपा करें। एक सडक सराय रानीपुर, गरैन–शिवगढ़–बजेही होते हुए कोहडौर को जाती है। उस पर आज भी केवल बैलगाड़ी ही चलती है, साइकिल भी नहीं चलती है। कृपा करके आप इसको भी आगे बढ़ाने का प्रयास करें। एक सड़क पट्टी–चांदा–कालीपुर को जाती है। वह भी अंग्रेजी जमाने की सड़क है उसे भी स्वराज्य युग में लाने की आवश्यकता है। एक सड़क कामतागंज से शम्भूगंज और दूसरी हनुमान गंज से शम्भूगंज को जाती है इन दोनों सड़कों पर मिट्टी पड़ चुकी है। यह उस वृद्ध की तरह से है जैसे जिसके पोपले मुंह पर झुर्रियां पड़ गयी हों उसको भी दुरुस्त कराने की जरूरत है। इसी तरह से चांदा रामपुर सड़क बनी हुई तो है लेकिन पुराने ढंग की है। उसे भी ठीक करने की जरूरत है। उसी तरह से बेदुपुरा–गादापुर–मुरैना सड़क है, वह भी मौजूद है। उसको भी ठीक कराने की कृपा करें। एक कोथना, बलौना, शिवगढ़ सड़क हैं। इन तमाम सड़कों के बन जाने से वहां की उपज भी बढ़ जायेगी और वहां के लोग आपको धन्यवाद देंगे तथा स्वयं सुखी होकर रहेंगे। (लाल बत्ती होने पर) दूसरी और भी बहुत सी बातें कहनी है। इसके लिये आप अगर मुझे 5 मिनट का समय दे दें तो बड़ी कृपा होगी।

श्री [illegible] घण्डाला—

3 मिनट बोल लें।

कुंवर श्रीपाल सिंह—

खाद्यान्नों का जहां तक सम्बन्ध है, गेहूं का दाम घटा है। गेहूं का दाम क्यों घटा जब कि और चीजों के दाम नहीं घटे हैं। गल्ले में ही दूसरे और गल्लों के दाम नहीं घटे केवल गेहूं के घटे। किसान के इस्तेमाल में आने वाली चीजों के दाम नहीं घटे। इसका क्या कारण है? इसका एक मात्र कारण यह है कि सरकार ने चाहा, इसलिये दाम घटे। सरकार ने गेहूं की खरीदारी को अपने हाथ में ले लिया है इसलिये दाम घटे हैं। इसलिये नहीं घटे हैं कि खाद के दाम घट गये। जिस वक्त गेहूं 2 रुपये किलो बिकता था उस उक्त खाद (यूरिया) 53 रुपये की 50 किलो मिलती थी। आज यूरिया खाद 85-90 रुपये में मिल रही है। लेकिन दूसरी तरफ जो गेहूं पहले दो रुपये किलो बिकता था वह अब 80-90 रुपये विवन्टल बाजारों में बिक रहा है। आप तो 105 रुपये पर ले रहे हैं। स्वयं आपके कृषि विश्वविद्यालय, नैनीताल, पंतनगर ने रिकमेंड किया है कि 120 रुपये पर लिया जाय। मंत्री जी ने अपने भाषण में कहा था जिसको मैंने नोट कर लिया था। जब आपके एक्सपर्ट जहां गेहूं पैदा होता है, जब वह 120 रुपये कह रहे हैं तो ऐसी हालत में 105 रुपये दाम जो हैं उसको उचित मान लेना, मेरी राय में तो उचित नहीं। और इससे तो अनुचित बात यह है कि पहले 3 रुपये ढुलाई के मिलते थे अब वह भी बन्द कर दिये गये हैं क्यों? आज बाजार में कोई और गेहूं खरीदने वाला नहीं है सिवाय सरकार के कोई नहीं है सबके ऊपर प्रतिबन्ध लगा हुआ है। तो मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा, मैं मानता हूं कि भारत सरकार की एक नीति है, एक नीति होनी चाहिये और उसी अधार पर 105 रु0 रखा गया है। आप स्वयं चाहते हैं कि इसकी कीमत बढ़े, मगर नहीं बढ़ सकती। मगर फिर भी प्रयास न छोड़ना चाहिये। उचित बात कहने में अपना प्रयास नहीं बन्द करना चाहिये। जब आपके फार्म वाले 120 रुपए की बात कहते हैं तो उस पर आप लगे रहें। भारत की नीति जो होगी उसको तो मानने के लिये सब लोग हैं ही। अन्त में मैं अधिष्ठाता महोदय, आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने मुझे बोलने के लिये समय दिया।

*श्री राजेन्द्र प्रसाद दौनेरिया (जिला आगरा)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे समय दिया। मैं सबसे पहले खाद्य विभाग के संबंध में अपने कुछ सुझाव मंत्री जी के समक्ष रखूंगा। आज जिला पूर्ति कार्यालय में इन्स्पेक्टरों के लिये कोई भी काम नहीं रह गया है। उन इन्स्पेटरों को आज ब्लाक स्तर पर भेज दिया गया है ताकि वह वहां पर चीनी का जो वितरण हो रहा है उसको देखें और समुचित रूप से चीनी का वितरण करायें। इसके विपरीत हो यह रहा है कि जो इंस्पेक्टर ब्लाकों में गये हैं वह अपने धंधे खूब कर रहे हैं और चीनी का वितरण ठीक तरह से नहीं हो रहा है। चीनी वितरकों से वह अपनी साठगांठ किये रहते हैं जिससे चीनी का वितरण सही रूप से नहीं होता। इसके पहले बी0 डी0 ओ0 महोदय चीनी का वितरण कर रहे थे जिसके ऊपर कोई खर्च नहीं था। इसलिए मेरा सुझाव है कि इन इंस्पेक्टरों को कहीं दूसरी जगह दूसरे काम में लगाया जाय ताकि यह जो फिजूल पैसा खर्च हो रहा है, वह बच सके। साथ ही साथ मेरा निवेदन है कि आज गावों में 800-900 ग्राम

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री राजेन्द्र प्रसाद दौनेरिया]

चीनी जो दी जाती है, 3-3, 4-4, मील दूर से लोग चीनी लेने नहीं पहुंचते हैं। मेरा सुझाव है कि जितनी भी चीनी साल भर में उनको देनी हो साल में तीन बार फी-यूनिट के हिसाब से बांट दिया जाया करे तो सारे लोग चीनी लेने आ सकते हैं और समुचित रूप से चीनी मिल सकती है। वरना जो चीनी ग्रामीण लोगों को देते हैं वह ब्लैक में जाकर बिकती है और उसका फायदा जनता को न मिलकर सरकारी अधिकारियों को मिल रहा है। जिसकी वजह से सरकार यह योजना चलाती है उसकी उसमें बदनामी होती है। इसलिये सरकार बदनामी से बचने के लिये अवश्य कोई उपाय करेगी। सस्ते कपड़े की दुकानें जो आपने खोली है उन पर इतना रद्दी कपड़ा जा रहा है कि हर दुकन पर कपड़े के ढेर लगे हैं। इसलिये उसमें सुधार कराया जाय और फी पंचायत के हिसाब से दुकानें खोली जायं। ताकि गरीबों को कपड़ा मिल सके। साथ ही साथ मेरा सुझाव है कि आपके हाथ में गेहूं की नीति नहीं है लेकिन जो 3 रु0 भाड़ा लाने वाले को मिलता था वह काश्तकार को अवश्य मिलना चाहिये। क्योंकि जो भाव है उससे ज्यादा ही काश्तकार को गेहूं पड़ता है। मोटे तौर पर 105 रु0 में खरीदकर 135 रु0 में बेच रहे हैं। इस पर भी ध्यान देना चाहिये और कुछ कीमत घटाकर जनता को देना चाहिये।

श्रीमन्, इसके बाद मैं सार्वजनिक निर्माण विभाग के बारे में सुझाव देना चाहता हूं। फतिहाबाद–फिरोजाबाद में एक सड़क जाती है जिसको सरकार ने 5 किलोमीटर तक बनवाया भी है और बाकी पर मिट्टी डलवा चुके हैं। मिट्टी को पड़े कई साल हो गये हैं लेकिन आज तक उसको पूरा नहीं कराया गया है जिससे वह धीरे–धीरे बह कर जहां से आयी है वहीं पहुंच रही है। इसलिये उस सड़क को बनवा दें तो फतिहाबाद से फिरोजाबाद जो 80 किलोमीटर पड़ता है उसकी दूरी काफी कम हो जायेगी। इस सड़क के बन जाने से जो इण्डस्ट्री फिरोजाबाद में हैं वह फतिहाबाद में आ सकती हैं और पिछड़े क्षेत्र में जो गरीबी है वह दूर हो सकती है। इसलिये सुझाव है कि इस सड़क को तुरन्त पूरा करवायें और आपका पैसा बरबाद होने से बच सके। इसके अलावा फतिहाबाद और फिरोजाबाद के बीच में नदी पड़ती है तो उस पर पुल बनाने के लिये विभाग को लिखा और माननीय प्रधान मंत्री को भी लिखा था। प्रधान मंत्री जी का पत्र आपके वहां आया है और उसमें लिखा है कि इसको देखा जाय और कार्यवाही की जाय। इस पुल की लागत 2 करोड़ 12 लाख रु0 आते हैं। लेकिन यदि यह पुल आर्थिक कठिनाइयों के कारण बन न सके तो दूसरा सुझाव है कि इस पर पीपों का पुल बनवा दिया जाय ताकि आवागमन का रास्ता खुले सके और क्षेत्र की तरक्की हो सके।

मान्यवर, आगरा से बाहा के लिये एक सड़क जाती है और चूंकि ग्वालियर का पुल टूट गया है जिससे फतिहाबाद क्षेत्र से बाई–पास होता है और 400–500 गाड़ियां प्रति दिन पास होती है। यह सड़क काफी खराब हो गयी है जिससे उसको दुबारा चौड़ा कराया जाय ताकि बम्बई और कलकत्ता की जो गाड़ियां गुजरती है उससे कस्बे में भयंकर दुर्घटनायें होती रहती हैं। इसलिये मेरा सुझाव है कि इस बाई–पास को अवश्य चौड़ा करवाने की कृपा करेंगे। आगरा–बाहा रोड क्रैश प्रोग्राम के अन्तर्गत समसाबाद से जुड़वाया गया था। यह सड़क जिसे में आपका लाखों रुपया लगा था, लेकिन उसका उपयोग इसलिये नहीं हो पा रहा है क्योंकि बीच में एक नहर पड़ती है और उस पर कोई पुलिया नहीं बन सकीं। यह सड़क बेकार पड़ी है। मेरा निवेदन है कि इस नहर पर एक पुलिया बनवा दे ताकि यह सड़क यातायात के लिये जनता को सुलभ हो सके। मेरा एक यह सुझाव है कि जो टोल टैक्स आपने बढ़ाया है उसे घटाने की कृपा करें जिससे आम जनता को राहत मिल सके। एक सुझाव यह है कि जो मेन रोड्स हैं उनसे जो गांव एक डेढ़ या दो किलोमीटर की दूरी पर है उनको उनसे अलग कर दें जिसके लोगों को सुविधा हो सके। मेरे यहां ऐसे गांव सारंगपुर, कुतुबपुर गोला, सिकरारा, मडाना, रसीलपुर, खरेड, बसई,भोजपुर, कोलारा कलां, गुड़हा, भुतनई आदि हैं।

यह सारे गांव ऐसे हैं जो एक, डेढ़ या दो किलोमीटर से सड़क से ज्यादा दूरी पर नहीं है । इनको सड़क से जोड़ दिया जाय जिससे कि वहां की जनता आपको दुआ देगी । अन्त में मैं सार्वजनिक निर्माण और खाद्य विभाग का जो बजट प्रस्तुत है उसका समर्थन करता हूं और आशा करता हूं कि जो सुझाव मैंने रखे हैं उन पर मंत्री जी विचार कर उचित कार्यवाही करेंगे ।

श्री भगवती प्रसाद (जिला फैजाबाद)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, कटौती के प्रस्ताव पर बोलते हुए मैं उस विभाग के मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चहता हूं । यह विभाग सरकार के अन्य विभोगों से ज्यादा म त्वपूर्ण है मगर यह विभाग मगरमच्छ रुपी या घड़ियाल रूपी सार्वजनिक विभाग के अधिकारियों का विभाग है । इस विभाग की हालत उसी तरह है जैसे कि रामायण में है कि "ज्यों ज्यों सुरसा बदन बढ़ावा. . . ." मंत्री जी से यह सम्बन्धित नहीं है बल्कि पैसे से मेरा मतलब है । जैसा कि कुंवर साहब ने कहा इस विभाग में कटौती नहीं करनी चाहिये क्योंकि जितना भी धन खर्च किया जाय वह कम है लेकिन स्थिति यह है कि जितना भी पैसा इस विभाग को देंगे उतना ही यह मगरमच्छ रुपी घड़ियाल उसको निगलते जायेंगे । माननीय त्रिवेणी राय जी ने पार साल भी इसपर मुझे टोका था । इस प्रकार से वह न करें । अगर वह कहें तो बैठ जाऊं । [* * * *]

श्री त्रिवेनी (जिला आजमगढ़)—

आप अपने शब्द वापस लें ।

श्री भगवती प्रसाद—

वापस तो ले लूंगा । क्या आप मार-मार कर वापस करायेंगे ? अधिष्ठाता महोदय बैठे हुए हैं, आप उस आसन पर नहीं है । मान्यवर, जो मैंने कहा है मगरमच्छों के निगलने की बात उसको मैं बताता हूं । फैजाबाद में जो अयोध्या के पुल से सड़क गई है उसके लिये एक अधिकारी हैं जिनका नाम श्री के0 सी0 तिवारी है । उन्होने पैसा लेकर महाभ्रष्टाचार फैला रखा है । उस सड़क पर तीन रोलर चलते हैं जिनपर 1 ', 14 घंटे काम दिखाकर तथा उसके ड्राइवर और कर्मचारियों को बैठाकर पैसा बनाते हैं । हर एक रोलर से 50 फीसदी डीजल, पेट्रोल मार दिया जाता है । इसका वह उतना काम न करके बचा लेते हैं । वह तिवारी जी इस विभाग के एक उच्च अधिकारी हैं । जितने घंटे रोलर चलता है उतना नहीं चलाकर उससे कहीं कम चलाया जाता है और जो सा धन व्यय किया हुआ दिखाया जाता है उससे उसको बचाकर अपनी आमदनी करते हैं । जो कंकड़ वहां पर डलवाया हुआ दिखाया जाता है उसको उखड़वा कर पुनः गिरवाकर पुनः रोलर चलाते हैं । होता यह है फिर से डलवाने में वह कंकड़ ड्योढ़ा हो जाता है । इस प्रकार से वह 50 फीसदी कंकड़ को बचा लेते हैं । इसी तरह से उनके विभाग ने जो तारकोल दिया था उसकी चोरी की रिपोर्ट भी उन्होंने की है । रामबचन एक जूनियर इन्जीनियर के अन्तर्गत 25 ड्रम तारकोल को उन्होंने 5,000 में बेच दिया । 13 मा र्चको टोडिया पुल पर तारकोल आया और 14, 15 मार्च की रात में 50 ड्रम तारकोल चोरी चला गया । इसकी उन्होंने 15 तारीख को रिपोर्ट लिखाई है कि 50 ड्रम तारकोल चोरी चला गया ।

[* * *] अधिष्ठाता महोदय के आदेशानुसार निकाल दिया गया ।

श्री देव बहादुर सिंह (जिला नैनीताल)

माननीय अधिष्ठाता महोदय, [× × ×] यह असंसदीय है और इसको कार्यवाही से निकलवाने की कृपा करें।

श्री अधिष्ठाता —

अगर कोई ऐसा शब्द आया है और वह असंसदीय है, तो, वह निकाल दिया जायगा।

श्री भगौती प्रसाद—

मान्यवर, मैंने किसी का नाम नहीं लिया था। अगर आप समझते हैं कि मैंने त्रिवेनी जी का नाम लिया था तो मैं उसको वापस लेता हूं।

श्री अधिष्ठाता—

जहां पर [× × ×] असंसदीय शब्दों का प्रयोग किया गया है वह शब्द कार्यवाही से निकाल दिया जायें।

श्री भगवती प्रसाद—

मान्यवर, इसी तरह से उसी तिवारी जी ने लकड़ी का ठेका शर्त के साथ लिया था। एक लकड़ी की निर्धारित किस्म थी, लेकिन इसके विपरीत तिवारी जी ने पीपल, झाकड़ आदि की लकड़ी खरीदी और वह लकड़ी नहीं खरीदी जिसे विभाग ने खरीदने के लिये निर्धारित किया था। मस्टर रोल में भी उन्होंने बेईमानी की। मुझे बराबर सदस्यों को छेड़ने की आदत पड़ी हुई है .....

श्री अधिष्ठाता—

आप उन पर ध्यान न दें अपनी बात कहते जायं।

श्री भगवती प्रसाद—

जिस क्षेत्र से मैं चुना गया हूं वहां पर आजमगढ़ की सरहद रामगढ़ तक रोडवेज की दसियों गाड़ियां चलती हैं लेकिन सड़क ठीक न होने से वे बराबर खराब रहती हैं। उसी से लगी हुई एक सड़क त्रिवेणी राय जी के जिले में है और दूसरी दीदारगंज से लेकर बुरहानपुर तक है। ये दोनों सड़के बहुत खराब हैं जिन पर ध्यान देना चाहिये। टोंस नदी पर एक पुल बना है, वह पूरा हो चुका है लेकिन जो बड़े-बड़े यन्त्र सार्वजनिक निर्माण विभाग के हैं वे खुले मैदान में पड़े हैं। कुछ सामान तो चोरी चला गया है अथवा खुले में रहने के कारण सड़ रहा है लेकिन विभाग इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है और इस तरह से लाखों रुपये का नुकसान विभाग उठा रहा है। निर्माण मन्त्री बहुत ईमानदार तथा सीधे साधे हैं और वह अपने उस विभाग के घड़ियाल रूपी हाव भाव में फंस जाते हैं। इसके अलावा आवास व्यवस्था यह विभाग कर रहा है लेकिन हरिजनों के आवास की तरफ उतना ध्यान नहीं दिया जा रहा है जितना देने की आवश्यकता है। अगर हरिजन अवास पर कुछ ध्यान दिया भी है तो बहुत कम पैसा उसे दिया गया है जैसे एक हजार रुपए में कैसे कोई इमारत बन सकती है, वह सोचने की बात है।

श्री अधिष्ठाता—

हरिजन व समाज कल्याण का विषय जब आये, तब आप उस समय यह बात कहें। इस समय तो आप सार्वजनिक निर्माण विभाग अथवा खाद्य से सम्बन्धित बातों पर ही अपने विचार प्रकट करें।

श्री भगवती प्रसाद—

जहां तक खाद्य का सम्बन्ध है सरकार ने गेहूं के भाव पुराने रेट पर रख कर बड़ा सराहनीय कार्य किया है लेकिन सरकार ने खाद्य से सम्बन्धित अन्य सामान पर ध्यान नहीं दिया। उनके जो मूल्य हैं वे बहुत अधिक हैं और उनके रेशियों में खाद्यान्न के भाव बहुत कम हैं जबकि लागत खाद्यान्न पर बहुत अधिक आती है। इसके अलावा शकर के वितरण के लिए

[× × ×] अधिष्ठाता महोदय के आदेशानुसार निकाल दिया गया।

जो कमेटियां बनी हुई हैं उनमें बड़ा भ्रष्टाचार व्याप्त है, वितरण में बड़ी अनियमिततायें है। उसमें बहुत चोर बाजारी होती है। कोई नया तरीका मन्त्री जी को अख्तियार करना चाहिये क्योंकि शकर 50 से 60 फीसदी तक ब्लेक मार्केट में चली जाती है और जनता तक नहीं पहुंच पाती है। इसमें सरकार असफल रही है। सरकार बराबर अपनी नीतियां बदलती है और कभी किसी के हाथ में, कभी किसी के हाथ में इसे सौंपती है। पैसों में लोग बेईमानी करते हैं। ऊपर से नीचे तक बेईमानी होती है। इसको रोकने के लिये माननीय मन्त्री महोदय को ध्यान देना चाहिए। हमारे क्षेत्र में बहुत थोड़ी सी सड़कें हैं। हमारे क्षेत्र में एक सड़क सुल्तानपुर की सरहद से होकर चली गई है और माननीय रामरती देवी के क्षेत्र तक जाती है। वह सड़क जगह-जगह पर टूटी हुई है। मान्यवर, यातायात के लिये सड़कों का होना बहुत जरूरी है और इस सम्बन्ध में सरकार को पूरा ध्यान देना चाहिए। मान्यवर, मैंने पिछले साल माननीय मन्त्री महोदय को और केन विभाग से सम्बन्धित माननीय तिवारी जी से कहा था और उन्होंने मुझे आश्वासन भी दिया था केनाल विभाग की जो सड़कें हैं, शारदा प्रोजेक्ट के अन्दर, उन सब को पक्का कर दिया जाय। आजमगढ़, गोंडा और फैजाबाद तक जितनी सड़कें हैं, वे टूटी हुई हैं, उनको ठीक किया जाय।

श्री त्रिवेनी—

मान्यवर, मैं आपका बड़ा आभारी हूं कि आपने मुझे सार्वजनिक निर्माण विभाग के बजट पर अपने विचार रखने का समय दिया। मान्यवर, माननीय मन्त्री जी ने सार्वजनिक निर्माण विभाग का जो बजट सदन में रखा है मैं उसका समर्थन करता हूं। सड़कों के मामले में बहुत से सदस्यों ने सुझाव दिए हैं अपने-अपने क्षेत्र, जिले और इलाकों के बारे में। सड़क का जो यह बजट आया है कि बहुत ही महत्वपूर्ण कहा जाता है। किसी भी क्षेत्र को चाहे वह कृषि का हो, व्यापार का हो या किसी भी क्षेत्र का हो जब तक यातायात के साधन नहीं होंगे तब तक हम कृषि, उद्योग और दूसरे क्षेत्रों में पिछड़े रहेंगे। इसलिये यातायात के साधन नितान्त आवश्यक हैं। आजमगढ़ के बारे में मैं विशेष रूप से सुझाव देना चाहूंगा। मान्यवर, बाम्बे प्लान का जो प्रोग्राम था उसके मातहत सबसे कम सड़कें बनाई गई और आपका विभाग ही कहता है कि सबसे अधिक सड़कें बनाई गई। लेकिन जो प्रैक्टिकल फील्ड की बात है उसे मैं कह रहा हूं कि सबसे कम सड़कें बनायी गई हैं। आजमगढ़ में 30 लाख की आबादी है। 72 मील चौड़ा और 56 मील लम्बा वह क्षेत्र है? दूसरे साधन आजमगढ़ में नहीं हैं। वहां न रेलवे लाइन है—न मीटर गेज है और न ब्राड गेज ही है। कानवेयेन्स के कोई साधन वहां नहीं है। सड़कों का ही एक मात्र सहारा वहां पर है जो कि अधूरी हैं। एक बार पटेल कमीशन के अन्तर्गत वहां पर सड़कों का निर्माण शुरू हुआ था और यह आशा बंधी थी कि सड़कों का निर्माण पूरा हो जाएगा लेकिन उस समय अचानक हमारे देश के ऊपर हमला हो गया। इसलिए वह योजना ठप कर दी गई। पटेल कमीशन ने चार पूर्वी जिले—देवरिया, आजमगढ़, गाजीपुर और जौनपुर—लिए थे और यह मानकर लिए थे केन्द्रीय सरकार की दृष्टि में ये जिले उत्तर प्रदेश के सबसे पिछड़े हैं। यहां पर ट्रान्सपोर्ट, कृषि और औद्योगिक हर मामले में कोई साधन नहीं है। हर मामले में पिछड़ा हुआ है। पटेल कमीशन इस पर विचार करने के लिए बैठा था और उसने रिपोर्ट भी विचार करके दी। शुरू में उस पर कुछ काम हुआ लेकिन वह काम अब अधूरा पड़ा हुआ है खास तौर से सड़कों

[श्री त्रिवेनी]

का काम ठप पड़ा हुआ है। हमारे वर्तमान सार्वजनिक निमाण मंत्री को यह विभाग मिले हुए, 4, 5 महीने ही हुए हैं। इससे पहले यह विभाग श्री लक्ष्मी शंकर यादव जी के हाथ में था उस समय जरा जोरों से इस विभाग ने काम किया था चाहे वह पूर्वी जिले हो या पश्चिमी या बुन्देलखण्ड के जिले हों या पर्वतीय जिले हों सब जगह काम तेजी से हुआ था। लेकिन उनके बाद यह काम ठप पड़ा हुआ है। सड़कों के अधूरे रहने के कारण जो पहले यातायात बैलगाड़ियों आदि से होता था वह भी बन्द पड़ा है। क्योंकि जो बीच में गड्ढे पड़े हैं उनकी वजह से बैलगाड़ियां भी नहीं आ जा सकती हैं।

मैं माननीय सार्वजनिक निर्माण मन्त्री जी से कहूंगा कि जहां पर कोई और साधन आवागमन के नहीं हैं वहां पर सड़कों पर विशेष ध्यान दिया जाय। और जगहों पर तो रेलगाड़ियां हैं और बसें हैं, बड़ी-बड़ी ट्रान्सपोर्ट कम्पनियां जो हैं वह बसें चलाती हैं लेकिन आजमगढ़ में इस तरह की कोई कम्पनी नहीं है। आवागमन के साधन न होने के कारण वहां पर बड़ी-बड़ी इन्डस्ट्रीज भी नहीं लग सकती हैं। हमारे माननीय मुख्य मन्त्री महोदय ने जो पहले वित्त व उद्योग मंत्री थे उस वक्त उन्होंने वहां के लिये एक चीनी मिल और एक स्पिनिंग मिल स्वीकृत की थी जो बन कर तैयार हो गई है। जब बड़ी-बड़ी इन्डस्ट्रीज लगाने की बात आती है तो ऐक्सपर्ट लोग कहते हैं कि आजमगढ़ में आवा गमन के साधन नहीं हैं इसलिए बड़ी इन्डस्ट्री वहां नहीं लग सकती है। मुझे याद है कि जो गोरखपुर में फर्टिलाइजर का कारखाना लगा हुआ है उसे पहले आजमगढ़ में लगना था। जो इस समय ए0 पी0 सी0 हैं श्री कृपा नारायण श्रीवास्तव वह उस समय डायरेक्टर इन्डस्ट्रीज थे। तो उन्होंने कहा राय साहब आपके यहां आवागमन के साधन कहां हैं.....

श्री भगवती प्रसाद—

मान्यवर, यह उद्योग विभाग पर बोल रहे हैं, या सार्वजनिक निर्माण विभाग पर ?

श्री अधिष्ठाता—

आप बैठें। श्री त्रिवेनी राय जी आप भाषण जारी रखें।

श्री त्रिवेनी—

माननीय सदस्य के समझ में नहीं आ रहा है। मैं यह किस पृष्ठ-भूमि में कह रहा हूं। मैं उनकी पाठशाला में नहीं पढ़ा सकता हूं।

श्री भगवती प्रसाद—

इस तरह से वह डायरेक्ट नहीं कह सकते है। ऐसे शब्द उन्हें वापस लेने चाहिये।

श्री त्रिवेनी —

मैं वापस नहीं लूंगा। (व्यवधान)

श्री भगवती प्रसाद—

आप इस तरह से नहीं कह सकते हैं। मान्यवर, मुझे कम टाइम मिला।

श्री अधिष्ठाता—

कार्यवाही देख लेंगे, अगर असंसदीय होगा तो निकाल दिया जाएगा।

श्री त्रिवेनी—

मैं सड़कों के बारे में कह रहा था। आजमगढ़ में दूसरें आवागमन के साधन नहीं हैं न ब्रौड गेज लाइन है और न मीटर गेज लाईन। सड़कें भी वहां पर नहीं है जिससे कि रामैटीरियल वहां पर उद्योगों के लिए लाया जा सके। इसलिए मैं सार्वजनिक निर्माण मन्त्री जी से कहूंगा कि जो पिछड़े हुये इलाके हैं वहां पर सड़कें होना जरूरी है। जैसे आजमगढ़ ऐसा जिला, जहां पर एक भी सड़क का सहारा नहीं है ? वहां पर इसका कार्य खास कर चालू

करें, ताकि वहां के किसान, मजदूर और उद्योग वाले तरक्की कर सकें। वहां का मऊ इतना बड़ा इन्डस्ट्रियल कस्बा है, जहां पावरलूम का सबसे बड़ा उद्योग है, परन्तु मऊ के इन्टीरियर के लोग दो-दो, तीन-तीन नदियां पार करके आते हैं, उनके सामने बड़ी कठिनाइयां होती हैं। इसी कारण उस उद्योग का समुचित विकास नहीं हो पाया है। वहां जो सड़कें बनी थी अधूरी हैं। इस बारे में मैंने मन्त्री जी से दो-दो बार कहा है और आज पार्टी मीटिंग में भी कहा है और यहां पर फिर कहना चाहता हूं कि विधान सभा क्षेत्र लालगंज में दो सड़कों का बड़ा महत्व है, उन पर आप ध्यान दें। एक देवगंज-मेहनारपुर सड़क अवश्य बननी चाहिए, भूतपूर्व सार्वजनिक निर्माण मन्त्री ने 5 किलोमीटर बनवाया है, 13 बाकी है, जिस पर 35/36 बसें चलती हैं। इसे शीघ्र से शीघ्र पूरी तरह के बनवाया जाए। दूसरी, लालगंज पल्हना तरवां भी बड़ी महत्व पूर्ण सड़क है। इस तरह से शाहगंज (जौनपुर) से सम्बन्ध जोड़ने के लिए लालगंज से ठेगवां तक सड़क भी बड़ी महत्व की है, जिसका सर्वे सरकार ने करा लिया था, लेकिन शायद बजट की कमी से उसे नहीं लिया। शाहगंज जौनपुर का बहुत बड़ा कस्बा है, उससे जोड़ने के लिए यह सड़क बड़ी महत्वपूर्ण है।

श्री भगवती प्रसाद––

विधान सभा लालगंज में नहीं, यहां लखनऊ में है। (हंसी)

श्री त्रिवेनी––

इसके साथ मैं कहना चाहता हूं कि बनारस और आजमगढ़ के बीच में चन्द्रावल का पुल है, उस पर पहले टोल-टैक्स बहुत कम था, किन्तु अब बहुत ज्यादा बढ़ गया है, जिससे वहां के निवासियों को बहुत तकलीफ है। यह पहले दो रुपया था, फिर 5 रुपया हुआ और अब 20 रुपया हो गया है। यह इतना ज्यादा है कि टैक्सी वालों, ट्रक वालों तथा आम जनता को बहुत परेशानी है। यह गोमती पर पुल है, इतना टोल टैक्स लगेगा तो लोगों को राहत नहीं मिलेगी।

इन शब्दों के साथ मैं सार्वजनिक निर्माण और खाद्य विभाग के बजट का समर्थन करता हूं और मन्त्री जी को बधाई देता हूं कि उन्होंने पार्टी मीटिंग में भी हम सब लोगों की बात सुनने की कृपा की और आश्वासन दिया है कि बजट के मुताबिक जो महत्व की सड़कें हैं, उनको बनवाया जाएगा।

श्री मानबहादुर सिंह (जिला गोन्डा)––

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे समय दिया। जहां तक सड़कों का सवाल है यह सबको मालूम है कि सड़कों का समृद्धि के साथ बहुत नजदीकी सम्बन्ध है किसी भी क्षेत्र के विकास हेतु यह आवश्यक है कि सड़कों का निर्माण होता है। मान्यवर, मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि इस वर्ष सार्वजनिक निर्माण विभाग सड़कों पर कुछ रुपया खर्च करने वाला है। अभी इस सदन में एक माननीय सदस्य ने कहा कि पंजाब में हर गांव को सड़क से जोड़ दिया जाएगा। इससे स्पष्ट है कि हम लोग इसमें कितना पिछड़े हुए हैं और हमें कितनी तरक्की करने की आवश्यकता है।

[श्री मानबहादुर सिंह]

मेरा क्षेत्र बलरामपुर है गोंडा जिले में और सड़क का रख-रखाव और मरम्मत बहुत ही सोचनीय दशा में है। माननीय मन्त्री जी हमारे क्षेत्र में गए थे और उस सड़क से भी गए हैं। मन्त्री जी तो काफी बड़ी-लम्बी गाड़ी से गए थे, उनको तो नहीं मालूम होगा, लेकिन अगर कहीं जीप से जाते या रिक्शा से चले होते तो यह मालूम होता कि सड़क कैसी है उस पर चलना कितना मुश्किल है। रिक्शा वालों का तो यह हाल है कि वह उस सड़क पर न चल कर पटरी पर चलना ज्यादा आसान समझते हैं। दूसरी बात है कि बहुत सी सड़कें वहां पर ऐसी हैं जो कि अधूरी हैं और जिन पर पैसा खर्च भी हो चुका है और एक दो साल से काम नहीं हो रहा है। सड़के खराब होती जा रही हैं और जो कुछ पैसा लगा है वह भी डूब जायगा। मान्यवर, मैं माननीय मन्त्री जी का ध्यान अपने यहां की सड़कों की तरफ दिलाना चाहता हूं। वह सड़क है बलहा से गौरा चौराहा। वह शायद 10-12 लाख की सड़क है। तो इस सड़क को भी बनवाने की कृपा करे। मरम्मत पर तो माननीय मन्त्री जी ध्यान देंगे ही। त्वरित योजना के अन्तर्गत जो सड़कें निर्मित हो गयी हैं उन पर भी ध्यान देने की जरूरत है। मान्यवर, जो सड़कें अधूरी हैं, उन सड़कों को पूरा कराया जाय। कहीं-कहीं पर ऐसा भी है कि सड़कें तो बन गयी हैं, लेकिन पुल छोड़ दिए गए हैं। पुल पर बाई-पास दिया गया है : तुलसीपुर से इटवा सड़क के बाई पास के करीब पर ही कुन्ड है। उसमें भुसैलवा बाई-पास से तमाम लोग गिर गए, लापता हो गए हैं ऐसी जगह जहां पर दोनों तरफ सड़क बन गयी हैं, पुलों के निर्माण को वरीयता देना चाहिए। मान्यवर, एक बहुत साधारण सी बात है कि सड़कों का जब निर्माण होता है तो उसके किनारे पेड़ भी लगने चाहिए। यह एक साधारण बात है। जो नई सड़कें बनाई गई हैं। वहां पर कहीं पर भी पेड़ नजर नहीं आते हैं। गर्मी में इन सड़कों पर क्या हालत है ? गर्मी में कहीं पर भी छांव नहीं है। मान्यवर; जो लोग इतिहास के विद्यार्थी हैं। बादशाह की जब तारीफ लिखी जाती थी, तो उसमें यह भी लिखा जाता था कि फलां बादशाह ने सड़क बनवाया और उसके किनारे-किनारे वृक्ष भी लगवाए। तो हमारा निवेदन है कि सड़क बनवाएं तो उसी समय वृक्ष लगवाने का भी कार्य शुरू कर दें। अगर यह बन विभाग द्वारा होता है। तो वन विभाग से बात किया जाय। एक सड़क उतरौला से बस्ती को जाती है। यह सड़क ऐसी है कि इस पर भी आप ध्यान देंगे। इस सड़क की हालत बहुत खराब है।

मैं थोड़ा सा ध्यान आपका टोल टैक्स की ओर भी दिलाना चाहता हूं। उसके रेट अधिक थे, मन्त्री महोदय ने पथकर की दरों को कम कर दिया। मान्यवर, पथकर की चोरी बहुत होती है। आपने ट्रक पर 40 रुपया कर दिया। इसमें ट्रक वाले बैरल 10 रुपया देकर भी निकल जाते हैं। मेरा इस सम्बन्ध में सुझाव है कि कुछ पुलों को नीलाम करके देखिए शायद विभाग को उससे ज्यादा पैसा मिल जाय। इस सम्बन्ध में मैं अपने क्षेत्र के एक पुल की और माननीय मन्त्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। बलरामपुर में राप्ती नदी पर सिसई पर एक पुल है। यह 1959 में बनाया गया था। इस पुल की लागत 8 लाख 98 हजार 4 सौ 56 रुपए और 49 पैसे थी। इसमें राज्य सरकार का योगदान 1/3 था, केन्द्रीय सरकार का योगदान 1/3 था जो बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट होने के नाते प्राप्त हुआ था और 1/3 हिस्सा उस क्षेत्र की जनता ने दिया था, जो निकायें थी उन्होंने दिया था। मान्यवर इस पर अधिकारी वर्ग ध्यान दें। मान्यवर पथकर के रूप में जो वसूली वहां पर हुई उसमें राज्य सरकार का जो हिस्सा था वह वापस हो आया और उसके साथ ही साथ जो केन्द्रीय सरकार ने डिस्ट्रिक्ट के बैकवर्ड होने के नाते दिया था वह भी वापस हो गया है, लेकिन अभी भी पथकर की वसूली हो रही है। इस सम्बन्ध में मैंने माननीय मन्त्री जी को पत्र भी लिखा है, लेकिन उस पर क्या कार्यवाही हुई है, मुझे मालूम नहीं है। 27 अप्रैल, 1975 को अधिशासी अभियन्ता ने भी शासन को पत्र लिखा था लेकिन उस पर भी कोई कार्यवाही नहीं हुई है। मैं चाहूंगा कि माननीय मन्त्री जी उन दोनों पत्रों पर आवश्यक कार्यवाही करें और

जो पथकर की वसूली की जा रही है उसको समाप्त करें जिससे जनता में जो क्षोभ उत्पन्न है वह दूर हो सके।

अब मैं मान्यवर, इन्क्रोचमेन्ट के बारे में कहना चाहता हूं। यह हुआ तो है गलत लेकिन मान्यवर, वर्षों हो गए हैं उनको दुकानें रखते हुए। मेरा निवेदन है कि माननीय मन्त्री जी इस सम्बन्ध में मानवीय दृष्टिकोण से देखें और जो मुख्य-मुख्य बाजारें हैं वहां पर इस नियम में कुछ नरमी बरतें। मान्यवर, अगर सख्ती बरती जाएगी तो बहुत सी दुकानें गिर जाएंगी और लोग बेघरबार हो जाएंगे। मेरा निवेदन है कि आपका जो स्टैन्डर्ड है उसमें कुछ कमी की जाए, कम से कम बजारों में। अगर आप अपने स्टेन्डर्ड से सड़क से नपाई कर लेंगे तो पूरे के पूरे बाजार साफ हो जाएंगे। उससे जो परेशानी होगी वह आपको मालूम ही है। इसलिए मेरा निवेदन है कि माननीय मन्त्री जी इस ओर भी थोड़ा सा विचार करें।

अब मैं कुछ चन्द शब्द खाद्य तथा रसद विभाग के बारे में भी कहना चाहता हूं। माननीय मन्त्री जी ने अपने बजट भाषण में कहा कि इस विभाग के दो महत्वपूर्ण कार्य हैं एक तो डिस्ट्रीब्यूशन और दूसरा मार्केटिंग। मान्यवर, इनमें बहुत सी कमियां हैं। जहां तक मार्केटिंग का सवाल है, वह मैं कहना चाहता हूं कि सरकार की मन्शा यह है कि जो भी गेहूं काश्तकार लाएगा उसको खरीदा जाएगा। यह नीति है। मेरा कहना यह है कि ऐसा नहीं हो रहा है। मैं इस सम्बन्ध में बलरामपुर परचेजिंग सेन्टर की ओर माननीय मन्त्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। यहां पर जो काश्तकार गेहूं लाते हैं उसको लिया नहीं जाता है और वे विवश होकर महाजन के यहां बेच देते हैं और शाम को वही महाजन उस गेहूं को परचेजिंग सेन्टर पर बेच देते हैं। इस प्रकार जो मुनाफा होता है वह दोनों आपस में बांट लेते हैं। जब काश्तकार गेहूं लेकर जाता है तो उससे कह दिया जाता है कि अभी हम लेवी का गेहूं ले रहे हैं और गेहूं बाद में देखा जाएगा। मैं चाहता हूं जिला अधिकारी गोन्डा को ऐसे आदेश दिए जाएं कि वह इसकी जांच करें। गेहूं का मूल्य जो तय हुआ वह तो तय ही हुआ। राज्य सरकार और हमारे मन्त्री जी मानते हैं कि गेहूं की लागत 120 रुपए से 122 रुपए है, आती है। वह इसको इसी मूल्य पर निर्धारित कराना चाहती थी, लेकिन सफल नहीं हो पायी और लेकिन वे असफल हुए। जब आप मानते हैं कि भारत सरकार ने जो गेहूं का दाम तय किया है वह बहुत कम है तो आप क्यों नहीं काश्तकारों को कम से कम काटेज व्यय देते हैं जो उन्हें 3 रुपए के हिसाब से शतवर्ष मिलता था, इस सम्बन्ध में तो यह भी निवेदन कर दूं कि 105 रुपया भाव तो कहने की है वास्तव में किसानों का गेहूं तो 102 से लेकर 104 रुपए प्रति क्विन्टल लिया जाता है मैं जानना चाहता हूं जो गेहूं काश्तकार लाता है क्या वह 105 के भाव के लायक भी नहीं है ?

धान का भी मूल्य आपने 74 रुपए प्रति क्विन्टल तय किया था और यह कहा था कि यह सपोर्ट प्राइस है। यदि इससे नीचे गिरेगा तो सरकार खरीदेगी। हमारे यहां बलरामपुर में खरीदा ही नहीं गया और काश्तकारों को 60-65 के भाव पर मजबूरन बेचना पड़ा आप इस बात की जांच करवा लें या वहां के जिलाधीश से पूछ लें। इस सम्बन्ध में मेरा एक सुझाव है कि आपके जितने भी क्रय केन्द्र हैं, उनके बाहर यह लिखवा कर टांग दें कि किसान जो भी गेहूं लाएगा वह लिया जायगा ताकि वे बहाना बनाकर रिफ्यूज न कर सकें। होता क्या है कि किसानों को जबानी कुछ कह कर वे टाल देते हैं।

[श्री मान बहादुर सिंह]

एक और गम्भीर बात की ओर मैं अपने माननीय मन्त्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं पिछली बार जब मन्त्री जी हमारे जिले में गए थे तो हमने उनसे निवेदन किया था कि पिछले वर्ष जो किसानों को चैक्स मिले थे, उनका पैसा उनको अभी भी नहीं मिल पाया है, कई चैक्स इस प्रकार के हमने माननीय मन्त्री जी को दिखाए भी थे। नही नहीं हमारे यहां पर एक काश्तकार तो इस प्रकार का है कि जिसको भुगतान के रूप में चैक तक भी नहीं मिला है। यदि आप इन्क्वायरी करालें तो मैं उस किसान को और उसको जो रसीद प्राप्त हुई है, उस अधिकारी के सामने पेश कर दूंगा। मुझे आशा है माननीय मन्त्री जी इस ओर ध्यान देंगे।

इन शब्दों के साथ मैं माननीय मन्त्री जी द्वारा प्रस्तुत अनुदान का समर्थन करता हूं।

*श्री रघुनाथ (जिला बलिया)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, सार्वजनिक निर्माण विभाग की मद पर जो आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, उसके लिए मैं आपका आभारी हूं।

मान्यवर, इस विभाग का सार्वजनिक जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। जिस प्रकार से जीवन में रोजमर्रा की चीजों की आवश्यकता पड़ती है, वैसे ही इस विभाग की भी प्रशासन में आवश्यकता है। सभी माननीय सदस्यों ने इस विभाग के ऊपर बोलते हुए यह दर्शाया कि हमारा जिला पिछड़ा हुआ है और सदन से उपेक्षित रहा है। माननीय सदस्यों ने तथा कट-मोशन मूव करने वाले माननीय सदस्य ने भी अपने-अपने जिलों के बारे में बताया कि हमारे यहां पर सड़कों की बहुत कमी है और इस मद पर जो रुपया व्यय हुआ है, वह सन्तोषप्रद नहीं है। श्रीमन्, मैं बलिया जनपद के सिवार के बोर्डर पर स्थिति है, से चुन कर आया हूं। सब लोगों ने अपने-अपने जिलों को पिछड़ा कहा है लेकिन मैं पिछड़ा कहते हुए शर्मिन्दा होता हूं क्योंकि मैं तो उसको उपेक्षित समझता हूं। जहां से मैं चुनकर आया हूं वर्ष 1952 से रिजर्वड सीट रही है। वहां पर सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा जो सड़क का निर्माण हुआ है वह इतना कम है कि वहां की जनता यह कहती है कि अगर यह जनरल सीट हो जाय तो शायद सड़कों का निर्माण हो जाय और भी कुछ प्रगति के काम यहां हो सकें। आज सदन में हुए भाषणों से यह जाहिर होता है कि सभी माननीय सदस्यों को सार्वजनिक निर्माण विभाग पर असन्तोष है। मैं अपने जिले की कुछ बातों का जिक्र करना चाहता हूं सड़कों के बारे में। हमारे यहां एक नार्मल स्कूल है जहां बी० टी० सी० की ट्रेनिंग होती है, उस पर सार्वजनिक निर्माण विभाग से 7 लाख रुपया व्यय हुआ है और बिल्डिग जो बनी उसको देखें तो जंगले और दरवाजे अगर जरा धक्का कोई दे दे तो निकल कर बाहर चले आयेंगे। दूसरी चीज, चीनी मिलों के लिए सड़कों का होना अनिवार्य है। गाजीपुर और आजमगढ़ के कुछ ब्लाक रसड़ा चीनी मिल के अन्दर जोड़ लिये गये हैं। जो टोंस नदी बहती है बलिया-गाजीपुर की सरहद पर, वहां पुल के लिए बार-बार लिखता रहा और मुझे सूचना मिली कि यह स्वीकृत हो चुका है लेकिन विभाग द्वारा उस पर कार्य आरंभ नहीं किया गया। वहां आवागमन का रास्ता बरसात में बिलकुल बन्द हो जाता है। गाजीपुर और बलिया के डिस्ट्रिक्ट जब एक थे उसके बाद दोनों अलग होने के बाद वह सड़क आ रही है सिकन्दरपुर से पकवा इनार, अगर उस सड़क को फेकना और मऊ से घुमा करके, बनारस और गाजीपुर जो जाती है, बनाया जाय तो वह रास्ता छोटा हो जायगा और परिवहन विभाग को भी उससे काफी आमदनी होगी।

हमारे क्षेत्र में कुछ सड़कें कई वर्षों से बन रही हैं लेकिन आज तक नहीं बन पायीं। रतनपुरा से भीमपुरा सड़क पर कई वर्षों से निर्माण कार्य चल रहा है लेकिन 5 वर्ष बनते हो गये

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

तैयार नहीं हुई। मेंहसा-इटौरा मार्ग स्वीकृत हुए 5–6 वर्ष हुए लेकिन सब कार्य पूरा नहीं हुआ। पेंहसा-चकरा सड़क बन रही है, लेकिन 5 वर्षों से अभी तक नहीं बन पायी। इस प्रकार जो निर्माण कार्य सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा हमारे क्षेत्र में कम मात्रा में हुआ है, गांव को जोड़नें की बात तो छोड़िये, लम्बी-लम्बी सड़कों का निर्माण भी नहीं हो पाया जिससे आवागमन का रास्ता बन्द सा रहता है। यह तो बिलकुल पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। 1947 से 1976 के बाद बड़ी मुश्किल से एक चीनी मिल उद्योग का कारखाना खुला जिसमें सड़कें नहीं हैं, ट्रके, बैलगाड़ियां गन्ने ढोने के लिये नहीं हैं। इसलिए मैं रसड़ा क्षेत्र की तरफ से चाहूंगा कि अधिक से अधिक सड़कों का निर्माण कराया जाय।

इतना कह कर मैं अपने भाषण को खत्म करता हूं।

श्री सीता राम निषाद (जिला फैजाबाद)—

आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि सार्वजनिक निर्माण विभाग जैसे महत्वपूर्ण विषय पर मुझे बोलने का समय दिया। मैं फैजाबाद जनपद के सर्वाधिक पिछड़े हुये क्षेत्र बीकापुर से चुन कर आया हूं। पूर्वी उत्तर प्रदेश के पिछड़े हुये जिलों में से फैजाबाद जिला एक है और फैजाबाद में भी बीकापुर बहुत पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। सड़कों के सम्बन्ध में हमारा क्षेत्र बहुत ही पीछे है और इसीलिये इस क्षेत्र का विकास नहीं हो सका है। यह जो पुस्तिका इस विभाग द्वारा वितरित की गयी है इसमें बाम्बे फारमूला के अनुसार फैजाबाद जिले का लक्ष्य 1981 तक 771 किलोमीटर सड़कों का दिखाया गया है। फैजाबाद जिला पूर्व से पश्चिम तक करीब 100 मील लम्बा है। इतने लम्बे जिले में केवल 771 किलो मीटर का जो लक्ष्य निर्धारित किया गया है। वह बहुत ही कम है। माननीय मंत्री जी इसकी पुनः जांच करायें और बाम्बे फारमूला के अनुसार जो सही लक्ष्य हमारे जिले का होना चाहिये उसको उचित ढंग से निर्धारित करने की कृपा करें। हमारे जिले में उस फारमूले के अनुसार सड़कों का निर्माण बहुत ही कम हुआ है।

किसी भी क्षेत्र के सामाजिक और आर्थिक विकास के लिये आवागमन के साधनों का होना नितान्त आवश्यक होता है। तभी कृषि के उत्पादन में वृद्धि होती है और जो उत्पादन होता है वह बाहर जा सकता है और उद्योग धन्धे भी लग सकते हैं। शाहगंज एक स्थान है और दूसरा हैदरगंज है, वहां गन्ना उत्पादन अधिक होता था और वहां कांटा लगाया जाता था जिससे गन्ना मिल को जाता था। लेकिन सड़कों की दशा इतनी खराब हो गयी है कि वह कांटा उखड़ गया है जिसके कारण वहां अब गन्ने का उत्पादन बहुत कम हो गया है। यही नहीं, हमारे क्षेत्र में न तो रासायनिक खाद पहुंच पाती है और न वहां पर अनाज की खरीद का केन्द्र ही खोला जा सकता है चाहे गेहूं की वसूली हो, चाहे धान की वसूली हो। इस कारण वहां के किसान अपने उत्पादन को बेच नहीं पाते हैं। शहर बहुत दूर पड़ता है, वहां भी नहीं ले जा सकते हैं। यह मेरे क्षेत्र का बड़ा दुर्भाग्य है कि 28–29 साल की इस अवधि में वहां कोई भी पक्की सड़क का निर्माण नहीं किया गया है। मेरा क्षेत्र उपेक्षा की दृष्टि से देखा जा रहा है। यहां के विकास के लिए यह आवश्यक है कि चौरा बाजार से हैदरगंज मार्ग होते हुए भीठी सड़क को जो करीब 18 किलोमीटर है, इसे बनवाया जाए। यह मार्ग इतना खराब हो गया है कि उस पर चलना मुश्किल हो गया है। पी0 डब्ल्यू0 डी0

[श्री सीताराम निषाद]

द्वारा 3-4 वर्ष पूर्व मिट्टी डालने का काम शुरू हुआ था, मगर उसके बाद सड़क का निर्माण न होने के कारण जो काम हुआ था वह भी बेकार चला गया। फैजाबाद जिले की पी0 डब्लू0 डी0 की परामर्श दात्री समिति ने इस सड़क को टाप प्रायरिटी भी दी थी, मगर आज तक इस सड़क का निर्माण नहीं किया गया। फैजाबाद के रायबरेली रोड पर 9.6 किलोमीटर से एक सड़क सारुपारा-मिसरौली-शाहगंज-हैरिसटीनगंज होकर देहली बाजार-जिला सुल्तानपुर को जाती है। यह सड़क अति आवश्यक है जो बनना चाहिए। इसके अतिरिक्त तमसा नदी पर टकसरा स्थान पर एक पुल बनने की भी बहुत जरूरत है। जो पुल बना था वह टूट गया है। इसके टूटने से सड़क ने नाले का रूप धारण कर लिया है। बाढ़ का पानी न बह सकने के कारण सैकड़ों गांवों को नुकसान होता है। अतः इसे तुरन्त बनवाया जाय। वहां की जनता ने इसके लिए संघर्ष और सत्याग्रह भी किया जिसके कारण उन पर मुकदमा भी चल रहा है। एक सड़क जलालपुर-रामपुरमगन-तारून-ननसा बाजार है जो गुसाईगंज भीटा मार्ग को जोड़ती है, यह भी बड़ी महत्वपूर्ण सड़क है जिसका बनना बहुत आवश्यक है। बीकापुर-जमा बाजार मार्ग पर बिसुही नदी पर रामपुर-अहरौली स्थान के बीच पुल भी बनने की बहुत आवश्यकता है। साथ ही यह मार्ग भी बनना चाहिए। तारून-हैदरगंज मार्ग जो कैश प्रोग्राम में बना था वह भी खराब हो गया है और अधूरा बना है, उसे बनवाया जाय। एक सड़क तारून से शाहगंज बाजार तक है यह भी बनवायी जाय। तारून से टिकरी मार्ग तथा रामपुर मगन से गोरा घाट और दशरथपुर के इछोरी और गौरा घाट तक की सड़कों को भी बनवाना बहुत आवश्यक है। चौरा बाजार से पारा हथिगों होकर हैदरगंज बाजार तथा हैदरगढ़ से कूड़ेभार वाली सड़क जो फैजाबाद-सुल्तानपुर को मिलाती है। इसका बनना बहुत आवश्यक है। इसके अलावा तमसा नदी पर बरेहटा घाट, अइमी घाट, गौरा घाट, गंजड़ी भावापुर नेवाड़ा पर पुल भी बनना अत्यन्त आवश्यक है।

मैं माननीय मन्त्री जी से अनुरोध करूंगा कि वे इन सड़कों और पुलों का निर्माण कराएं। इन शब्दों के साथ मैं प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं, पर सड़कों के निर्माण के लिए जो 13 करोड़ रुपया रखा गया है वह बहुत ही कम है।

माननीय मन्त्री जी को चाहिए कि वे इस धनराशि को और बढ़ायें जिससे यह उत्तर प्रदेश जो हिन्दुस्तान का सबसे बड़ा सूबा है, इतने बड़े सूबे के लिए 13 करोड़ की धनराशि बहुत ही कम है इस बजट में। मेरा निवेदन है कि आप अधिक से अधिक धनराशि बढ़ा कर अधिक से अधिक सड़क बनाने का प्रयास करें। धन्यवाद।

*श्री बनवारी राम यादव (जिला बलिया)—

मान्यवर, आपको बहुत ही धन्यवाद है; यह समय देने के लिये। हमारा क्षेत्र दोआबा जनपद बलिया का बिहार के पेट में घुसा हुआ है। मेरे ख्याल से यह 25-26 वर्ष से उपेक्षित रहा है जैसा कि हमारे एक साथी ने कहा कि हम यह नहीं कहना उचित समझते कि यह पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। सिंचाई के मामले में, कृषि के मामले में और सड़कों के मामले में यह बहुत ही उपेक्षित जिला है। मैं कुछ बातों की तरफ आपके माध्यम से माननीय मन्त्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। हमारे विधान सभा क्षेत्र में रानीगंज एक बाजार है। यह जिले का सबसे बड़ा बाजार है। उससे बहुत ही नजदीक दो कोल्ड स्टोरेज एक उत्तर की तरफ और एक दक्षिण की तरफ इससे थोड़ी ही दूर—एक मील पर सुरेमनपुर रेलवे स्टेशन है। यह बाजार मेरे क्षेत्र का ही नहीं बल्कि बलिया जनपद का सबसे बड़ा बाजार है और इस बाजार के पास एक बहुत बड़ा नाला है। इस पर एक पुल पी0 डब्लू0 डी0 का बना हुआ है बैरिया—सुरेमनपुर रोड पर। यह पुल बाढ़ और

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

बरसात से पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है जिससे इस पर कोई मोटर, ट्रक, बस, यहां तक कि कोई बैलगाड़ी भी नहीं जा सकती है। जहां पर दो कोल्ड स्टोरेज हों, इतना बड़ा स्टेशन हो, जहां से सारे क्षेत्र की आलू की पैदावार, गेहूं की पैदावार भेजी जाती हो, और इतना बड़ा बाजार हो जहां सब सामान बाजार में आते हों और यहां से जाते हों, इस टूटे हुए पुल की मरम्मत मेरे 10 महीने के प्रयत्न के बाद भी नहीं की गयी। मैंने इसके लिये जिला स्तर पर एक्जीक्यूटिव इन्जीनियर से, प्रांविशियल स्तर पर चीफ इन्जीनियर से मुख्य मंत्री जी से, मन्त्री जी से और मुख्य सचिव महोदय से लगातार इन 10 महीनें से प्रयत्न करता रहा हूं लेकिन इस पर अभी तक कोई भी निर्णय नहीं लिया गया। और अगर यह पुल बरसात से पहले नहीं ठीक किया गया, कम से कम इसकी मरम्मत इस रूप में नहीं की गयी जिससे उस पर बसेज और ट्रकों का आवागमन हो सके तो बरसात के मौसम में चार-पांच महीने बाढ़ और बरसात के मौसम में इस पर सारा आवागमन, और सामानों का आना-जाना ठप्प हो जायेगा। इसलिये माननीय मंत्री जी से विशेष रूप से मेरा यह निवेदन है कि इस कार्य को बरसात से पहले पूरा करा दें। यदि नया पुल बनाने में कठिनाई है, पैसे का ज्यादा खर्च है तो कम से कम इस पुल को इस रूप में बनवा दें जिससे वह बसेज और ट्रकों द्वारा सामानों के आने जाने के उपयुक्त हो सके।

मेरा क्षेत्र ऐसा है जो बाढ़ग्रस्त है। इसमें आवागमन के साधनों की वैसे ही कमी है। एक सड़क है हल्दी-सहतवार जो 10 वर्ष से बन रही है और आज तक इसका काम पूरा नहीं हो पाया है। यह आवागमन के लिये उपयुक्त नहीं हो पायी है। एक दूसरी सड़क सोनवरसा दलनछपरा है जो 5-7 वर्ष से बन रही है। यह भी आवागमन के उपयुक्त नहीं है। इसी तरह से कैश प्रोग्राम में भी कई सड़कें बनीं जो आवागमन के लिये उपयुक्त नहीं है। मेरा कहना यह है कि हमारा बाढ़ का क्षेत्र है, नीचा क्षेत्र है, अगर वहां कच्ची सड़कें भी बन गयी होती तो वह अच्छा रहता। कच्ची सड़कों के बनजाने पर भी उनके ठीक तरह से न बनने से आवागमन के साधनों में और भी कठिनाई हो गयी है। इसलिये मैं मंत्री जी से मान्यवर, आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि इस क्षेत्र में सड़कों के निर्माण कार्य पर विशेष ध्यान दिया जाय। जो सड़कें बन गयी हैं उनको ही अगर मुकम्मल कर दिया जाय तो मैं समझूंगा कि बहुत बड़ा काम हो गया। पुरानी सड़कों का जो काम है उसको मुकम्मल किया जाय, नयी सड़कों का प्रस्ताव रखना कोई माने नहीं रखता है।

एक बात की ओर मैं और ध्यान दिलाना चाहता हूं। वह यह है कि जो सार्वजनिक निर्माण विभाग है और जहां तक अपनी जानकारी है उसके आधार पर कह सकता हूं कि यह भ्रष्टाचार का अड्डा है। मेरा ख्याल है कि जो इन्वेस्टमेंट या खर्च इस विभाग में किया जाता है उसका 20 से 50 परसेंट तक इन्जीनियर और ठेकेदार लोगों के पास जाता है। मैं यह बतलाना चाहता हूं कि हमारे बलिया जिले में जो इक्जीक्यूटिव इन्जीनियर हैं वह केवल 1/3 गिट्टी की मात्रा को सप्लाई कर रहे हैं और भावों में रेलवे को जो ट्रांसपोर्ट ड्यूटी है उसी भाव से रोड से दिखाकर उस गिट्टी का भुगतान कर रहे हैं। पिछले 2 वर्ष

[श्री बनवारी राम यादव]

से करीब-करीब 40 लाख रुपये की गिट्टी की सप्लाई हुयी है। इसमें मेरे ख्याल से 15–20 लाख रुपये ठेकेदार और इन्जीनियर साहब की पाकेट में गया है। इसकी जांच अगर की जाय, अच्छी तरह से तो मेरी बात मूलत: सत्य पायी जायगी। एक ठेकेदार है, अग्रवाल साहब इक्जीक्यूटिव इन्जीनियर, गोरखपुर, आजमगढ़, जहां-जहां जाते हैं कांट्रेक्टर भी हमारे इन्जीनियर साहब के साथ पहुंचता है और सारे ठेके और नामों से उसी कांट्रेक्टर को दिये जाते हैं। बलिया में 40 लाख रुपये की गिट्टी का ठेका उन्ही को दिया गया है। उनको देने का यह नतीजा है कि चाहे सड़क पर गिट्टी पड़े या न पड़े लेकिन गिट्टी की सप्लाई जरूर हो जाय। इसलिये मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि इन बातों की निष्पक्ष जांच करायें और पी0 डब्लू0 डी0 विभाग में जो अपव्यय हो रहा है, लूट मची है, उसको रोकें। अगर इसको इक्जामिन किया जायगा और कंट्रोल किया जायगा तो मैं समझता हूं कि कम से कम 30 परसेंट काम और सरकारी रुपये से बढ़ सकेंगे। उसी रुपये से अधिक काम हो सकेगा।

*श्री गोबिन्द सिंह नेगी (जिला टिहरी-गढ़वाल)—

मान्यवर, आर्या जी बाहर चले जा रहे हैं। शायद दूसरे मंत्री जी यहां होंगे।

मान्यवर, आप भी पहाड़ से आते हैं, हमारे मंत्री जी पहाड़ से आते हैं और मैं भी पहाड़ से आता हूं। मान्यवर, कोई डाक्टर पहाड़ पर जाना पसंद नहीं करता। किसी अन्य विभाग के कर्मचारी पहाड़ पर जाना पसंद नहीं करते। स्कूल का मास्टर वहां जाना पसंद नहीं करता। जो वहां है वह हमसे खुशामद करते हैं कि हमको मैदान में भेजो। लेकिन एक विभाग है जिसके इन्जीनियर पहाड़ पर जानें के लिये हमेशा खुशामद करते हैं और अगर एक बार पहाड़ पर चले गये और बदकिस्मती से तबादला हो गया तो मंत्री जी को और हमारी मुसीबत कर देते हैं कि हमको पहाड पर ही रहने दो। पहाड़ की जनता की हम सेवा करते हैं। मान्यवर, क्यों ऐसा है आप जानते हैं? ऐसा इसलिये है कि अगर 4 साल पहाड़ पर रह गये तो देहारादून के अन्दर बंगला बन सकता है, इलाहाबाद, वाराणसी के अन्दर बंगला बन सकता है। किसी भी बड़े शहर में बंगला वह बनवा सकते हैं अगर 4 साल वहां पर रह जायं।

मान्यवर, लूट मची है। पहाड़ का ठेकेदार 10 से लेकर 20 प्रतिशत का रेट ले लेता है। तो वहां इस प्रकार का पी0 डब्लू0 डी0 में भ्रष्टाचार हो गया है। सदन में बताया गया था कि एक ठेकेदार ने इन्कम टैक्स के फार्म में 15 प्रतिशत कमीशन लिखकर भेजा था। इन्कम टैक्स आफिसर ने पूछा कि यह क्यों लिखा है? तो उसने बताया कि यह छोटे और बड़े अधिकारियों को देना पड़ता है जो कि सरकार से मंजूर हो गया है। मैं समझता हूं कि यह जो आपका बजट है उसका कम से कम 20 फीसदी हिस्सा आपके सरकारी कर्मचारियों जैसे इंजीनियर, ओवरसीयर आदि को जा रहा है। मान्यवर, भ्रष्टाचार, की मिसाल आज भी प्रश्न के उत्तर में आया था कि जोशीमठ का ठेकेदार लगातार इंजीनियर और छोटे कर्मचारियों के दरवाजे खटखटाता रहा लेकिन उसको पैसा देने के लिये नहीं था और उसको पैसा नहीं मिला इसलिये उसने सार्वजनिक जगह पर अपना आत्मदाह कर लिया। एक व्यक्ति जिसने सब कुछ अपने ठेके पर लगा दिया और साल भर से लगातार कर्मचारियों के दरवाजे खटखटाता रहा लेकिन पैसा न मिलने से उसने अपना आत्मदाह कर लिया। यह इस विभाग के लिए शर्म की बात है। इसमें मंत्री जी से हमको आश्वासन मिला कि सतर्कता विभाग जांच इसकी करेगा। मैं आर्य जी से निवेदन करूंगा कि उस ठेकेदार के परिवार पर रहम करें जिसके बच्चे अनाथ हो गये हैं और अधिकारियों से कहें कि जो भी रकम हो उसकी विधवा को दिलवा दें।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

24—सार्वजनिक निर्माण कार्य, अनुदान संख्या 34—आवास भवन, अनुदान संख्या 60—संचार साधन , अनुदान संख्या 61—कार्यात्मक भवन, अनुदान संख्या—62—सार्वजनिक निर्माण अधिष्ठान, अनुदान संख्या 67—सार्वजनिक निर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय, अनुदान संख्या 68—कार्यात्मक भवनों पर पूंजीगत परिव्यय,अनुदान संख्या 70—आवास भवनों पर पूंजीगत परिव्यय, अनुदान संख्या 83—संचार साधनों पर पूंजीगत परिव्यय, अनुदान संख्या 43—सामान्य आर्थिक सेवायें, अनुदान संख्या 48—खाद्य तथा पोषाहार तथा अनुदान संख्या 78—खाद्य तथा पोषाहार पर पूंजीगत परिव्यय

मान्यवर, भ्रष्टाचार, का क्या कारण है ? बड़ी अच्छी तरकीब निकाल रखी है कि एग्रीमेन्ट से रनिंग पेमेन्ट होता है। 15 परसेन्ट लेने के लिये फर्स्ट और सेकेन्ड रनिंग पेमेन्ट बिल बनाया है और लेने के बाद उनको बेवकूफ बनाकर वह 15 प्रतिशत छोटे और बड़े अधिकारियों को दे देते हैं। लेकिन फाइनल बिल जब आता है तो ठेकेदार की गरदन दबा देते हैं अपना कमीशन लेने के बाद। जिससे ठेकेदार काम छोड़कर भाग जाता है और फिर नये टेंडर लेते हैं और फिर वही गोरखधंधा चलता है। यदि मंत्री जी भ्रष्टाचार को कम करना चाहते हैं तो रनिंग पेमेन्ट जो इंजीनियर और ओवरसियर सर्टिफाइड करते हैं उसकी जिम्मेदारी फिक्स करें। यदि इक्सेस पेमेन्ट किया तो वह उसके वेतन से रनिंग पेमेन्ट वसूल होगा और शायद इस तरह से भ्रष्टाचार कम हो।

मान्यवर, दूसरी बात योजनागत प्लान तो ठीक है जो आपने रखा है लेकिन नान-प्लान बजट जो है वह आपका कुछ नहीं है। तो जो सीजनल रिपेयर हैं उसका कोई पैसा नहीं है। पहाड़ में आपने सड़कें बना दी हैं लेकिन बरसात आयेगी तो उसमें यह सड़कें टूट जायेंगी क्योंकि रिपेयर के लिये आपके पास पैसा है नहीं इसलिये मंत्री जी से निवेदन है कि यदि कोई प्लानिंग कमीशन से अड़चन हो या फाइनेंस में हो तो कम से कम यह कहें कि जो सड़के बन चुकी हैं उनके रखरखाव और रिपेयर के लिये जो पैसा काटा है, उसको रेस्टोर करें।

तीसरी चीज क्रैश प्रोग्राम है। बड़े अच्छे उद्देश्य के साथ क्रैश प्रोग्राम की सड़कें बनायी गयीं लेकिन वास्तविकता यह है कि क्रैश प्रोग्राम बिल्कुल क्रैश हो गया। मैदान की बात तो मैं नहीं जानता, मेरे दूसरे दोस्त जानते होंगे लेकिन पहाड़ के अन्दर एक भी सड़क क्रैश प्रोग्राम की ऐसी नहीं जिस पर मोटर की बात तो दूर रही पैदल ही नहीं चल सकते। इस तरह से करोड़ों रुपया आपका बर्बाद जा रहा है। मेरा निवेदन है कि क्रैश प्रोग्राम में बनायी गयी सड़कों पर रुपया लगाकर उनको ठीक कराइये। इसके बाद पुलों की बात आती है। जो सड़कों पर पुल हैं उनका आमतौर से देखरेख पी0 डब्लू0 डी0 विभाग करता है। लेकिन मान्यवर, आपको भी तजुर्बा है हमारे यहां पहाड़ों पर जो पुल बने हुए हैं उनका रख रखाव करने वाला कोई विभाग नहीं है। जिलापरिषद् कर नहीं सकता क्योंकि उसके पास इतना पैसा नहीं। किसी जमाने में जब हमारे यहां रियासत थी तो वन विभाग रख रखाव करता था लेकिन अब वह भी नहीं करता। नतीजा यह कि अगर एक दफा पुल सरक गया तो कोई विभाग मरम्मत करने वाला नहीं। मेरा यह सुझाव है कि उनका रख रखाव भी पी0 डब्लू0 डी0 द्वारा होना चाहिये।

मान्यवर ,एक चीज के बारे में माननीय सदस्यों को बड़ी गलतफहमी है। यहां बाम्बे प्लान के आंकड़े पढ़े जा रहे थे और कहा जा रहा था कि पहाड़ के अन्दर काफी सड़कें बन गयी। लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं कि बाम्बे प्लान पहाड़ को कतई पसन्द नहीं। मुख्य मंत्री जी यहां नहीं लेकिन उन्होंने भी स्वीकार किया कि बाम्बे प्लान के आधार पर पहाड़ के लिये सड़कों का निर्माण करना अत्याचार है। उसमें मान्यवर, है क्या ? उसमें आप जनसंख्या के घनत्व के आधार पर गणना करते हैं लेकिन पहाड़ के केस में 8 हजार की ऊंचाई की गणना नहीं की जाती क्योंकि यह मान लिया गया कि वहां कोई रहता नहीं। मान्य-

[श्री गोविन्द सिंह नेगी]

वर, आप तो जानते हैं कि कितनी ही पट्टियां उस ऊंचाई पर हैं। अगर उनको गणना म नहीं लेंगे तो आप पहाड़ के साथ अन्याय करेंगे । हमारे कुछ सड़कें सामयिक महत्व की हैं जिनका नाम नहीं लेना चाहता। उनको तो भारत सरकार अपने डिफेन्स परपज के लिये बना रही है । उसको हमारे खाते में जोड़ लेंगे तो जाहिर है कि सड़कों की संख्या बढ़ जायगी । अब एक और नई चीज कर दी । लोक सभा के एम0 पी0 का क्षेत्र लेंगे । आठ पर्वतीय जिले हैं और एम0 पी0 केवल चार हैं । लखनऊ शहर में भी शायद एक एम0 पी0 होगा । लखनऊ के अन्दर जो सड़कें बनायेंगे वही सड़कें पहाड़ के जिलों के अन्दर भी बनायेंगे तो यह कहां तक न्यायसंगत होगा ? यह एम0 पी0 वाला मामला मेरी समझ में नहीं आया । एम0 एल0 ए0 की बात होती तो समझ में आती । लेकिन आजकल तो फैशन हो गया है एम0 एल0 ए0 को कोई नहीं पूछता, एम0 पी0 की खुशामद करते हैं यहां दफ्तर भी खुल गया। क्यों न हो ? अब मिनिस्टर एम0 एल0 ए0 के समर्थन पर नहीं बल्कि वह तो मेड इन दिल्ली है । इसलिये मेरा कहना है कि ऐसा आधार न बनावें कि एम0 एल0 एज0 के अन्दर हार्ट बर्निंग हो। इनको भी आप कांफीडेंस में लें। वह आपका समर्थन करते हैं। उनकी दुर्गत न कीजिये । आप उनका आदर करें यह समझकर कि वह हमारे प्रतिनिधि हैं । एम0 पी0 की खुशामद करें और एम0 एल0 ए0 को घास न डालें तो ऐसी परम्परा न डालें। बाम्बे प्लान के हिसाब से पहाड़ की सड़कों की लिस्ट है, देख लें।

हमारे जिले अल्मोड़ा में 162 परसेंट, बम्बई प्लान के हिसाब से गढ़वाल तो मेरे साथ ही है, नैनीताल 161, चमोली 150, पिथौरागढ़ 156 और टिहरी-गढ़वाल 129। कहीं ऐसा तो नहीं है कि जहां के मंत्री होंगे वहां तो सड़क बन गई और जहां का कोई मंत्री नहीं है वहां पर कोई पूंछने वाला ही नहीं है । मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि यह मंत्री केवल अपने क्षेत्र तक के लिये ही मंत्री नहीं हैं बल्कि सारे प्रदेश के लिये मंत्री हैं । जो जिले पिछड़े हैं उनको प्रमुखता के आधार पर लिया जाना चाहिये और जो आलरेडी आगे बढ़े हुये हैं उनको आपको थोड़ा रोकना पड़ेगा । मेरा यह कहना है कि आप क्षेत्रफल को आधार बनायें । बुन्देलखंड का इलाका है वहां पर भी आपने पापुलेशन को आधार माना जो कभी उपयुक्त नहीं है । इस प्रकार का बन्दरबांट चलना कहां तक उपयुक्त होगा ?

खाद्यान्नों के सम्बन्ध में मैं कहूंगा कि यह सही है कि मार्केट में गेहूं का भाव नीचे आ गया है और फेयरप्राइस शाप्स में उसका भाव ऊंचा है । हमारे जिले में जो सरकारी गेहूं है उसकी बोरियां सड़कों पर पड़ी हैं और अन्देशा यह है कि कहीं वह सड़ न जायं जिससे कि लाखों रुपयों का नुक्सान हो जायगा। इस गेहूं का कोई इन्तजाम कीजिये और गोदाम बनवाइये । सड़कों पर उसको सड़ने न दीजिये।

दूसरी बात चीनी की है, पहाड़ों में अब आपका दूध तो पीने के लिये मिलेगा नहीं क्योंकि सारे चरागाह साफ हो गये हैं। अब तो केवल एक ही आतिथ्य का सहारा रह गया है और वह है चाय का। वह ठंडा इलाका है और वहां पर एक दिन में लोग 4, 4 दफे चाय पीते हैं । हमारे पास और इसके अतिरिक्त कोई पेय साधन नहीं है। वहां पर न तो खंडसारी मिलती है और न गुड़ ही । इसलिये आप इस चीनी के कोटे को उस इलाके के लिये बढ़ाने की कृपा करें।

*श्री दीप नारायण पान्डेय (जिला गोण्डा)---

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझको बोलने का अवसर दिया। जहां तक सार्वजनिक निर्माण विभाग की बजट मांगों का सम्बन्ध है, मैं इसका समर्थन करता हूं। साथ ही इस विभाग के बारे में मेरे कुछ सुझाव भी हैं। मैं गोंडा जिले

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

से आता हूं । इस जिले की पापुलेशन को देखते हुये तथा इसकी लम्बाई चौड़ाई को देखते हुये यहां पर जो सड़कें बनी हैं वे बहुत ही कम हैं। मान्यवर, जब से हम लोग विधान सभा में आये हैं और नया सत्र चला है उस समय तक एक इन्च सड़क भी वहां पर नहीं बनी। मैंने हमेशा परामर्शदात्री समिति में भी सड़कों के बारे में लिखकर दिया है। मान्यवर, पहले सड़क रामापुर घाट से दुबहा बाजार तक बनाई जाये। अगर दुबहा बाजार में मंत्री जी जायें तो उस इलाके में मंत्री जो बड़े ही कष्टों से पहुंच पायेंगे। वहां पहुंचना बहुत ही मुश्किल है। जब कभी हम लोग वहां पहुंच जाते हैं तो लोग शिकायत करने लगते हैं कि यहां के लिये कोई सड़क नहीं बनी है हम लोग अपनी लड़कियों की शादी ब्याह कैसे करें, उनकी लड़कियों की शादी नहीं हो पाती है तो यह दुर्दशा है सड़क के न होने के कारण। लिहाजा उस इलाके में यह सड़क जरूर बनाई जाय। एक और सड़क चौथी पंचवर्षीय योजना में पूरी होनी चाहिये थी बहराइच से कर्नेलगंज तक लेकिन वह बीच में हसनपुर तक रह गयी और बहराइच से करनेलगंज के बीच में यह 11 किलोमीटर का टुकड़ा बगैर बने रह गया है। इसमें दो-दो हाथ गड्ढे हैं। इस कारण हसनपुर से कर्नेलगंज तक बसें नहीं चल पाती हैं। इस सड़क को पूरा करने की आवश्यकता है। त्वरित योजना के अन्तर्गत जहां तक सड़कों का सवाल है मेरे जिले गोंडा में जो सड़कें इस योजना के अन्तर्गत तक बनाई गयी हैं इस सदन में कई बार उन के सम्बन्ध में चर्चा की जा चुकी है और माननीय मंत्री जी चूंकि वहां जा चुके हैं कई बार इसलिये इस विषय में काफी जानते हैं कि इन सड़कों में कितना घपला किया गया है। काफी पैसा खा लिया गया फिर भी उन अधिकारियों का प्रोमोशन कर दिया गया। जिन अधिकारियों पर चार्जेज हों उनके खिलाफ अगर शासन सख्ती से कार्यवाही नहीं करेगा तो गाड़ी चलने वाली नहीं है। नेगी जी ने अभी बताया कि किस तरह से इस विभाग में परसेन्टेज लिया जाता है।

मंत्री जी बहुत ईमानदार व सीधे सादे आदमी हैं लेकिन जिस विभाग के वह हेड हैं उसको संभालना उनका काम है और अपनी सिधाई को उनको छोड़ना होगा क्योंकि उस डिपार्टमेन्ट के बारे में गांव के एक मामूली आदमी से लेकर देश की प्रधान मंत्री तक जानती हैं कि इसमें कितना भ्रष्टाचार है? हर ओवरसियर का, इंजीनियर का कमीशन बंधा हुआ है। हर क्लर्क का भी कमीशन बंधा हुआ है। नतीजा यह है कि जो 10,20 करोड़ आप प्रदेश पर इस विभाग के जरिये खर्च करने जा रहे हैं उसमें केवल 5, 7 करोड़ का काम होगा और आधे से ज्यादा धन विभाग वाले खा जायेंगे। 500 रुपये वेतन पाने वाला ओवरसियर के घर रेफ्रिजरेटर और हर तरह की साज सज्जा मिलेगी। यह आखिर आता कहां से है? हजरतगंज में 100 रुपये रोज वहां खर्च कर देता है। अगर सख्ती के साथ आपने इसे नहीं दबाया तो इस प्रदेश की गरीब जनता का करोड़ों रुपया ये बेईमान अधिकारी खा जायेंगे। मुझे ज्ञात हुआ है कि इस विभाग में कोई आप का विजिलेंस डिपार्टमेंट भी है जो जाकर जांच करता है कि जिस रेशियो से मसाला बनना चाहिये था वह बना है या नहीं, जितनी इंच गिट्टी पड़नी चाहिये थी वह पड़ी है या नहीं? इसमें चाहिये यह कि 10 साल पहले भी जो हुआ है उसकी भी वह जांच करें और जो दोषी पाये जायं उनको मीसा तथा डी0 आई0 आर0 में बन्द किया जाय ताकि जनता समझ सके कि छोटे लोग ही

[श्री दीप नारायण पाण्डेय]

नहीं पकड़े जाते हैं बल्कि बड़े अधिकारी भी पकड़े जाते हैं जो जनता का धन खा रहे थे। माननीय मंत्री जी को जनता के इस पैसे की चौकीदारी करनी होगी ताकि ये अधिकारी जनता का करोड़ों रुपया खा न सकें, व्यर्थ खर्च न कर सकें। इसके अलावा बहराइच जिले में जिस अनुपात से सड़कें बनाई गयी हैं उस अनुपात से गोंडा जिले में नहीं बनाई गयीं। जब कि बहराइच जिला गोंडा से छोटा है। लिहाजा मेरा निवेदन है मंत्री जी से कि गोंडा जिले की ओर विशेष ध्यान दिया जाय। मैंने इस सदन में 29 तारीख को कहा था कि गोंडा जिले में जो एक सड़क बनायी जा रही है उसमें पुल बनाया जाय। मान्यवर, मैं अभी वहां गया था तुलसीपुर में जहां पर कि 50/60 आदमी बस के उलटने से मर गये हैं। रामापुर घाट पर अगर पुल नहीं बनाया गया तो हो सकता है कि उसी तरह की फिर कोई घटना वहां हो जाय। इसलिये मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि वे हमारी इन बातों के ऊपर ध्यान देंगे। इन शब्दों के साथ मैं उनके द्वारा प्रस्तुत मांगों का समर्थन करता हूं।

श्री गौरी शंकर (जिला इटावा)--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस बजट पर बोलने का समय दिया। मान्यवर, जैसा कि सदन के अन्य माननीय सदस्यों ने कहा, मैं भी अपने आपको उनकी बातों से सम्बद्ध करता हूं और खास तौर से भाई नेगी जी के विचारों से जिन्होंने यह कहा कि इस प्रदेश के जितने भी उपेक्षित और पिछड़े क्षेत्र हैं उनके ऊपर विशेष रूप से ध्यान दिया जाना चाहिये और उनका सर्वे किया जाना चाहिये। यह बड़ी विडम्बना का विषय है, कहीं-कहीं पर तो जहां पर कि बड़े-बड़े बी0 आई0 पीज0, नेतागण और मंत्रीगण पैदा हुये हैं वहां पर बम्बों और नहरों की पटरियों में भी पक्की सड़कें बनी हैं। कहीं-कहीं, मैं नाम नहीं लूंगा, जाने से ऐसा लगता है कि प्रदेश के सारे अधिकारी इसी जिले से, इसी हिस्से से हुये हैं। मैं कहना चाहता हूं कि आप इलाहाबाद में अच्छी सड़कें बनायें, बनारस में बनायें और दूसरी जगहों पर बनायें लेकिन ग्रामीण अंचलों की ओर भी आपका ध्यान जाना चाहिये जहां कि गांव के लोग रहते हैं। मैं आपको उस समय की याद दिलाता हूं जहां पर कि हिन्दुस्तान के स्वाधीनता की लड़ाई लड़ने वाली कांग्रेस ने ह्यूम के समय इटावा जिले में 1885 में जन्म लिया था। उत्तर प्रदेश में गोविन्द बल्लभ पंत चीफ मिनिस्टर थे उन्होंने एलवर्ट मायर को इटावा जिले में भेजा था कि आप जाकर वहां देखें कि कैसे प्लानिंग का काम चल सकता है। प्लानिंग का काम उस जिले से शुरू हुआ। इस तरह से मैं कह सकता हूं कि इटावा में अजीत मल क्षेत्र की माटी प्लानिंग की जननी है और वही इस प्लानिंग की जन्मभूमि है। लेकिन आज उसका खयाल कहां तक है उसके सम्बन्ध में मैं आपके सामने कुछ आंकड़े प्रस्तुत करना चाहूंगा। माननीय सदस्यों ने अपने-अपने इलाके की सड़कों के बारे में अपने विचार रखे। मैं इतना ही कह सकता हूं कि कोई तो आपका क्राइटेरिया होना चाहिये कि जो उपेक्षित क्षेत्र हैं उनको कैसे आगे बढ़ाया जाय। मेरा अजीतमल क्षेत्र भी एक उपेक्षित क्षेत्र है।

मान्यवर, जहां बिजली और सड़कें पहुंच जाती हैं वहां ट्यूबवेल भी हो जाते हैं अन्य उद्योग धंधे भी लगाये जाते हैं और कारखाने भी खोले जाते हैं। बिजली और सड़कों पर ही सारा विकास निर्भर होता है। इसलिये आवश्यकता इस बात की है कि सर्वप्रथम बिजली पहुंचाई जाय और उसके माध्यम से आने जाने के साधनों का भी विकास हर क्षेत्र में होना चाहिये। उन्हीं जगहों पर सड़कों का विकास भी हो सकता है, बिजनेस भी पनपते हैं शिक्षण संस्थायें भी खोली जाती हैं जहां बिजली पहुंच जाती है। मेरे क्षेत्र अजीतमल से पिछले 27 वर्षों से कांग्रेस का एम0 एल0 ए0 चुनकर आता है। वहां के लोग कांग्रेस को अपना जनप्रतिनिधि बनाकर भेजती हैं ताकि वहां का विकास हो सके। वहां की मक जनता कुछ नहीं कह सकती। इसलिये हमारा फर्ज हो जाता है कि हम उसके

24—सार्वजनिक निर्माण कार्य, अनुदान संख्या 34—आवास भवन, अनुदान संख्या 60—संचार साधन, अनुदान संख्या 61—कार्यात्मक भवन, अनुदान संख्या 62—सार्वजनिक निर्माण अधिष्ठान, अनुदान संख्या 67—सार्वजनिक निर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय, अनुदान संख्या 68—कार्यात्मक भवनों पर पूंजीगत परिव्यय, अनुदान संख्या 70—आवास भवनों पर पूंजीगत परिव्यय, अनुदान संख्या 83-संचार साधनों पर पूंजीगत परिव्यय, अनुदान संख्या 43—सामान्य आर्थिक सेवायें, अनुदान संख्या 48—खाद्य तथा पोषाहार तथा अनुदान संख्या 78—खाद्य तथा पोषाहार पर पूंजीगत परिव्यय

विकास का हर सम्भव प्रयास करें। मैं छोटा होने के नाते यह विश्वास रखता हूं कि जो एलाटमेंट जो रुपया क्षेत्रों को दिया जाता है उससे हमारे क्षेत्र को वंचित न रखा जायेगा। मेरा ऐसा विश्वास है। माननीय मंत्री जो हमारे क्षेत्र में गये थे और मैंने दो-एक सड़कों को उन्हें दिखाया भी था। वहां एक जायन्ती गांव है वह भी आपने देखा होगा उसमें जो सड़क थी वह कम्युनिटी डेवलपमेन्ट के पास थी। यह मेरा सौभाग्य है कि यह डिपार्टमेंट अब आपके हाथ में आया है। आप वहां गये हैं। मैं कहना चाहता हूं कि वहां का ग्रामीण अंचल बहुत फर्टाइल है, बहुत उपजाऊ है। सिचाई के वहां साधन हैं उनका उपयोग करने की बात है। सड़कों की वहां बहुत कमी है जिसकी तरफ विशेष ध्यान देने की बात है। यह अटसू अछल्दा मार्ग जो 15 किलोमीटर लम्बा है जिसमें 7 कि0 मी0 में अर्थ वर्क हुआ है। दूसरी अटसु-अहेरोपुर मार्ग है जो करीब 10, 12 किलोमीटर है। यह मार्ग जो है दो पार्लियामेन्ट्री कांस्टीट्एंसी इटावा और कनौज को जोड़ेगा जैसा कि आपने अपने भाषण में कहा है कि आप पार्लियामेन्ट्री कांस्टीट्एन्सी को जोड़ने जा रहे हैं। यह खुशी की बात है। एक तीसरी सड़क जुआ भोखेपुर, जुहीरवा जगमनपुर मार्ग है यह इटावा और जालौन और मध्य प्रदेश को मिलाती है। यह सड़क करीब 10 कि0 मी0 लम्बी है। इसी तरह एक चौथी सड़क बाबरपुर-सिकरोड़ी है एक और पांचवीं सड़क दिवियापुर-ऊमरी-अबाबर-छोंक सहायल सड़क है जो करीब 7 किलोमीटर की है। इसको टैस्ट वर्क में बनाया गया था यह दोनों सड़कें इटावा और कन्नौज, और जालौन पार्लियामेन्ट्री कांस्टीटुएंसी को मिलायेगी। इसलिये इन पर शीघ्र कार्य शुरू किया जाय। इन सड़कों को बनाने से ग्रामीण अंचल का विकास होने में बड़ी मदद मिलेगी। मैं कहना चाहता हूं कि इस बात का ध्यान दिया जाना चाहिये कि जो ज्यादा पिछड़े क्षेत्र हैं उनकी तरफ पहले ध्यान दिया जाना चाहिये।

हमारे जिले में पचनद जमुना चम्बल क्वारों, संध पहूज हैं। यह हमारा सौभाग्य है कि ये पांच नदियां वहां पर मिलती हैं। यहां पर अगर पचनद बांध बना दिया जाय तो मैं समझता हूं कि यह डैम भाखड़ा से और कोठी से किसी माने में पीछे नहीं होगा उनसे बड़ा ही बनेगा। इसके लिये जरूरी है कि जुला-भोखीपुर जुहीरवा जगम्मनपुर सड़क बनाई जाय। कोई कारण नहीं हैं कि हमारे इलाके को उपेक्षित रखा जाय। अभी तक मान्यवर हमारा इलाका अपेक्षित रहा है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि वहां पर क्यों नहीं बांध बनाया जाता है, क्यों नहीं वहां ट्यूबवेल बनाये जाते हैं। ऐसा एरिया जहां पर जमुना, चम्बल, क्वारी, सघ, पहूज जैसी पांच नदियां बहती हों वहां पर क्यों नहीं बांध बने? हम इस बात से शांति कर लेते अगर हिन्दुस्तान में आर्यभट्ट जैसा उपग्रह नहीं छोड़ा होता और अणुशक्ति का विस्फोट नहीं किया होता। हम छाती पर पत्थर रखकर चुप बैठ जाते कि चलो देश में कुछ नहीं हुआ तो हमारे क्षेत्र में भी नहीं हुआ तो कोई बात नहीं है लेकिन जब इतनी भारी उपलब्धियां हमारे यहां हुई हैं तो हमारा इलाका क्यों पिछड़ा रहे? मैं आशा करता हू कि हमारे सार्वजनिक निर्माण मत्री निश्चित रूप से इस पर ध्यान देगें। यह जो मैंने सड़कें बताई हैं यह छोटी-छोटी हैं इन पर क्रैश प्रोग्राम और टैस्ट वर्क में मिट्टी का काम हुआ है। हमारे मंत्री जो एक ईमानदार आदमी हैं और

[श्री गौरी शंकर]

बहुत सीधे आदमी हैं उनसे मैं अनुरोध करूंगा कि वह अपने विभाग के अधिकारियों की जरा लगाम खींचें उनको जरा कसने की जरूरत है, ऐडमिनिस्ट्रेशन को जरा लगाम लगाने की जरूरत है। इन शब्दों के साथ मैं इस बजट का समर्थन करता हूं।

*श्रीमती रामरती देवी (जिला फैजाबाद)—

अधिष्ठाता महोदय, जब से देश आजाद हुआ हमारे यहां पुल, पुलिया और सड़कों के काम में इस विभाग ने काफी तरक्की की है। लेकिन आज की आवश्यकता को देखते हुए, बड़े-बड़े उद्योग धंधों को देखते हुए और हाट बाजार को देखते हुए प्रदेश की तरक्की के लिये, जनसंपर्क को बढ़ाने के लिये आवश्यक है कि सड़कों को और बढ़ाया जाय जिसका अभी तक अभाव है। मेरे फैजाबाद जिले में जहांगीरगंज में सड़कों का प्रश्न हल करना जरूरी है। मैं मंत्री जी का ध्यान इस ओर दिलाना चाहती हूं। और उस समय आपके सामने भी अपने क्षेत्र की महत्वपूर्ण मांग के सम्बन्ध में वहां की जनता ने बात रखी थी। आपके पहले इस विभाग के मंत्री श्री यादव जी भी हमारे क्षेत्र में गये थे और उन्होंने भी हमारे क्षेत्र की कमी को देखा और 10 हजार लोगों के बीच में पूरा आश्वासन दिया कि इस जिले में अलोहपुर का जो पुल है वह होना अत्यन्त आवश्यक है। उसके बाद उस क्षेत्र का दुर्भाग्य रहा कि वह इस पद से हट गये। आपके सामने भी जब यह मांग रखी गई थी, आपने महसूस किया था कि अलोहपुर का पुल बनना अत्यन्त आवश्यक है। उस विधान सभा क्षेत्र में सरकार के कहने के लिये एक सड़क है। बसखारी से जहांगीरगंज होते हुए जो आगे जाती है, किन्तु उस सड़क के ऊपर भी अलोहपुर के बागविकिया का पुल नहीं है। उसके उत्तर दिशा में गोरखपुर जिला पड़ता है, करीब दो-तीन मील बाद ही शुरू हो जाता है। दक्षिण में आजमगढ़ की सीमा मिलती है और दक्षिण की तरफ बस्ती का जिला पड़ता है। उस पर सरयू नदी के होने की वजह से 2-3 जिलों का सम्बंध जुड़ जाता है। वहां पर यातायात के साधनों और पुलों की अत्यन्त कमी है। इसके लिये मैं दो बार विधान सभा में प्रश्न भी कर चुका हूं। हमेशा हमें यह आश्वासन दिया जाता है कि धनाभाव के कारण यह कार्य नहीं हो सकता है। अब मैं अन्य जगहों पर अपनी निगाह दौड़ाती हूं, तो देखती हूं कि सब जगह विकास कार्य हो रहा है, लेकिन वहां नहीं।

इसको; मैं उस क्षेत्र का दुर्भाग्य ही कहती हूं कि देश आजाद होने के बाद से हमेशा वह सुरक्षित सीट रहा है और इसलिये भी उस क्षेत्र को हमेशा उपेक्षा की दृष्टि से देखा गया है। उसी क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण सड़क है, जो जहांगीरगंज से माडरमऊ होते हुए गोरखपुर जिल को मिलाती है, इसके बीच में कई छोटी मोटी नदियां बहती हैं, इसलिये वह क्षेत्र वर्ष में 4 महीने जलमग्न रहता है। मैं चाहती हूं, मंत्री जी उस पर अवश्य ध्यान दें। इसी तरह दूसरी सड़क है जो रामनगर से लेकर हसवल की तरफ जाती है, यह काफी लम्बी 10 किलोमीटर की सड़क है। उसके बीच में एक पुल भी है, जो काफी टूटा फूटा है, जिसके कारण पानी अधिक होने की वजह से रास्ता बन्द हो जाता है। पास में एक इण्टर कालेज है, जिसके विद्यार्थियों को उसके कारण आने जाने में बड़ी कठिनाई होती है। मंत्री जी उस पर भी ध्यान दें। अलोहपुर के पुल की तरफ विशेष ध्यान उन्हें देना चाहिये।

श्री मोहम्मद शकील अहमद (जिला लखनऊ)—

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है, आप लिस्ट से सदस्यों के नाम पुकार रहे हैं।

श्री अधिष्ठाता—

जैसा ठीक समझता हूं वैसे पुकार रहा हूं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री मोहम्मद शकील अहमद—

अभी लिस्ट आपने दिखाई थी, क्या लिस्ट से पुकार रहे हैं यही जानना चाहता था ?

श्रीमती रामरती देवी—

पुलों के बारे में मई के महीने में विभाग द्वारा इंजीनियर भी गये थे जिन्होंने सर्वे किया और सर्वे में थोड़ा सा आश्वासन वहां की जनता को दिया कि अगर हम लोहे का पुल नहीं बनवा सकते हैं, तो लकड़ी का बनवा देंगे। इससे जनता को कुछ संतोष मिला। मैं यह चाहूंगी कि लकड़ी का ही पुल बनवा दिया जाय।

मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान खाद्य विभाग की तरफ भी दिलाना चाहती हूं। मान्यवर, चीनी के सम्बन्ध में जो मौजूदा प्रणाली चल रही है उससे जनता में काफी असंतोष है और चीनी का वितरण जो है गलत तरीके से हो रहा है। मैं चाहूंगी कि माननीय मंत्री जी पहले की जो प्रणाली थी, उसको लागू करें और मौजूदा प्रणाली को समाप्त करें, इन शब्दों के साथ मैं बजट का समर्थन करती हूं।

*श्री जगदीश नारायन त्रिपाठी (जिला मैनपुरी)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं कुछ सुझाव इस पी0 डब्लू0 डी0 के बजट पर और इस खाद्य के बजट पर देना चाहता हूं। अभी हमारे राज्य के विभिन्न हिस्सों के माननीय सदस्यों ने अपने-अपने इलाकों में सड़कों के निर्माण के लिये अपने भाषण के दौरान अनुरोध किया। मान्यवर, एक- दो चीज मैं भी निवेदन करूं। इसको लोग स्मरण नहीं कर पा रहे हैं। मैनपुरी जिले से मैं आता हूं और एटा जिले की तहसील, दोनों में सीधे-सीधे कोई तालमेल नहीं है, बीच का जो इलाका है काली नदी से अलग करता है। काली नदी बदमाशों का केन्द्र बना हुआ है। मैनपुरी जिले से अलीगंज तहसील को सीधे कनेक्ट करने के लिए एक स्थान है धनऊ, काली नदो का पुल बनाया जाय ताकि जो बदमाशों के गिरोह रहते ह उन पर भी नियंत्रण किया जा सके। दोनों जिलों का सीधा-सीधा सम्पर्क जिससे बनाया जा सके। इसके साथ-साथ मैं जिस गांव से आता हूं, एक मैनपुरी जिले में गांव है बेवर, बेवर से इटावा तक सड़क जाती है, मझाल गांव वहां पर है, जो पानी से बरसात में डूब जाता है। बेवर से इटावा तक पानी निकलने की कोई गुंजाइश नहीं है। कई वर्षों से वहां के निवासी लोग आवेदन करते हैं, हर साल बरसात में मुसीबत आती है। यह क्रम अनेक वर्षों से चल रहा है।

(इस समय 4 बजकर 18 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

मेरा सझाव है कि उस जगह पर एक पुलिया पी0 डब्ल0 डी0 विभाग द्वारा बनायी जाय। इसके साथ-साथ कुछ हमारी कांस्टीट्यूएंसी का सवाल है, जहां की सड़कों का सवाल है। हमारे पी0 डब्ल0 डी0 मिनिस्टर आर्य जी वहां पर पधारे थे। एक विशेष कार्यक्रम को लकर माननीय मंत्री जी को वहां बुलाया गया था। मझौला गांव स नहर का एक बम्बा है, उसकी पटरी थोड़ी इंटीरियर इलाके में जाती है और 5-5, 6-6 केस ऐसे है जहां पर

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री जगदीश नरायन त्रिपाठी]

सड़क नहीं है। मेरा निवेदन यह था कि बम्बा की जो सड़क है, उसी को पक्का करवा दें ताकि कस्बे स जोड़ा जा सके। माननीय मंत्री जी ने आश्वासन दिया था, वायदा तो नहीं, लेकिन मैं समझता हूं कि मंत्री जी का आश्वासन करीब-करीब वायदा है। मान्यवर, हमारे यहां पर जो सड़कें बनायी गयी थीं, त्वरित योजना के अन्तर्गत जिनका निर्माण हुआ था उनमें से बहुत सी अधूरी हैं और जो पूरी हुईहैं उनकी भी दशा बहुत ही शोचनीय है। मेरा निवेदन है कि जिनमें लाखों रुपया व्यय हुआ है और वह अब बरबाद हुई जा रही हैं। आज सारे आदमी तरह-तरह की बातें करते हैं। अब जब योजना है कि इन सड़कों को पूरा कराया जाये तो इन सड़कों को पूरा कराया जाये। मान्यवर; एक दो सड़कें ऐसी हैं जिनकी हालत बहुत ही खराब है। एक सड़क नवीगंज से जोत टोडरपुर होकर कुसमरा को जाती है। यह सड़क बहुत दिनों से बन्द है। वह सड़क काफी इन्टीरियर इलाके को जोड़ती है। बन-किया मानपुर से मोटन की सड़क भी इसी तरह की है। मान्यवर; अगर नहर की पटरी को पक्का कर दिया जाय तो काफी लोगो को सुविधा होगी और इसके साथ ही साथ सरकार का व्यय भी अधिक नहीं होगा और जो इन्टोरियर में इलाके हैं वह यातायात के साधनों से जुड़ जायेंगे। कोरावली से देवा तक नहर की पटरी को पक्का कर दिया जाय तो उस क्षेत्र की जनता की यातायात सम्बन्धी कठिनाई बहुत हद तक समाप्त हो सकती है। और यह क्षेत्र सड़क और कस्बों से जुड़ जायगा।

अब मैं मान्यवर; खाद्य तथा रसद के प्रश्न पर आपसे निवेदन करना चाहता हूं। इस सम्बन्ध में अभी लोगों ने चर्चा की है। चीनी का जो मामला है वितरण का; इससे बहुत कठिनाई हो रही है जनता को। चीनी का मामला ऐसा जान लेवा हो गया है जिसका कोई ठिकाना ही नहीं है। आज जो चीनी दी जा रही है वह 1961 की जनगणना के आधार पर दी जा रही है। आप जानते ही हैं कि 1961 में जनसंख्या क्या होगी और आज 1976 में क्या हो गयी है? लेकिन चीनी आज भी उसी 61 की जनगणना के आधार पर दी जा रही है। इससे जनता में बड़ा असन्तोष है। इस तरह से वहां पर बेईमानी का माहौल पैदा किया जाता है। मेरा एक सुझाव यह है कि जो चीनी का वितरण किया जाय वह 1976 की जन गणना के आधार पर किया जाय। दूसरा मेरा सुझाव यह है कि अब न्याय पंचायतों के आधार पर चीनी का वितरण प्रारम्भ किया गया है इससे जनता को बड़ी परेशानी उठानी पड़ती है। न्याय पंचायत का क्षेत्र काफी होता है और लोगों को आधा किलो या एक किलो चीनी लेने के लिये मीलों से आना पड़ता है जो उनके लिये बहुत ही कष्टप्रद होता है। इस व्यवस्था से दुकानदारों को ब्लैक करने का मौका मिलता है। फर्रुखाबाद में ग्राम लेबिल पर चीनी वितरण की व्यवस्था की गयी थी यह व्यवस्था बहुत ही अच्छी है और हम लोगों ने भी इस व्यवस्था को अपने जिले मैनपुरी में लागू करवाया था लेकिन पता नहीं फिर क्यों इस व्यवस्था को बन्द कर दिया गया है। इस व्यवस्था से लोगों को सुविधा थी और दुकानदारों को चोरबाजारी का मौका भी नहीं मिलता था। इन शब्दों के साथ जो कटौती का प्रस्ताव पेश किया गया है; उसका मैं समर्थन करता हूं।

(कई सदस्यों के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष—

अब समय नहीं है। माननीय मंत्री जी बोलेंगे। पहले आप लोगों ने दिलचस्पी नहीं ली। अब जो महिला का आग्रह है यह मानना आवश्यक है।

श्रीमती सरस्वती टम्टा (जिला अल्मोड़ा)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आभारी हूं कि आपने मुझे सार्वजनिक निर्माण विभाग के बजट पर बोलने का अवसर दिया। मैं इस बजट का समर्थन करने के पक्ष में बोलूंगी। मान्यवर, आज जब कि इन्सान विज्ञान के द्वारा चन्द्रमा तक पहुंच रहा है हमारे पर्वतीय

इलाके में समस्त जिलों में अभी भी कई इलाके ऐसे हैं जहां पर राशन बकरियों द्वारा ले जाया जाता है। वहां पर यातायात के साधन नहीं हैं, पैदल मार्ग नहीं है पचासों मील तक। हमारे इलाके में न रेल मार्ग है, न हवाई मार्ग है और न ही जल मार्ग है। सिर्फ सड़कों से ही आने-जाने को सुविधा मिलती है। मैं यह तो नहीं कहूंगी कि कोई कार्य नहीं हो रहा है, काफी काम हो रहा है। हमारे मंत्री जी बडे ईमानदार हैं, बड़े सीधे हैं और बड़े सज्जन व्यक्ति हैं और स्वयं भी पर्वतीय क्षेत्र के रहने वाले हैं। पर्वतीय क्षेत्र में जो भी पी0 डब्लू0 डी0 के अधिकारी चाहे वे सहायक अभियन्ता हों, अधीक्षण अभियन्ता हों या अधिशासी अभियन्ता हों, या ओवरसियर आदि हों वे ऐसे होने चाहिये जो उत्साह स और मेहनत से काम कर सकें। आज सदन में कई माननीय सदस्यों ने विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार की बात कही लकिन मैं तो कहती हूं कि अन्य विभागों के मुकाबले में भ्रष्टाचार इस विभाग में बहुत कम है।

यहां पर पुलों की बात आई। सन् 1972 से 7-8 पुल निर्माणाधीन हैं, लेकिन उनका निर्माण अभी तक भी पूरा नहीं हो पाया है जिसके कारण बरसात हो जाने पर 3 माह तक आवागमन बन्द हो जाता है हमारे इलाके में बहुत से गांव ऐसे हैं जिनके खेत नदी के दूसरी तरफ होते हैं और इसी प्रकार से स्कूल्स भी दूसरी तरफ होते हैं। तो पुल न होने के कारण बरसात में सारा काम अवरुद्ध हो जाता है। वहां पर एक बितुलियाघाट पुल है जिसका शिलान्यास भी मैंने ही वर्ष 1972 में किया था लेकिन आज तक भी पूरा नहीं हो पाया है। पुलों की इस इलाके में बहुत आवश्यकता है और मेरी मंत्री जी से प्रार्थना है कि वे इनका शीघ्र से शीघ्र निर्माण करायें और जो कच्ची सड़कें हैं, उनको पक्की करायें। ताकि हमें घूल न खानी पड़े।

क्रैश प्रोग्राम के अन्तर्गत पर्वतीय क्षेत्र में जो सडकें हैं उनकी दशा बड़ी शोचनीय है। कुछ पर तो गाड़ियां चलती हैं। एक सड़क वहां पर है जो शामा लोती रोड के नाम से कही जाती है। मानक ग्लेसियर इस इलाके में बहुत ही सुन्दर स्थान है। यह हिस्सा ऐसा है कि अगर लोग वहां तक जाने लगे तो आयरलैन्ड और स्विटजरलैंड तक को भूल जायं। मेरी प्रार्थना है कि शामा लोती रोड को योगिना तक बढ़ा दिया जाय। आज खाद्य रसद का बजट है। खाद्य की शिकायत तो है नहीं लेकिन चीनी का पहाड़ पर बहुत कम वितरण होता है। वहां इतनी ठंडी पड़ती है और 500 ग्राम चीनी मिलती है। एक-एक घूंट चाय भी पीयें तो महीने भर नहीं चल सकती। तो उसकी अधिक मात्रा बढ़ा दें। अगर चीनी नहीं है तो जाड़ों में गुड़ सस्ते गल्ले की दूकानों से दिया जाय। चावल वहां सड़ा मिलता है सस्ते गल्ले की दुकानों में। वहां लोग बाहरी अनाज पर निर्भर रहते हैं तो अच्छा चावल गेहुं वहां दिया जाय। सही मात्रा में दिया जाय। साथ ही मोटा कपड़ा रंगीन भी उपलब्ध कराया जाय। इन शब्दों के साथ मैं मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करती हूं।

श्री बलदेव सिंह आर्य--

अध्यक्ष महोदय, इस आदरणीय सदन के माननीय सदस्यों ने सार्वजनिक निर्माण विभाग तथा खाद्य विभाग के अनुदानों पर जो सुझाव दिये हैं और विचार व्यक्त किये हैं उसके लिये मैं उनका अत्यन्त आभारी हूं। श्री लक्ष्मीरमण पांडेय ने कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत करते वक्त

[श्री बलदेव सिंह आर्य]

कई महत्वपूर्ण विषयों पर अपने सुझाव दिय। आम तौर से कटौती का प्रस्ताव पेश करने वाले विभाग की कड़ी आलोचना करते हैं। उन्होंने अपने भाषण में सुझाव दिये और विभाग की कुछ कमियां बतलायीं। उनको ठीक करने के लिये विभाग को सचेत किया। पहली बात तो उन्होंने कही कि कुछ निष्क्रिय खंड हैं। आर्थिक स्थिति संतोषजनक न होने के कारण निष्क्रिय खंड अब तक बने रहे, परन्तु आज तो यह आदरणीय सदन उनकी निष्क्रियता को समाप्त करने के लिये कुछ धन देने का फैसला करने वाला है। तो मैं माननीय सदस्य को यह आश्वासन देता हूं कि अब उनको सक्रिय बनाया जायगा जिससे वह प्रदेश के निर्माण को अधिक सक्रियता के साथ कर सकें।

मैंने प्रातःकाल कहा था कि इस प्रदेश से ठेकेदारी प्रथा को, बिचौलिया की, जिसमें भ्रष्टाचार का भी अंश है उसको समाप्त करने का हमने इरादा किया है। हमने अपने 33 खंडों में इस कार्य को प्रारम्भ किया है और धीरे-धीरे इस कोशिश में हैं कि यह प्रथा ही समाप्त हो जाय मझे पूरी उम्मीद है कि अगर जन सहयोग, प्रतिनिधियों का सहयोग इस विभाग के उच्चाधिकारियों और कर्मचारियों को मिला तो हम इस प्रथा को समाप्त कर देंगे। मजदूर और सरकार का संबंध रहेगा और उसको उचित मजदूरी दी जायगी। कहा गया कि सड़क पर काम करने वाले मजदूरों की मजदूरी कम है। इस समय 3.50 रुपये से लेकर 4.50 रु0 तक है। यह ठीक बात है, मैं मानता हूं। वर्तमान मजदूरी संतोषजनक नहीं है लेकिन जो काम वह करते हैं उसमें व्यय के लिये जो धन उपलब्ध रहता है उसी अनुपात से उसकी मजदूरी भी बनती है। भविष्य में इस सम्बन्ध में अधिक विचार करने की आवश्यकता है क्रैश रोड्स और टेस्ट वर्क्स की सड़कों के बारे में मैंने प्रातःकाल कहा था कि प्रत्येक लोक सभा क्षेत्र में 18 किलो मीटर की एक सड़क बनायी जायगी। तो मेरा अभिप्राय क्रैश और टेस्ट वर्क्स की सड़कों से था ताकि जो धन इन पर खर्च हुआ है वह बर्बाद न हो जाय।

श्री भगवती चरण निर्मोही जी ने बांगाहट पुल की बात कही तो उसको बनाने के लिये सरकार की ओर से रुपया स्वीकृत है और हिन्दुस्तान स्टील वर्क्स कांस्ट्रक्शन कं0 उसका एरेक्शन कर रही है। मार्च, 76 में उसका निरीक्षण होना था लेकिन कम्पनी ने अभी तक उसको पूरा नहीं किया है। उनसे कहा जा रहा है कि वह जल्दी से जल्दी इस पुल को पूरा कर दें।

हमारे प्रदेश में निरीक्षण भवन और सर्किट हाउसेज की स्थिति इस समय संतोषजनक नहीं है; हमने यह तय किया है कि सार्वजनिक निर्माण विभाग या दूसरे विभागों के निरीक्षण भवनों को साज सज्जायुक्त किया जाय और एक कमरा एयर कंडीशन्ड बनाया जाय जिससे कि बाहर से आने वाले अतिथियों को सब सुविधायें उसमें उपलब्ध हों जायें हमने सर्किट हाउसेज को भी सुसज्जित करने केलिये कुछ धन का प्राविधान किया है।

एक महत्वपूर्ण बात है कि हम इस विभाग का पुनर्गठन करना चाहते हैं; 1860 में इस विभाग की स्थापना हुई थी। आज मैं यह घोषणा करता हूं कि हर अधिकारी और कर्मचारी को इसकी सभी शाखाओं में जा कर एक निश्चित समय के लिये काम करना होगा। बगैर इसके हम कदापि स्वीकार नहीं करेंगे कि उनकी इच्छा के मुताबिक जहां पर जाना चाहते हैं उसमें उनको रखा जाय आमतौर से हमारे जन प्रतिनिधि भी इस बात का प्रयास करते हैं कि अमुक अभियन्ता अमुक काम में रखा जाय और सर्वे वालों की बराबर यह कोशिश होती है कि सर्व से निकाल कर उनको कांस्ट्रक्शन में रखा जाय लकिन अब हर इंजीनियर को हर शाखा में 3 वर्ष तक रहना जरूरी है ताकि हर शाखा का उनको अनुभव हो जाय और उससे प्रदेश को लाभ पहुंचा सके।

मान्यवर, पथ-कर की बात भी कही गयी थी। मैं एक बात यह बताना चाहता हूं कि जो प्राइवेट मोटर में सफर करते हैं वे पुल को पार करने के लिये 7 गुना पैसा जमा करके

मन्थली पास बनवा सकते हैं इस तरह एक माह तक वे आसानी से आ जा सकेंगे। माननीय नेगी जी ने कहा कि सड़कों की मरम्मत के लिये नान प्लान में कुछ नहीं रखा गया है। पहाड़ पर सड़कों के लिये बजट अलग से है। मानसून डैमेजज की मरम्मत के लिये 225 लाख रूपये का प्राविधान है।

माननीय गोरीशंकर जी ने बड़े जोश के साथ अपने भाषण में जो कुछ कहा और पंत जी ने तथा आर्यभट्ट का उदाहरण दिया, उनको यह पता ही नहीं है कि सबसे पहले सामुदायिक विकास योजना का श्रीगणेश उन्हीं के क्षेत्र से हुआ है और यह वह प्रगतिशील क्षेत्र है जहां कई डिग्री कालिज तक हैं। अगर एक आधी सड़क कहीं पर नहीं है तो उनको लगता है कि आजादी के 28 सालों में वहां पर कुछ हुआ ही नहीं है और यह बात उनको परेशान किये है। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि हमार प्रदेश को रोशनी वहीं से मिली है। प्रदेश में और बहुत सी जगह भी काम करना है, वे किये जायेंगे।

मान्यवर, बस्ती में बांसी-नौगढ़-लुम्बनी मार्ग का जिक्र हुआ। लुम्बनी देखने बहुत से विदेशी भी जाते हैं। इसको हम देखेंगे। यह मार्ग यातायात के लिये खुला हुआ है। उसमें अगर कहीं कुछ कमी होगी तो उसको हम देखेंगे और ठीक करवायेंगे। माननीय निर्मोही जी ने पौड़ी से देव प्रयाग वाली सड़क का जिक्र किया इसके लिये, मैं उनको बताना चाहता हूं कि 56 लाख रुपया स्वीकृत हुआ था जिसमें से 4.35 लाख रुपया खर्च हो गया है। वह मार्ग यातायात के लिये खुल भी गया है गंगा नदी पर एक पुल का सवाल है। उसमें अभी कुछ टाइम लगेगा उसके बनाने में। मान्यवर, गेहूं के क्रय केन्द्रों के बारे में मैंने प्रातःकाल कुछ जिक्र किया था।

श्री गोविन्द सिंह नेगी--

पहाड़ी क्षेत्रों में पैदल चलने वाले मार्गों पर जो बड़े-बड़े पुल हैं उनके रख-रखाव का पी0 डब्लू0 डी0 के हाथ में रखने के लिये क्या हो रहा है जिसके लिये मैंने कहा था?

श्री बलदेव सिंह आर्य--

पर्वतीय क्षेत्रों में पैदल मार्ग पर जो पुल बने हुए हैं वे बहुत सी जगह जीर्णशीर्ण अवस्था में है। उनकी मरम्मत व पुनर्निर्माण का प्रयत्न किया जा रहा ह उसको हम देखेंगे और जहां जितना धन उपलब्ध होगा, उस धन के अन्दर उस कार्य को अवश्य करेंगे।

श्री लक्ष्मी नरायण पांडेय--

मजदूरों को रेगुलर करने की बात थी। जब कि इसके लिये आपका स्टैंडिंग आर्डर है, उस पर अमल नहीं हो रहा है।

श्री बलदेव सिंह आर्य--

आज प्रातः काल ही मैंने बतलाया था कि इस विभाग में जो मजदूर हैं, उनमें से 14,500 को 1-4-75 से स्थायी करने के लिये-उनके लिये जगह बना दी गयी है और बाकी के मामले अभी विचाराधीन हैं। जिनको 3 साल से अधिक काम करते हुए हो गये हैं उनको हम धीरे-धीरे स्थायी करने को बात सोच रहे हैं। यह मैंने प्रातः काल भी कहा था और अब फिर उसी को दोहरा रहा हूं।

[श्री बलदेव सिंह आर्य]

मान्यवर, गहू के क्रय केन्द्र में सरकार ने यह आदेश जारी किया था कि एक समिति बना दी जाय, सरपंच की चेयरमैनशिप में और उस क्रय केन्द्र में आने वाले गांवों के सभापतियों को उस समिति का सदस्य बना दिया जाय जिनकी देखरेख में किसान वहां अपना गेहूं जमा करें और ठीक तरह से उसकी उचित कीमत उसे मिले। वे इस बात की देखरेख करते रहें ताकि उस केन्द्र में काम करने वाले जो सरकारी कर्मचारी हैं वे किसानों के साथ कोई अनुचित व्यवहार नहीं कर सकें या उसके हिसाब किताब में कोई गड़बड़ी न कर सकें। एक कमेटी क्षेत्रीय स्तर पर, ब्लाक प्रमुख, उप ब्लाक प्रमुख और गांव प्रमुख की एक समिति बना दी जाय जो अपने क्षेत्र के अन्दर दौरा करे और दौरा करके वह यह देखे कि वहां ठीक तरह से काम चल रहा है या नहीं ? विधायकों को तो यह अधिकार है ही कि जिस क्षेत्र में वे चाहें वहां जाकर उसका निरीक्षण करें। उनके लिये कोई रोक नहीं है उन्हें स्वयं अधिकार है, निरीक्षण करने का।

एक शिकायत हुई है कि यहां कोई कोल फेडरेशन है जो 500 रुपये और 1,000 रुपये तक लेकर तब वह फेडरेशन का मेम्बर किसी को बनाता है। मैं इस मामले को देखूंगा कि यह किस तरह का फेडरेशन बना है और किस तरह से रुपया लिया जाता है। इसको मैं अवश्य देखूंगा।

लेवी के अतिरिक्त अगर किसान गेहूं क्रय केन्द्र पर लेकर आवें तो वह उसे दे सकता है, इसमें उसके लिये किसी तरह की रुकावट नहीं है। यहां पर वह चर्चा की गयी कि लेवी का गेहूं जमा करने के बाद बकिया गेहूं किसान व्यापारियों के हाथ बेचेगा इसके ऊपर कोई प्रतिबन्ध नहीं है। मैंने प्रातः काल ही कहा था कि 6 लाख मीट्रिक टन लेवी का गेहूं लिया जायगा। इसके अतिरिक्त किसान जो गेहूं केन्द्र पर या कहीं बेचना चाहे उसे बेच सकता है। हमारे पास पहाड़ों में गोडाउन की बड़ी कमी है। मकान किराये पर ले रखे हैं उन्हीं में गेहूं को रखना होता है। हमारे नेगी जी को शिकायत थी कि गेहूं सड़क पर पड़ा रहता है तो अब तो गोदामों के लिये प्लेट फार्म बनाकर गेहूं की बोरियों को रखकर पालीथीन डालकर वहां पर गोदाम बना सकते हैं। लेकिन पता नहीं किस तरह से यह शिकायत हुयी हैं।

कुंवर श्रीपाल सिंह--

मान्यवर, आपने कहा है कि लेवी के अतिरिक्त गेहूं जो होगा वह किसान दे सकते हैं। तो वह गेहूं लेवी के दामों पर लिया जायगा या बाजार भाव पर लिया जायगा ?

श्री बलदेव सिंह आर्य--

सरकार ने जो रेट मुकर्रर किया है उसी रेट पर लिया जायगा, बाजार भाव पर नहीं।

कुंवर श्रीपाल सिंह--

105 रुपये पर ?

श्री बलदेव सिंह आर्य--

जी हां।

एक शिकायत बुन्देलखंड के बारे में थी पिछले साल 4 प्रतिशत तक गेहूं में अनुपयुक्त तत्व मिलने पर उनका गेहूं खरीद लिया जाता था। इस बार फैसला लिया गया है कि 2 प्रतिशत से ज्यादा न हो। लेकिन भारत सरकार से 3 मई, 76 को निर्देश आ गया है कि बुन्देलखंड में जो गेहूं आता है अगर उसमें 5 प्रतिशत तक अनुपयुक्त तत्व शामिल होगा तो उसको भी खरीद लिया जायगा। लेकिन उसकी कीमत कुछ कम हो जायगी। जैसे अगर 4 प्रतिशत होगा तो 5 रुपये कम हो जायगी और 5 प्रतिशत अनुपयुक्त तत्व होगा तो 6 रुपये कीमत कम हो जायगी इसलिये किसानों को जो शिकायतें होती थीं अब उनको दूर कर दिया गया है। मैं वहां पहले गया था। मुझसे किसानों ने कहा था कि हमारी कीमत कुछ कम हो जाय लेकिन हमको गेहूं वापस न ले जाना पड़े। हमारा गेहूं खरीद लिया जाना चाहिये। तो मान्यवर, अब उनकी शिकायत दूर हो गयी है।

मान्यवर, मैं अधिक समय न लेकर मैं पुनः सदस्यों को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने जो सुझाव दिये हैं मैं उनको देखूंगा और उन सुझावों पर कार्य करने का प्रयत्न करूंगा ताकि उसके मुताबिक जनता की और सेवा हो सके । मैं प्रयत्न करूंगा कि उनको पूरा करने का प्रयास हो ।

(मेजों को थपथपाने की आवाजें)

श्री देव कुमार यादव--

आपने जो बुन्देलखंड के संबंध में सुविधा दी है तो मैं जानना चाहूंगा कि 5 प्रतिशत अनुपयुक्त तत्व जो हैं, उसको जज करने का आधार क्या होगा ?

श्री बलदेव सिंह आर्य--

मान्यवर, मैंने कहा कि जो गेहूं आयेगा, जहां तक जज करने की बात है किसानों से कहा है कि अपने गेहूं को अपनी तरफ से सफाई के साथ लायें। उसमें जो अनुपयुक्त तत्व रहेगा वह 5 प्रतिशत तक स्वीकार कर लिया जायगा। अब मेरा ख्याल है कि जो शिकायतें थीं, वह दूर होंगी। वह तो 4 प्रतिशत ही मांग रहे थे। अब 5 कर दिया गया है।

श्री देव कुमार यादव--

मान्यवर, उसकी परिभाषा क्या होगी ?

श्री अध्यक्ष--

नहीं-नहीं, माननीय यादव जी यह बहस अब नहीं चलेगी। अब तो उन्होंने, जो मुद्दे उठाये गये थे उनका जवाब भी दे दिया है। अब इतना समय नहीं है और आप जो चाहत हैं, उनसे मिलकर स्पष्टीकरण कर लें ।

श्री प्यारे लाल (जिला मेरठ)--

मान्यवर, यह जो पुस्तिका इस विभाग के संबंध में सन् 76-77 को दी गयी है इसमें परसेन्ट बहुत कम है।

श्री अध्यक्ष--

नहीं, इसकी अब मैं इजाजत नहीं दूंगा। आपने पहले क्यों नहीं उठाया ?

श्री प्यारे लाल--

मान्यवर, पश्चिमी जिलों में सड़कों का परसेन्टेज बहुत कम है। वहां खेती की पैदावार ज्यादा होती है तो वहां सड़कों का परसेंन्टेज ज्यादा होना चाहिये। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या आप उसको पूरा करेंगे ?

(कोई उत्तर नहीं आया)

श्री बलदेव सिंह आर्य--

मान्यवर, मैं पांडेय जी से अनुरोध करूंगा कि वह अपने कटौती के प्रस्ताव को वापस ले ल ।

श्री लक्ष्मी नारायण पांडेय--

अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने बहुत से सुझावों को मान लिया है और उनको पूरा करने का आश्वासन दिया है। इसलिये हमें उम्मीद है कि सरकार उनको पूरा करेगी और इस स्थिति में मैं अपने प्रस्ताव को वापस लेता हूं।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि माननीय लक्ष्मी नारायन पान्डे को अपने सभी कटौती के प्रस्तावों को वापस लेने की अनुमति दी जाय ?

(श्री लक्ष्मी नारायण पान्डेय के कटौती के सभी प्रस्ताव सदन की अनुमति से वापस हुए।)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1977 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 24--सार्वजनिक निर्माण कार्य के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 79,31,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1977 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 34--आवास भवन के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 83,22,100 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1977 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 60--संचार साधन के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 20,72,48,400 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1977 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 61--कार्यात्मक भवन के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 31,38,800 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1977 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 62--सार्वजनिक निर्माण अधिष्ठान के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 11,93,63,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1977 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 67—सार्वजनिक निर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 6,52,35,600 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1977 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 68—कार्यात्मक भवनों पर पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1,77,97,700 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1977 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 70—आवास भवनों पर पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों के चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 2,02,98,900 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1977 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 83—संचार साधनों पर पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 23,34,73,500 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1977 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 43—सामान्य आर्थिक सेवायें के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1,26,41,700 पये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1977 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 48--खाद्य तथा पोषाहार के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 3,42,17,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1977 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 78--खाद्य तथा पोषाहार पर पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1,01,51,67,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष--

आज 51 के अन्तर्गत कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है । अतएव अब हम उठते हैं और कल 11 बजे प्रातः फिर बैठेंगे ।

(इसके बाद सदन 4 बजकर 58 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया ।)

सत्य प्रिय सिंह,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

लखनऊ :
5 मई, 1976

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या 3 का उत्तर पीछे पृष्ठ 793 पर।)

घाघरा नदी के कटाव से प्रभावित ग्रामों की सूची
जनपद--आजमगढ़

तहसील	ग्राम का नाम
1	2
घोसी	1--डुहिया डिलिया
	2--सूरजपुर
	3--बीबीपुर
	4--नौली
	5--किरतपुर
	6--सरहरा जेमिनी सरहरा
	7--घनौली रामपुर
	8--धर्मपुर विशुनपुर
	9--दुबारी
	10--चौहानपुर
	11--बरोहा
	12--कुवर पुरवा
	13--मोलनापुर
	14--मूंसा डोही
	15--चक्की भूंसाडोही
	16--परसिया जयराम गिरि
सगड़ी	1--देवारा खास राजा
	2--देवारा गरीब दूबे
	3--बैरिया
	4--आराजी हथियागढ़
	5--आराजी तिवारीपुर
	6--आराजी मुच्छरिहावा रुस्तम खां
	7--आराजी मुच्छरिहवा रोशन बीबीपुर
	8--पुरैनियां
	9--आराजी सिसवा
	10--गांगेपुर

परिशिष्ट 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या 10 का उत्तर पीछे पृष्ठ 797 पर)

क्रम-संख्या	ब्लाक का नाम		मिश्रित स्कूलों (बालक एवं बालिकाओं के लिये) की संख्या	बालिका स्कूलों की संख्या
1	2		3	4
1	अकबरपुर	..	1	1
2	मेथा	.. ..	1	1
3	बिल्हौर	.. ..	1	1
4	ककवन	.. ..	1	1
5	शिवराजपुर	.. ..	1	1
6	चौबेपुर	.. ..	1	1
7	डेरापुर	..	1	1
8	सन्दलपुर	.. ..	1	2
9	झींझक	.. ..	1	2
10	रसूलाबाद	.. ..	1	1
11	राजपुर	.. ..	1	2
12	मलासा	.. ..	1	2
13	कल्यानपुर	.. ..	1	1
14	विधनू	.. ..	1	1
15	घाटमपुर	.. ..	2	1
16	भीतर गांव	.. ..	1	2
17	सरसौल	.. ..	..	2
18	पतारा	.. ..	..	2
19	सर्वन खेड़ा	.. ..	..	2
20	अमरौधा	.. ..	..	1
कुल		..	17	28

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या 25 का उत्तर पीछे पृष्ठ 802 पर)

अमीरुद्दौला पब्लिक लाइब्रेरी, लखनऊ के स्टाफ तथा उनके वर्तमान वेतनमानों के विवरण की तालिका

क्रमांक	पद का नाम	स्वीकृत पद	वेतनक्रम	अन्य विवरण
1	2	3	4	5
1	पुस्तकालयाध्यक्ष ..	1	220-20-300	..
2	सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष	1	160-8-200-10-250-15-300	पद धनाभाव के कारण रिक्त है
3	क्लर्क ..	1	60-4-100-5-120	
4	क्लर्क ..	2	50-3-80-4-100	
5	जैनेटर ..	1	30-2-60	
6	दफ्तरी ..	1	30-2-60	
7	बुकलिफ्टर ..	5	27-1/2-32	दो पद धनाभाव के कारण रिक्त है।
8	चपरासी ..	2	,, ,,	एक पद धनाभाव के कारण रिक्त है।
9	माली-चौकीदार ..	1	,, ,,	
10	जमादार ..	1	22-1/2-27	
	योग ..	16 पद		

परिशिष्ट 'घ'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 15 का उत्तर पीछे पृष्ठ 811 पर)

महानगर प्राथमिक शिक्षक संघ, लखनऊ की मांगों की सूची

1--राजाज्ञा सं0 8999/15(5)-370/73, दिनांक 29 जनवरी, 1974 द्वारा 1 अगस्त, 1972 से संशोधित वेतनक्रम की परिलब्धियों में राजाज्ञा सं0 ब-1/2497/15-340/70; दिनांक 29 मार्च, सन् 1971 की (महंगाई विषयक राजाज्ञा) के अनुच्छेद -4 की महंगायी जोड़ी जाय।

2--सन् 1959 एवं फरवरी सन् 1960 से नियुक्त अध्यापक/अध्यापिकाओं को एक वर्ष की परिवीक्षावधि के पश्चात् स्थायी किया जाय और उनका फन्ड सरल किस्तों में काटा जाय।

सेवा नियमावली 13 नवम्बर, 1971 के सरकारी गजट में और पदनाम 30 जून, 1973 के सरकारी गजट में प्रकाशित हो चुके हैं।

3--25-7-72 के पूर्व महापालिका द्वारा महापालिका पेंशन विनियम, 1962 के अनुसार मिलने वाली महापालिका पेंशन जो बेसिक शिक्षा अधिनियम 1972 की धारा 9 (1) द्वारा बे0 शि0 परिषद् से मिलनी है, 25-7-72 के बाद सेवा निवृत्त शिक्षकों को बेसिक शिक्षा परिषद् द्वारा दी जाय और सामूहिक बीमा के कारण 3/8 पेंशन देने का आदेश वापस लिया जाय।

4--महापालिका क्षेत्रीय बेसिक शिक्षा परिषद् शिक्षकों को राज्य कर्मचारियों समान नगर एवं आवास भत्ता और चिकित्सा सुविधा दी जाय।

5--लखनऊ नगर महापालिका से संबंधी 11 सूत्रीय मांगों के संबंध में तत्कालीन मुख्य नगर अधिकारी श्री संतोष कुमार चौधरी द्वारा दिये गये आदेशों को, जिसकी सूचना शासन के अर्द्धशासकीय पत्र सं0 9009/111-74; दिनांक 13-12-74 नगरपालिका (7) अनुभाग के सम्बन्ध में लखनऊ नगर महापालिका के अर्द्ध शासकीय पत्र सं0 1717/मु0वि0 (शिक्षा) दिनांक 22-1-75 द्वारा प्रेषित की गई है, को कार्यान्वित कराया जाय।

6--अदीक्षित अध्यापक/अध्यापिकाओं को बी0 टी0 सी0 प्रशिक्षण से छूट देने वाली राजाज्ञा सं0 1274/15(13)-1499(6)/71, दिनांक 1-6-1973 का अतिक्रमण करने वाली राजाज्ञा सं0 382/14(13)-1499(6)/71, दिनांक 18-3-74 को वापस लिया जाय और राजाज्ञा वापस न होने तक कार्यरत अध्यापक प्रमाण-पत्र परीक्षा में अनुत्तीर्ण शिक्षकों को सेवा में न हटाया जाय।

7--पांच वर्ष के शिक्षण अनुभव एवं 30 वर्ष आयु के समस्त अदीक्षित अध्यापक/अध्यापिकाओं को बी0 टी0 सी0 ट्रेनिंग से छूट प्रदान की जाय।

8--1964 के पूर्व विद्याविनोदिनी परीक्षा उत्तीर्ण अध्यापिकाओं को जूनियर हाई स्कूल परीक्षा न उत्तीर्ण करने पर 30 जून, 1975 से सेवा से पृथक करने और अदीक्षित अध्यापकों को हाई स्कूल परीक्षा न उत्तीर्ण करने पर सेवा से पृथक करने का आदेश वापस लिया जाय।

9--लखनऊ नगर महापालिका के बेसिक शिक्षा परिषदीय सहायक उपस्थिति अधिकारियों के रिक्त पदों पर राजाज्ञानुसार शिक्षकों को प्रोन्नति दी जाय।

10--जूनियर हाई स्कूलों में कार्यरत उर्दू अध्यापक/अध्यापिकाओं को समान कार्य के लिये समान वेतन के सिद्धान्त के अनसार जूनियर हाई स्कूल के सहायक अध्यापक का प्रस्तावित वेतनक्रम दिया जाय।

11--दीक्षित उर्दू अध्यापकों/अध्यापिकाओं को एक वर्ष की सेवा के पश्चात् स्थाई करके फंड काटा जाय।

12--अदीक्षित उर्दू अध्यापकों/अध्यापिकाओं को उर्दू भाषा के शिक्षण के हित में सेवारत प्रशिक्षण द्वारा प्रशिक्षित किया जाय।

13--21 मई, 1974 के पूर्व नियुक्त अध्यापिकाओं के नोटिस देने से रिक्त पदों, प्रोन्नति से रिक्त पदों और विज्ञान, उर्दू, संस्कृत आदि विषयों के सेवा निवृत्ति के रिक्त पदों की पूर्ति शिक्षा के हित में की जाय।

14--कई वर्षों से प्रधान अध्यापकों/प्रधान अध्यापिकाओं के रिक्त पदों की पूर्ति ज्येष्ठता सूची के अनुसार की जाय और दो माह पूर्व प्रधान अध्यापिकाओं के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु किये गये चयन की सूची प्रकाशित की जाय। विज्ञान शिक्षकों के रिक्त पदों का चयन किया जाये।

15--25-7-72 के पश्चात कटे फंड और सामूहिक बीमा में कटे धन की रसीदें दी जायें।

16--महापालिका के प्रस्ताव सं0 132, दिनांक 7-6-71 और राजाज्ञा सं0-9165/15(5)-130/72, दिनांक 25 फरवरी, 1974 द्वारा स्वीकृत 10 रुपया नगर महापालिका भत्ता बेसिक शिक्षा परिषदीय शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की भांति सितम्बर, 1972 से बेसिक शिक्षा परिषद् द्वारा लखनऊ नगर महापालिका के बेसिक शिक्षा परिषदीय शिक्षकों को दिया जाय।

नत्थी 'अ'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 20 का उत्तर पीछे पृष्ठ 813 पर)

तालिका

सर्वश्री

1--राजवीर सिंह
2--रघुबीर सिंह
3--शिव राम सिंह
4--सतीश चन्द्र
5--राम सेवक
6--श्याम लाल अरोरा
7--राम बाबू
8--मुईद उल्लाह खां
9--रामकुमार वर्मा
10--शिव प्रसाद वर्मा
11--बंशी लाल
12--के0 एन0 पाल
13--हुकुम सिंह
14--सिद्धेश्वर अग्निहोत्री
15--हृदय राम
16--ओम प्रकाश मिश्र
17--आशा राम
18--अला दीन
19--राम गोपाल

नत्थी 'च'

(देखिये पीछे पृष्ठ 816 पर)

29 अप्रैल, 1976 के तारांकित प्रश्न 39 के मूल प्रश्न का मूल उत्तर

प्रश्न	उत्तर
39—क्या मुख्य मंत्री को यह विदित है कि जनवरी, 76 के दूसरे सप्ताह जोशीमठ, जिला चमोली में पी0 डब्लू0 डी0 के एक ठेकेदार (श्री स्वरूप सिंह रांगड़) ने आत्मदाह किया है ? यदि हां, तो उसके क्या कारण थे ?	श्री स्वरूप सिंह रांगड़ नामक पी0 डब्लू0 डी0 के एक ठेकेदार ने दिनांक 29 दिसम्बर, 1975 को जोशीमठ, जिला चमोली में आत्मदाह किया है । आत्मदाह के कारणों की जांच सतर्कता विभाग द्वारा की जा रही है।
क्या यह सही है कि आत्मदाह से पूर्व उसने जिलाधिकारी व अन्य अधिकारियों को उसकी सूचना दे दी थी ।	ठेकेदार ने दिनांक 8–4–1975 को एक आवेदन–पत्र सम्बन्धित अधिकारियों को दिया था जिसमें उसने निर्माण कार्य से सम्बन्धित बकायों के भुगतान हेतु प्रार्थना की थी । फिर ठेकेदार ने दिनांक 27–12–75 को एक पोस्टकार्ड सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता को भेजा जो उनको दिनांक 30–12–1975 (अर्थात् आत्मदाह के एक दिन बाद) प्राप्त हुआ था । सतर्कता विभाग द्वारा जांच के पश्चात् यदि किसी अधिकारी/कर्मचारी को समय से कार्यवाही न करने का दोषी पाया गया तो उसे उचित दण्ड दिया जावेगा ।

बलदेव सिंह आर्य,
मंत्री,
सार्वजनिक निर्माण विभाग,
उत्तर प्रदेश ।

नत्थी 'छ'

(देखिये पीछे पृष्ठ 817 पर)

संख्या 65/1(1)--66 सी0 एक्स0-2

प्रेषक,

श्री स0 पाण्डेय;
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन,

सेवा में;

निबन्धक,
उच्च न्यायालय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

लखनऊ : दिनांक 4 अक्टूबर, 1975।

विषय--संसद सदस्यों का बन्दीकरण और निरोध।

गोपन
अनुभाग-2

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर समसंख्यक शासनादेश दिनांक 25 अप्रैल, 1968(प्रतिलिपि संलग्न) की ओर आपका ध्यान आकर्षित करते हुए मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया है कि उक्त शासनादेश के साथ संलग्न भारत सरकार, गृह मंत्रालय द्वारा परिचालित अनुदेश राज्य विधान मंडल के सदस्यों पर भी लागू होंगे। अतः अनुरोध है कि कृपया आप समस्त सम्बन्धित अधिकारियों को उचित कार्यवाही हेतु तदनुसार सूचित कर दें।

भवदीय,
स0 पाण्डेय,
उप सचिव।

संख्या 65/1(1)--66 सी0 एक्स0-2 तद्दिनांक

प्रतिलिपि :

(1) उत्तर प्रदेश के समस्त जिला मजिस्ट्रेटों तथा
(2) उत्तर प्रदेश के समस्त पुलिस अधीक्षकों को,

सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

संख्या 65/1(1)--66 सी0 एक्स0-2 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को भी सूचनार्थ प्रेषित--

(1) अध्यक्ष, राजस्व परिषद्, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
(2) उत्तर प्रदेश के समस्त मण्डलायुक्त।
(3) पुलिस महानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
(4) पुलिस महानिरीक्षक, अभिसूचना विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
(5) सचिव, विधान सभा, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
(6) सचिव, विधान परिषद्, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
(7) सचिव, विधायिका विभाग, उत्तर प्रदेश तथा
(8) सचिवालय के समस्त अनुभाग

आज्ञा से,
स0 पाण्डेय,
उप सचिव।

संख्या 65/1(1)--66 सी0 एक्स0

प्रेषक

श्री जे0 ए0 कल्याणकृष्णन,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन,

सेवा में

निबन्धक;
उच्च न्यायालय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

लखनऊ, 25 अप्रैल, 1968।

विषय--संसद सदस्यों का बन्दीकरण और निरोध।

महोदय,

गोपन विभाग

मुझे निदेश हुआ है कि संसद भवन के भीतर संसद सदस्यों पर समन्स एवं वारन्ट की तामील, उनके हथकड़ी डालने और उनकी गिरफ्तारी/निरोध के बारे में लोक सभा/राज्य सभा के अध्यक्ष/सभापति को सूचित करने के विषय में भारत सरकार, गृह मंत्रालय द्वारा परिचालित अनुदेशों की एक पुस्तिका इस अनुरोध के साथ आपको भेजूं कि इन अनुदेशों से समस्त सम्बन्धित अधिकारियों को उचित कार्यवाही हेतु अवगत करा दिया जाय।

भवदीय,

जे0 ए0 कल्याणकृष्णन,
संयुक्त सचिव।

संख्या 65/1(1)--66 सी0 एक्स0 तद्दिनांक

प्रतिलिपि :

(1) उत्तर प्रदेश के समस्त जिला मजिस्ट्रेटों तथा
(2) उत्तर प्रदेश के समस्त पुलिस अधीक्षकों, को

सूचना तथा पथप्रदर्शन के लिये प्रेषित।

संख्या 65/1(1)--66 सी0 एक्स0 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित--

(1) सभापति, राजस्व परिषद्, उत्तर प्रदेश,
(2) उत्तर प्रदेश के समस्त मण्डलायुक्त,
(3) पुलिस महानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश,
(4) सचिव, विधान सभा, उत्तर प्रदेश,
(5) सचिव, विधान परिषद्, उत्तर प्रदेश,
(6) सचिव, विधायिका विभाग, उत्तर प्रदेश तथा
(7) सचिवालय के समस्त विभाग।

आज्ञा से,
जे0 ए0 कल्याणकृष्णन,
संयुक्त सचिव।

Instructions circulated by the Ministry of Home Affairs to all Governments of States/Union Territories, regarding:

(1) Seeking the Speaker's permission for service of summons within the precincts of the House;

(2) Seeking the Speaker's permission for service of warrant within the precincts of the House;

(3) Hand cuffing of a Member of Parliament under arrest; and

(4) Intimation to the Speaker of the arrest, detention, etc. and the release of a M. P.

[NOTE—In case of Rajya Sabha Members please read Chairman" for "Speaker" and the Lok Sabha Rules (briefly referred to as LSR) quoted below apply mutatis mutandis in the case of Rajya Sabha Members also.]

Precincts of the House means and includes the Chamber, the Lobbies, the Galleries and such other places as the Speaker may from time to time specify vide the definition in the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha—Fifth Edition, 1967 [hereinafter briefly referred to as (L.S.R.) rule 2(1)]. The Speaker's Direction no. 124 provides that except for the purpose of rule 374* the term 'precincts of the House/Parliament House' shall also include the following namely—

(i) The Central Hall and its Lobbies;
(ii) Member's Waiting Rooms;
(iii) Committee Rooms;
(iv) Parliament Library;
(v) Members' Refreshment Rooms;
(vi) Lok Sabha Offices located in Parliament House and the hutments adjoining the Parliament House;
(vii) Corridors and passages connecting or leading to the various rooms referred to in (i) to (iv) above; and
(viii) Parliament House Estate and approaches to the Parliament House.

2. The permission of the Speaker, Lok Sabha, is required to be obtained for the service of a legal process within the precincts of the House on any person, whether a Member of Lok Sabha or a stranger vide L.S.R. 233. In the case of a Member of the Rajya Sabha, however, permission of the Chairman of the Rajya Sabha will have to be obtained with simultaneous intimation to the Speaker, Lok Sabha.

3. It is not a desirable practice to send legal processes for service on the Members of Parliament or to attempt to serve such legal processes on them through the Presiding Officers of the Lok Sabha/Rajya Sabha or through the Lok Sabha Secretariat/Rajya Sabha Secretariat. The appropriate procedure would be to serve such processes direct on the Members concerned outside the precincts of Parliament, i.e., at their residence or at some other place. In an exceptional case, if at all it becomes necessary to seek the Speaker Chairman's permission to serve a legal process within the precincts of the House, the Speaker/Chairman desires that he should be addressed through the Ministry of Home Affairs and the authority issuing the legal process should send along with it a brief statement containing a well reasoned request setting out the grounds why it has become necessary to serve the process within the precincts of the House.

4. L.S.R. 232 requires that no arrest shall be made within the precincts of the House without obtaining the permission of the Speaker.

---

*Rule 374 is about suspension of Member and his withdrawal from precincts of the House.

5. To enable the Presiding Officer to decide whether he should grant or withhold permission for arrest within the precincts of the House it is necessary that in making a request for such arrest, the warrant should be accompanied by a brief statement containing a well reasoned request setting out the grounds therefor and explaining why it is desired that the arrest be made within the precincts of the House and why the matter cannot wait till the House adjourns for the day. In the absence of such a statement, it is often not possible for the Presiding Officer to come to a decision whether permission should be granted or withheld. The authority issuing the warrant or charged with the responsibility of serving the warrant must, therefore, attach with the warrant of arrest a statement containing a well-reasoned request why arrest within the precincts of the House is necessary. The subordinate authorities should not address the Presiding Officer direct in this connection, and any such request must be made through the Ministry of Home Affairs.

6. (i) The Fourth and Fifth combined Reports of the Committee of Privileges (Second Lok Sabha) laid on the Table of the House on the 27th September, 1958 recommended, that the Ministry of Home Affairs may be requested to bring to the notice of the State Governments the instructions already issued by the Home Ministry and contained in Police Rules/Manuals and executive instructions of various State Governments that persons in Police custody and prisoners, whether undertrial or convicts should not be hand-cuffed as a matter of routine and that the use of hand-cuffs should be restricted to cases where the prisoner is a desperate character or where there are reasonable grounds to believe that he will use violence or attempt to escape or where there are other similar reasons. The Committee recommended that the Home Ministry may stress the desirability of strictly complying with these instructions, "especially in the case of Members of Parliament, in view of their high status". The Committee also suggested for the consideration of the Home Ministry whether in the interest of uniformity, the State Governments would like to make similar provisions in respect of Members of State Legislatures.

(ii) If a Member of Parliament is arrested and hand-cuffed, the matter is likely, indeed almost certain, to be raised in Parliament. This by itself should not influence the judgment of the Police Officer, but the fact that a person arrested is a Member of Parliament has to be borne in mind by the Police and by other authorities who have to deal with the arrested Member.

(iii) For any person arrested, hand-cuffs are used by the police if the person is violent, or is disorderly obstructive or is likely to attempt escape or commit suicide, or is charged with certain non-bailable offences, Hand-cuffs are not used as a matter of routine, Discretion must rest with the police officer who is responsible for effecting the arrest and taking the person in custody to the lock-up.

7. If a Member is arrested/detained/convicted or released, whether on bail or on completion of his term or due to any other reason, or transferred from one place of detention to another, intimation should be sent to the Speaker at the earliest that is by telegram followed by a formal written communication. A copy of the intimation should be endorsed invariably to the Home Ministry. Arrest includes surrender to custody on cancellation of bail or otherwise. The form of intimation is given in L, S. R. Third Schedule and its form should be scrupulously used in the formal written 'communication'. The first intimation by telegram should also contain the essential information, namely in the case of an arrest, the place of arrest, the law and the section unde

which the arrest was made, where the Member is lodged the name and designation of the sender of the intimation and the authority which ordered the arrest.

8. Questions of privilege are raised when a Member of Parliament is arrested. In all matters connected with the arrest, detention, etc., of a Member of Parliament, the concerned authorities should keep this carefully in view. Article 105, clause (3) of the Constitution provides that the privileges of Members of Parliament shall be such as may from time to time be defined by Parliament by law, and until so defined shall be those of the Members of the House of Commons of Parliament of the United Kingdom. Our Parliament has not enacted any law so far. In respect of the privileges of Members of Parliament in the United Kingdom the standard work is May's Parliamentary Practice.

9. A copy of Article 105 of the Constitution and a copy of L.S.R. 229, 230, 232, 233 and the Third Schedule are enclosed for ready reference.

EXTRACTS FROM THE CONSTITUTION OF INDIA

Powers, Privileges and Immunities of Parliament and its Members

Powers, Privileges etc. of the Houses of Parliament and of the members and committees thereof.

105. (1) Subject to the provisions of this Constitution and to the rules and standing orders regulating the procedure of Parliament, there shall be freedom of speech in Parliament.

(2) No member of Parliament shall be liable to any proceedings in any court in respect of anything said or any vote given by him in Parliament or any committee thereof, and no person shall be so liable in respect of the publication by or under the authority or either House of Parliament of any report, paper, votes or proceedings.

(3) In other respects, the powers, privileges and immunities of each House of Parliament, and of the members and the committees of each House, shall be such as may from time to time be defined by Parliament by law, and until so defined, shall be those of the House of Commons of the Parliament of the United Kingdom, and of its members and committees, at the commencement of this Constitution.

(4) The provisions of clauses (1), (2) and (3) shall apply in relation to persons who by virtue of this Constitution have the right to speak in, and otherwise to take part in the proceedings of, a House of Parliament or any committee thereof as they apply in relation to members of Parliament.

EXTRACTS FROM L. S. R.

Intimation to Speaker by Magistrate of arrest, detention etc. of a member.

229. When a Member is arrested on a criminal charge or for a criminal offence or is sentenced to imprisonment by a court or is detained under an executive order, the committing judge, magistrate or executive authority, as the case may be, shall immediately intimate such fact to the Speaker indicating the reasons for the arrest, detention or conviction as the case may be, as also the place of detention or imprisonment of the member in the appropriate form set out in the Third Schedule.

Intimation to Speaker on release of a member.

230. When a member is arrested and after conviction released on bail pending an appeal or otherwise released, such fact shall also be intimated to the Speaker by the authority concerned, in the appropriate form set out in the Third Schedule.

Arrest within the Precincts of House.

232. No arrest shall be made within the precincts of the House without obtaining the permission of the Speaker.

Service of legal process.

233. A legal process, civil or criminal, shall not be served within the precincts of the House without obtaining the permission of the Speaker.

THIRD SCHEDULE

(See Rules 229 and 230)

Form of communication regarding arrest, detention, conviction or release, as the case may be, of a member

Place.....

Date.....

To

The SPEAKER,
Lok Sabha,
New Delhi.

A

Dear Mr. Speaker,

I have the honour to inform you that I have found it my duty, in the exercise of my powers under section.....of the.....(Act), to direct that Shri.....Member of the Lok Sabha be arrested for.....

Detained

(reasons for the arrest or detention, as the case may be)

Shri.....M.P., was accordingly arrested / taken into custody at.....(time) on.....(date) and is at present lodged in the.....Jail.....(place)

B

I have the honour to inform you that Shri.....Member of the Lok Sabha, was tried at the.....Court before me on a charge (or charges) of.....(reasons for the conviction).

On.....(date) after a trial lasting for.....days, I found him guilty of..... and sentenced him to imprisonment for.....(period).

(His application for leave to appeal to*.....pending consideration).

*Name of the Court.

C

I have the honour to inform you that Shri.....
.....Member of the Lok Sabha who was arrested/detained/convicted on .....(date)..... for.....(reason for arrest/detention/conviction), was released on.....(date) on..... grounds for release.

Yours faithfully,
(Judge, Magistrate or executive authority).

सत्यमेव जयते

पी० एच० यू० पी०—एल० 113 विधान सभा (239)—1976—840।